वार्षिक रिपोर्ट
2009 – 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
http: www//ncw.nic.in

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	प्राक्कथन		1
2.	भूमिका		3
3.	शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ		17
4.	प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ		29
5.	विधिक प्रकोष्ठ		33
6.	अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ		41
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें		63
8.	आयोग के लेखे		73
9.	अनुलग्नक		
	अनुलग्नक–I	संगठनात्मक चार्ट।	113
	अनुलग्नक–II	राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में श्रेणी–वार ब्योरा।	114
	अनुलग्नक–III	राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा।	115
	अनुलग्नक–IV	बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित स्कीम।	117
	अनुलग्नक–V	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	127
	अनुलग्नक–VI	पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)।	146

अनुलग्नक–VII	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	147
अनुलग्नक–VIII	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	150
अनुलग्नक–IX	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य स्तर/क्षेत्र स्तर/ राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	151
अनुलग्नक–X	उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।	157
अनुलग्नक–XI	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन।	160
अनुलग्नक–XII	घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 के संबंध में विधेयक का प्रारूप।	165

1 प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2009–10 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने पूर्व वर्ष की अपनी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया और महिलाओं के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों का सुझाव देकर, महिलाओं और बच्चों के अनैतिक दुर्व्यापार पर नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपाय करके, घरेलू कर्मचारियों पर अत्याचार पर रोक लगाने के लिए उपायों का सुझाव देकर, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करके, उन्हें उपलब्ध आर्थिक अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान करके, महिलाओं से प्राप्त उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करके तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं का उनकी सहायतार्थ स्वतः संज्ञान लेकर, महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अनवरत् प्रयास किया।

आयोग को प्राप्त अधिदेश का अनुसरण करते हुए, आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं को राहत और उनके पुनर्वास की स्कीम की समीक्षा की, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनों का सुझाव दिया तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010 का प्रारूप तैयार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के कथित दुरुपयोग पर विचार–विमर्श किया।

आयोग के शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ को, जो आयोग का प्रमुख एकक है, विपदाग्रस्त महिलाओं से उनके दुखों को दूर करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली। इन शिकायतों के हल के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों, जैसेकि हत्या, बलात्कार, यौन आक्रमण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, छेड़छाड़, अनिवासी भारतीयों से विवाह, अवयस्क बालिकाओं को विदेशी नागरिकों के हाथों बेचने, पुलिस अत्याचार आदि मामलों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर या स्वतः संज्ञान लेकर भी बहुत से मामलों की विवेचना की और संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अपनी सिफारिशें भेजी।

वर्ष 2009–10 के दौरान, आयोग ने 15,985 शिकायतों का समाधान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन शिकायतें दर्ज करना भी प्रारंभ कर दिया है ताकि देश के दूरस्थ इलाकों की भी आयोग तक पहुंच संभव हो सके।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को उनके मूलभूत कानूनी अधिकारों और विभिन्नि कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उपचारात्मक उपायों की व्यावहारिक जानकारी से अवगत कराने के लिए कई विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। साथ ही, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोग ने राज्य महिला आयोगों अथवा राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से पारिवारिक लोक अदालतों का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने घरेलू हिंसा अधिनियम, बालिका भ्रूण हत्या, घटते लिंग अनुपात, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव, महिला सशक्तीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के मानवाधिकार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, बाल विवाह, जनजातीय महिलाओं के

अधिकार, एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता सृजन, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, आदि जैसे मामलों पर अनेक कार्यशालाएं, सम्मेलन और परामर्श सत्रों तथा जन सुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम "घर बचाओ परिवार बचाओ" आदि जैसे विशेष क्रियाकलाप/कार्यक्रम वर्ष 2009–10 के दौरान भी जारी रहे। "घर बचाओ परिवार बचाओ" कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मुद्दों से निपटने में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना, वैवाहिक विवादों के मामलों में समझौते की नीति पर बल देना तथा महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के प्रयोजनार्थ गैर–सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम का आंशिक वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसे दिल्ली पुलिस के महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

"अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के मामलों में उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से विकसित/समन्वित तंत्र सृजित करने के संबंध में थी, ताकि व्यथित महिला को उसकी समस्या का एक सम्मानजनक समाधान प्राप्त हो सके। इस सिफारिश पर एक अंतर–मंत्रालयीय बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अतः अनिवासी भारतीयों से विवाह के मामलों में विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए 14 सितंबर, 2009 को अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया गया।

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने जाने के लिए अरसे से लंबित पड़े विधेयक को पारित कराने की दिशा में आयोग एक दशक से भी अधिक समय से अथक प्रयत्न कर रहा है। इस संबंध में सर्वसम्मति विकसित करने के लिए आयोग ने महिला आरक्षण विधेयक विषय पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया और सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे इस विधेयक को अपना समर्थन प्रदान करें।

इस अवसर पर, मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर प्रधान मंत्री कार्यालय, के प्रति अपना कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने आयोग द्वारा महिलाओं के मुद्दों के समर्थन में किए गए सतत प्रयासों में अपना सहयोग दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों एवं राज्य महिला आयोगों, आयोग में अपने सहयोगियों, आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मैं आभारी हूं, जिन्होंने परस्पर मिलकर अत्यधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य किया और वर्ष के दौरान हमारे लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया।

गिरिजा व्यास
अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग

2 भूमिका

महिलाओं के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुपालन में, राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग को मिले व्यापक अधिदेश में महिलाओं के विकास से संबंधित लगभग सभी मुद्दे आते हैं, अर्थात् संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रदत्त रक्षोपायों का विश्लेषण और जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना; संविधान एवं अन्य विधियों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान प्रावधानों की पुनरीक्षा करना तथा ऐसी विधियों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करना; महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी विषयों पर प्राप्त शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना और उपयुक्त अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को उठाना; महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन/शोध करना; महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर परामर्श देना तथा इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना; जेलों, सुधार–गृहों आदि का, जहां महिलाओं को रखा जाता है, निरीक्षण करना और जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्यवाही करना।

इस अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में विभिन्न कदम उठाए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्यवाही की। आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों एवं अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/जन सुनवाई बैठकों आदि में भाग लिया और महिलाओं पर किए गये अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त, वे जेल, अस्पतालों में भी गए और गैर–सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित किए गए कानूनी जागरूकता कैम्पों में भाग लिया ताकि वहां महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके और उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया जा सके। आयोग में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है।

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और त्वरित न्याय दिलाने के लिए उसने कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने लैंगिक आधार पर भेदभाव के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों तथा सेमिनारों/कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों आदि का आयोजन किया एवं नारी भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ हिंसा, बाल विवाह आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया। इन कार्यक्रमों के आयोजनों में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

आयोग का गठन

वर्ष 2008–09 के दौरान, आयोग में नियुक्त इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(i) डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा – 16.02.2005 से 15.02.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 09.04.2008 को कार्यभार संभाला)

(ii) सुश्री यास्मीन अब्रार, सदस्य – 24.05.2005 से 23.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 को कार्यभाल संभाला)

(iii) सुश्री नीवा कंवर, सदस्य – 27.05.2005 से 26.05.2008 (पुनः मनोनीत की गयीं और 15.07.2008 से 12.02.2010 तक पद पर आसीन रहीं)

(iv) सुश्री मंजु एस. हेम्ब्रोम, सदस्य – 30.06.2006 से 29.06.2009 तक

(v) सुश्री वानसुक सैयम, सदस्य – 26.09.2008 को कार्यभार संभाला

(vi) श्री एस. चटर्जी, सदस्य–सचिव – 10.09.2007 से 26.03.2010 तक

(vii) सुश्री ज़ोहरा चटर्जी, सदस्य–सचिव – 26.03.2010 को कार्यभार संभाला

आयोग के कृत्य मुख्यतः इसके चार प्रकोष्ठों द्वारा किए जाते हैं अर्थात शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ तथा अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ। प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का वर्णन क्रमशः अध्याय 3, 4, 5, 6 और 7 में किया गया है। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

आयोग की बैठकों में लिए गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सार

वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गईं। आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(1) आयोग की 18 जून, 2009 को हुई बैठक:

इस बैठक में भारत के संविधान में महिलाओं के कल्याणार्थ दिए गए विभिन्न उपबंधों और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों पर जनजातीय महिलाओं में कानूनी जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। यह सहमति हुई कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में एक विशेष स्कीम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम की अवधि दो घंटे होगी और उपलब्ध कराई गई निधि प्रति कार्यक्रम 5000/– रुपए से 7000/– रुपए तक होगी। कार्यक्रम इन राज्यों के कम से कम 50 प्रखंडों (ब्लॉकों) में आयोजित किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों में जनजातीय आबादी की सघनता वाले जिलों की पहचान करने की आवश्यकता है।

2. आयोग की 24 अगस्त, 2009 को हुई बैठक:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांग (2008–09) के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की 209वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की मद संख्या 18.2 के संबंध में यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2008–09 के संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्राप्त हुई 12,895 शिकायतों में से लंबित मामलों की संख्या 5,386 है। 2320 की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें (एटीआर) प्राप्त हुई थीं, 7509 शिकायतों पर कार्रवाई की गई और 1077 मामले बंद कर दिए गए। लंबित पड़े मामलों को निपटाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए दहेज, यौन उत्पीड़न आदि जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करके एक समिति गठित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि वर्ष–वार लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित विषयों के विशेषज्ञ संबंधित सदस्य के साथ बैठकर कार्य करेंगे। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट की प्रतियां शिकायतकर्ता को भेज दी जाएंगी और यदि एक उचित समय के भीतर शिकायतकर्ता से कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो मामले को बंद समझा जाएगा। बंद मामलों के संबंध में यह सहमति हुई कि यदि शिकायतकर्ता बाद के किसी चरण में अपनी शिकायत पर पुनः बल देता हो तो संबंधित मामले को फिर से खोला जा सकता है। बंद मामलों की फाइलों के उपयुक्त रखरखाव का उत्तरदायित्व अभिरक्षक/संबंधित परामर्शदाता का होगा।

3. आयोग की 18 नवंबर, 2009 को हुई बैठकः

(i) वर्ष 2007–08 और वर्ष 2008–09 के दौरान आयोजित किए जाने वाले विधि जागरूकता कार्यक्रमों के लंबित पड़े होने के संबंध में आयोग ने विचार–विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि जिन मामलों में डेढ़ वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात मार्च, 2009 तक कार्यक्रम आयोजित करने/अध्ययन कार्यक्रम चलाने के संबंध में कोई स्वीकार्यता पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन मामलों को बंद समझा जाए। जिन मामलों में फाइलें नहीं मिल रही हों, उनमें संबंधित संगठनों से बिल/वाउचर की प्रतियां प्राप्त करके फाइल फिर से तैयार की जाए और उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। भविष्य में जांच समिति के अनुमोदन के पश्चात मामलों पर कार्यवाही करने के लिए तय की गई समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। फाइलों के सुरक्षित रखरखाव का उत्तरदायित्व फाइलों के अभिरक्षक का है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अभिलेखों तथा अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ की फाइलों के रखरखाव के लिए 6 महीनों के लिए अस्थायी आधार पर कर्मचारी को तैनात करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में किसी नए कर्मचारी को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कार्य विद्यमान कर्मचारियों से ही कराया जाए।

(ii) एयर इंडिया की कर्मचारी श्रीमती कोमल सिंह द्वारा लगाए गए इस आशय के आरोप कि उसके साथ 03 अक्तूबर, 2009 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या आईसी–884 के पायलटों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया और वह उनके यौन आक्रमण की शिकार हुई, की घटना में जांच के लिए नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की उप–समिति की सिफारिशों से यह स्थापित हुआ कि एयर इंडिया के कैप्टन द्वारा वास्तव में उस महिला कर्मचारी को धक्का दिया गया था। चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो, इस प्रकार का आचरण स्वीकार्य नहीं है। अतः आयोग ने रिपोर्ट में दिए गए इस बिंदु पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की, जिसमें महिला कर्मचारी के साथ किए गए आचरण को युक्तियुक्त ठहराने की बात की गई थी। आयोग ने जोर देते हुए यह कहा कि एयर इंडिया के कैप्टन द्वारा सुश्री कोमल सिंह के साथ की गई धक्का–मुक्की और अशोभनीय भाषा का प्रयोग अनपेक्षित था तथा इससे उसके एक व्यावसायिक के रूप में और साथ ही एक महिला के रूप में भी पीड़िता की गरिमा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आयोग ने इस प्रकार के आचारण की निंदा की तथा इस बात पर बल दिया कि महिला की गरिमा और उसके सम्मान की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।

आयोग की अंतरिम रिपोर्ट और उपयुक्त टिप्पणियां उचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में विभिन्न संबद्ध एसोसिएशनों की राय भी प्राप्त की जाएगी तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

4. आयोग की 21 जनवरी, 2010 को हुई बैठक

(i) यह निर्णय लिया गया कि 2010 में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख राष्ट्र स्तरीय सेमिनार/कार्यशालाएं फरवरी और मार्च के महीनों में आयोजित की जाएं।

(ii) चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, डिब्रुगढ़, जोरहाट और शिवसागर में क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किए जाने हैं। इस संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ द्वारा विचारार्थ विषयों का सुझाव दिया गया। सेमिनारों का आयोजन स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, जिला प्रशासनों के माध्यम से किया गया।

(iii) आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर के नवीनीकरण से संबंधित कार्य में कोई तेजी नहीं आई है। इस संबंध में प्रशासन अनुभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ताकि बिना और देरी किए बैठने से संबंधित व्यवस्था और अन्य व्यवस्था उचित रूप में कर ली जाए।

5. आयोग की 12 फरवरी, 2010 को हुई बैठक

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य–सचिव एक लाख रुपए तक की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इस राशि से अधिक के व्यय के लिए आयोग का औपचारिक अनुमोदन अपेक्षित होगा। तत्काल व्यय करने की स्थिति उत्पन्न होने और आयोग की बैठक आयोजित करने में असमर्थता की स्थिति होने पर सदस्य–सचिव द्वारा आयोग की अध्यक्षा के परामर्श से एक लाख रुपए से अधिक की राशि का व्यय किया जाएगा तथा जब कभी भी आयोग की बैठक आयोजित की जाए, इस संबंध में आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) आगरा निवासी श्रीमती प्रीति कोहली के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ रखी गई। इसे आयोग द्वारा नोट किया गया क्योंकि इस संबंध में आयोग ने पहले ही उत्तर प्रदेश शासन और गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि उचित पुलिस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जांच की जाए और यथापेक्षित कार्रवाई की जाए।

(iii) अध्यक्षा ने यह निर्देश दिया कि आयोग की अगली बैठक की कार्यसूची में विभिन्न जांच समितियों की रिपोर्टें शामिल की जाएं। सभी सदस्यों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने द्वारा की गई जांचों के संबंध में लंबित रिपोर्टें यथाशीघ्र पूरी करके आयोग को प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य प्रतिनिधियों का दौरा

1. तिमोर–लेस्टे की संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा :

तिमोर–लेस्टे की राष्ट्रीय संसद से निर्धनता न्यूनीकरण, ग्रामीण विकास और लैंगिक समानता से संबंधित एक संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने श्री ओसोरियो फ्लोरिंडो (समिति के अध्यक्ष) के नेतृत्व में हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों और अन्य अधिकारियों से बातचीत की।

राष्ट्रीय महिला आयोग और इसके कार्यों के संबंध में संक्षिप्त बातचीत के पश्चात आयोग की अध्यक्षा ने यह स्पष्ट किया कि आयोग में तीन महत्त्वपूर्ण एकक कार्य कर रहे हैं – शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ, अनुसंधान और अध्ययन प्रकोष्ठ तथा विधिक प्रकोष्ठ। उन्होंने बताया कि आयोग का विधिक प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित कानूनों को प्रस्तावित और उनकी समीक्षा करता है जबकि अनुसंधान और अध्ययन प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित मामलों पर अध्ययन करता है तथा महिलाओं के अधिकारों और उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करता है।

आयोग के कार्यकरण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है और संबंधित मामले में जांच करने के लिए जांच समिति गठित करता है तथा जांच से प्राप्त हुई रिपोर्टें संबंधित राज्य या विभागों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं।

2. मैक्सिको के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

विश्व युवा सम्मेलन, 2010 के प्रमुख समन्वयक श्री सिसिलियो गार्जा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा और सदस्यों के साथ बातचीत की। आयोग में आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मैक्सिको

और भारत के बीच समानताओं पर विचार–विमर्श किया। तत्पश्चात श्री गार्जा ने मैक्सिको में आयोजित किए जाने वाले विश्व युवा सम्मेलन, 2010 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि काफी समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1985 को "अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष" के रूप में घोषित किया था और अब इस संबंध में समीक्षा करने और फिर से निर्णय करने का समय आ गया है। हमारी प्रमुख योजना युवकों के लिए अधिक समन्वित, व्यापक और सुसंगत रणनीति तैयार करने की है।

श्री गार्जा ने आयोग से सहायता प्रदान करने और अपने विचारों से अवगत कराते रहने का आग्रह किया। डॉ. व्यास ने आयोग में आए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि आयोग निश्चित रूप से इस संबंध में सकारात्मक रूप में कार्य करेगा।

3. नेपाली प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा

नेपाल के विभिन्न मीडिया संगठनों से 12 महिला संपादकों और पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग की अध्यक्षा, सदस्यों, सदस्य–सचिव और अधिकारियों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, सदस्य–सचिव श्री एस. चटर्जी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया जिसमें शिकायतों का निपटान, कानूनों की समीक्षा, महिलाओं से संबंधित मामलों पर अनुसंधान और कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव आदि शामिल है।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि भारत में महिलाओं के साथ अत्याचारों के संबंध में कुछ बहुत कठोर कानून निर्मित किए गए हैं किंतु उनके क्रियान्वयन की स्थिति काफी लचर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित ऐसे कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में नागरिक, समाज और मीडिया की भूमिका काफी व्यापक है।

इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए, विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता ने कहा कि भारत सरकार बलात्कार से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर रही है तथा बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाने पर विचार कर रही है तथा साथ ही, यौन आक्रमण की पीड़ित महिलाओं के लिए राहत, पुनर्वास और उद्धार कार्यक्रम का प्रारूप भी तैयार कर रही है।

नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मानव के अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की जिससे भारत और नेपाल दोनों देश ग्रसित हैं और यह आशा की कि भारत और नेपाल दोनों देश अपनी इस साझा समस्या से निपटने के लिए आपस में मिलकर कार्य करेंगे।

4. बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों का दौरा

बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग में पधारे और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

बैठक के पश्चात सामने आए कुछ सुझाव निम्नवत थेः

1. आयोग रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे आरक्षित करने के लिए रेल मंत्रालय को लिखेगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक रेलगाड़ियों में इस समय महिलाओं के लिए अलग से डिब्बे नहीं जोड़े जाते।
2. आयोग बिहार सरकार को विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने के लिए लिखेगा।
3. राज्य सरकार के साथ स्वाधार योजना को लागू करने से संबंधित मामले को उठाया जाए।
4. राष्ट्रीय आयोग महिलाओं से संबंधित मामलों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य महिला आयोग को अपनी सहायता प्रदान करेगा।

आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा विदेशों का दौरा

1. अध्यक्षा का भूटान दौराः

डॉ. गिरिजा व्यास, अध्यक्षा ने लोक सभा से भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चार दिनों की अवधि के दौरान भूटान का दौरा किया।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक में भाग लेना

डॉ. गिरिजा व्यास, संसद सदस्य और भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य ने न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक के 64वें सत्र की दूसरी समिति में निर्धनता उन्मूलन और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर अपना व्याख्यान दिया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे आर्थिक संकट, जो व्यापक बेरोजगारी के कारण है और जिसने लाखों लोगों को निर्धनता की दलदल में धकेल दिया है और जिसके कारण वर्षों के विकासात्मक क्रियाकलापों से हुए लाभों के समाप्त होने का खतरा सन्निकट है, को देखते हुए, निर्धनता उन्मूलन अत्यधिक अपरिहार्य हो गया है। अतः यह अत्यधिक आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धनता उन्मूलन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना जारी रखा जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को उन्नत बाज़ार अभिगम, ऋण से मुक्ति और अत्यधिक महत्त्व की प्रौद्योगिकियों को वहनीय मूल्यों पर अंतरित करके विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए, मानव विकास के सभी पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। विकासात्मक प्रक्रियाओं को सर्वाधिक महत्त्व देना सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जगत की सोच में अधिक लोच लाने की आवश्यकता है।

विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका से संबंधित मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक–आर्थिक विकास पर इसका गुणनात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः यह अनिवार्य है कि आयोजना और निर्णयन, शिक्षा, उत्पादनकारी संसाधनों तक वर्धित अभिगम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

डॉ. गिरिजा व्यास ने क्यूबा पर अमेरिकी नाकेबंदी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के विचार की पुष्टि भी की। डॉ. व्यास ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस कार्यसूची मद पर चर्चा करते हुए, "ऐसे किसी भी कानून और विनियम को लागू करने को विशेष रूप से और पूर्णतः अस्वीकार किया है जो संबंधित देश की प्रादेशिक सीमा से बाहर प्रभावित होता हो।" उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्य की बात है कि बार–बार संकल्प पारित किए जाने के बावजूद इनका कोई प्रभाव नहीं हो सका है।" उन्होंने जोर देकर कहा, "क्यूबा पर लगभग पांच दशक पुरानी अमेरिकी नाकेबंदी और अमेरिकी कानूनों का उसकी प्रादेशिक सीमा से बाहर लागू होना अभी भी जारी है। हम इस नाकेबंदी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।"

प्रेस सम्मेलन

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए स्कीम के संबंध में सम्मेलन कक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग में 04 जुलाई, 2009 को प्रेस सम्मेलन

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से अत्यधिक विक्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़िताओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने की स्कीम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि बलात्कार विरोधी कानून को प्रभावी बनाया जाए तथा महिलाओं और बच्चों के साथ हुए जघन्य यौन अपराधों को इस कानून की परिधि में लाया जाए।

मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग यौन आक्रमण से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस करता है क्योंकि मौजूदा कानून की परिधि में महिलाओं और बच्चों के साथ किए जा रहे नए–नए प्रकार के यौन आक्रमण संबंधी अपराध शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन का अनुरोध किया ताकि इसकी परिधि में विभिन्न अन्य प्रकार के यौन आक्रमणों को शामिल किया जा सके। ये सिफारिशें इस मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित थीं।

2. बलात्कार पीड़िताओं के लिए स्कीम पर राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान 25 जुलाई, 2009 को सिम्पोजिया हॉल, एनएएससी कांप्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं न केवल मानसिक और शारीरिक आघात से पीड़ित होती हैं बल्कि वे ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता होने पर कलंक और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कार की पीड़िताएं दो प्रकार के संकट के दौर से गुजरती हैं – एक बार जब उनके साथ बलात्कार होता है और दूसरी बार तब जबकि न्यायालय में अभियोजन संबंधी कार्रवाई चलाई जाती है। यह स्कीम पीड़िता को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने में समर्थ बनाने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए पुनर्वास अनुदान के रूप में 68 करोड़ रुपए का बजट सुरक्षित रखा गया है।

3. स्त्री अशिष्टरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन संबंधी सिफारिशों पर सिल्वर ओक हॉल, इंडिया हैबिटाट सेंटर, नई दिल्ली में 24 अगस्त, 2009 को 12.30 बजे अपराह्न आयोजित किया गया प्रेस सम्मेलन

दूरदर्शन पर महिलाओं के अशिष्ट रूपण से क्षुब्ध होकर राष्ट्रीय महिला आयोग इस कानून में आवश्यक परिवर्तन करने के पक्ष में है ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस कानून की परिधि में लाया जा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री और बाल अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए और अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जा सके और टेलीविजन के चैनलों पर भी यह कानून लागू हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने इस प्रेस सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में एक सिफारिश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। अधिनियम के कार्यक्षेत्र और उसकी प्रयोज्यता को व्यापक बनाने के लिए "विज्ञापन" शब्द की परिभाषा में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

डॉ. व्यास ने कहा कि विज्ञापन में लेजर लाइट और धुआं सहित किसी भी प्रकार के प्रकाश की सहायता से निर्मित दृश्य निरूपण के अतिरिक्त कोई भी सूचना, परिपत्र, लेवल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज शामिल होगा।

4. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के उद्घाटन के अवसर पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 27 अगस्त, 2009 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक विशेष अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो अनिवासी भारतीयों से विवाहों और उनसे संबंधित विवादों के मामलों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा।

मीडिया से बात करते हुए, डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग को अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकोष्ठ के जरिए, जिसके आधार पर प्रवासी भारतीय कार्य

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, महिलाएं मध्यस्थता द्वारा अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। यह प्रकोष्ठ विदेशों में रहने वाले अपने पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा।

5. 24 सितंबर, 2009 को 11.00 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आईसीसीडब्ल्यू भवन, नई दिल्ली में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में) शुरू किए जाने के अवसर पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

प्रेस से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अनिवासी भारतीयों से विवाहों के संबंध में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों के निपटान के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अनिवासी भारतीयों से विवाहों के संबंध में उत्पन्न शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

6. तेजाब से हुए हमलों की पीड़िताओं को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास विषय पर सम्मेलन कक्ष में 05 अक्तूबर, 2009 को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस

डॉ. गिरिजा व्यास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब से हमला अपराध निवारण विधेयक, 2008 का प्रारूप तैयार किया है। इस विधेयक में तेजाब से हुए हमलों को एक अलग प्रकार के अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजा गया विधेयक विशेष रूप से तेजाब से हुए हमलों से संबंधित है। इसमें पीड़िताओं के उपचार और उनके पुनर्वास से संबंधित स्कीमें शामिल हैं।

7. महिलाओं और बच्चों को भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संबंध में सम्मेलन कक्ष में 13 अक्तूबर, 2009 को 03.30 बजे अपराह्न आयोजित की गई प्रेस कान्फ्रेंस

भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रमुख बदलाव लाने से संबंधित मामलों पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, डॉ. व्यास ने कहा कि दावे दायर करने से संबंधित प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए और इसे समयबद्ध भी बनाया जाना चाहिए और अधिक से अधिक पांच सुनवाइयों में दावों का निपटान कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निजी कूरियर सेवाओं के जरिए भी पत्र भेजे जाने की वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जानी चाहिए।

8. 13 नवंबर, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली मेंघरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 को लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रेस से बातचीत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भारत भर में घरेलू हिंसा करने वालों की सूची में सबसे पहला स्थान है, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत 3892 मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में दिल्ली का दूसरा स्थान है, जहां 3463 मामले दर्ज किए गए हैं और केरल का तीसरा स्थान है, जहां 3190 मामले दर्ज किए गए हैं।

9. रुचिका मामले में 23 दिसंबर, 2009 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस. राठौर को एक अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के लिए काफी हलकी सजा देने वाले हाल में आए न्यायालय के आदेश पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरियाणा सरकार से इस मामले की फिर से जांच करने का अनुरोध किया।

डॉ. व्यास ने कहा, " राष्ट्रीय महिला आयोग इस बात से अत्यधिक व्यथित है कि इस विशेष मामले में प्रत्येक चरण पर जांच की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए प्रयास किए जाने का आरोप लगता रहा है।"

डॉ. व्यास ने हरियाणा के मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया है कि इस मामले में जांच में जो भी कमी रही है, उसकी पहचान की जाए और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने की संभावना तलाशी जाए। आयोग की अध्यक्षा ने कहा, "यह ज्ञात हुआ है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पुलिस द्वारा वापस ले लिया गया था।" हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी श्री राठौर को न्यायालय द्वारा दोषी माना गया किंतु उसे मात्र 6 महीने के कारावास की सजा दी गई।

10. आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों पर 21 जनवरी, 2010 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

अनिवासी भारतीयों से विवाह के मुद्दे पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने सुझाव दिया कि अनिवासी भारतीयों से संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक पृथक कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि अनिवासी भारतीय दुल्हे केवल दहेज के लिए भारत में विवाह करते हैं और थोड़े समय तक पति की भूमिका निभाने के पश्चात वे अपनी पत्नी को परित्यक्त कर देते हैं तथा ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को, जिसे 6 महीने पहले ही गठित किया गया था, वैवाहिक विवादों के संबंध में लगभग 177 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत एक वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को ऐसी लगभग 331 शिकायतें प्राप्त हुईं। डॉ. व्यास ने कहा, "अमेरिका से सर्वाधिक 130 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसके पश्चात ब्रिटेन से 44 और कनाडा से 37 शिकायतें प्राप्त हुईं। भारत में सर्वाधिक 87 शिकायतें पंजाब से प्राप्त हुईं जिसके पश्चात दिल्ली से 59 और हरियाणा से 21 शिकायतें प्राप्त हुईं।"

11. महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में 06 मार्च, 2010 को आयोजित प्रेस सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पर एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रेस सम्मेलन में मीडिया के अतिरिक्त विभिन्न महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आयोग की अध्यक्षा ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यू) और वामपंथी पार्टियों को धन्यवाद दिया।

उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

आयोग द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकें/कार्यशाला

1. "महिलाओं के प्रति हिंसा" विषय पर मुंबई में सेमिनार आयोजित किया गया।
2. "बलात्कार पीड़िताओं को राहत" विषय पर एनएएससी कंप्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में 25 जुलाई, 2009 को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार को संबोधित करती हुईं आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

3. राजस्थान के जोधपुर में दिसंबर, 2009 में "गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम" पर आयोजित परामर्श सत्र।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास विषय पर आयोजित एक पारस्परिक वार्ता सत्र में आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास – दाएं से प्रथम

4. "भरण–पोषण प्रदान करने" विषय पर बेंगलुरु में अक्तूबर, 2009 में राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया गया।

5. "महिलाओं के अधिकार" विषय पर शिलांग में फरवरी, 2009 में क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

6. "बाल विवाह" विषय पर चित्तौड़गढ़ में मार्च, 2009 में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

7. "विवाह योग्य आयु" विषय पर 27 अगस्त, 2009 को विज्ञान भवन में एक सेमिनार आयोजित किया गया।

इंडिया इस्लामिक सेंटर, नई दिल्ली में "अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह" विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करती हुईं आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 27 अगस्त, 2010 को संपन्न "अनिवासी भारतीयों से विवाह" विषय पर आयोजित सेमिनार में अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के उद्घाटन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करती हुई आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास – दाएं से प्रथम

8. "घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम को लागू करने" विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13 नवंबर, 2009 को एक सेमिनार आयोजित किया गया।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करती हुई आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास

9. "डायन प्रथा" विषय पर उदयपुर में दिसंबर, 2009 में एक परामर्श सत्र आयोजित किया गया।

10. "बाल विवाह" विषय पर जोधपुर में दिसंबर, 2009 में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनापत्र 'राष्ट्र महिला'

आयोग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित मासिक सूचनापत्र **"राष्ट्र महिला"** के माध्यम से देशभर में महिला कार्यकर्ताओं, कानून जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना पहुंचाना जारी रखा गया।

इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों तथा साथ ही आयोग में दायर की गई शिकायतों के निपटान और महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण अदालती और सरकारी निर्णयों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। मुद्रण की बढ़ती लागत के बावजूद, यह सूचनापत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों के मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करना

"अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) द्वारा की गई एक सिफारिश समस्याग्रस्त अनिवासी भारतीय व्यक्तियों के साथ विवाह के मामलों में उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए एक पूर्ण रूप से विकसित/समन्वित तंत्र विकसित करने से संबंधित है ताकि व्यथित महिला को उसकी समस्या का एक सम्मानजनक समाधान प्राप्त हो सके। इस सिफारिश पर एक अंतर–मंत्रालयीय बैठक में विचार–विमश किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा विदेशों में स्थापित भारतीय मिशनों/पोस्ट से इस निर्णय पर ध्यान देने तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

यूनिफेम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिनांक 28.01.2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग और यूनिफेम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में किए गए करार निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:

क. महिलाओं के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के हिंसात्मक व्यवहारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्यनीति विकसित करना, जिसमें भारत में महिलाओं के दुर्व्यापार को समाप्त करने के लिए कार्यनीति विकसित करना और नीतिगत वार्ता आयोजित करना तथा अध्ययनों, कार्रवाई, अनुसंधान और अन्य साधनों के जरिए भारत में उन क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है जहां महिलाओं के हर प्रकार से दुर्व्यापार की संभावना सर्वाधिक हो तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई में स्रोत क्षेत्रों के निवारण, कानून का प्रवर्तन, पुनर्वास, सुदृढ़ीकरण नीतियों पर भी बल दिया जाएगा।

ख. महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) पर नीतिगत चर्चा आयोजित करना, जिसमें जनता में जागरूकता सृजित करना, उक्त अभिसमय (कन्वेंशन) को लागू करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना शामिल है।

ग. अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिला शिकायतकर्ताओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने में मदद करना, जिसमें गैर–सरकारी संगठनों, भारत

और विदेश में सामुदायिक संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करना तथा अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह के संबंध में किसी भी नीति या मुद्दे पर सरकार को सिफारिश करना, महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले पर परामर्श सत्र, कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है। इस करार के परिणामस्वरूप एक कार्यदल गठित किया गया है, जिसमें यूनिफेम के दो अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के दो अधिकारी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अभिरक्षक संस्थाओं का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(10) के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्य यह भी है कि उसके द्वारा जेलों, रिमांड गृहों, महिला संस्थाओं या हिरासत की ऐसी किसी भी जगह जहां महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में रखा जाता हो, का निरीक्षण करे या करवाए तथा ऐसी जगहों पर महिलाएं यदि किसी प्रतिकूल स्थिति में रह रही हों तो तत्संबंधी उपचारात्मक कार्रवाई हेतु मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाए। हवालात में रखी गई महिलाओं की दशा का आकलन करने और विश्लेषण करने के लिए आयोग के सदस्यों ने वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित जेलों का दौरा किया तथा निम्नलिखित प्रेक्षण/सिफारिशें कीः

- **राजस्थान स्थित सवाई माधोपुर जेलः**

आयोग के एक सदस्य ने दिनांक 05.07.2009 को सवाई माधोपुर जेल का निरीक्षण किया तथा उन्होंने वहां यह पाया कि महिला कैदियों को दी गई जगह काफी कम थी, जिसके कारण बहुत थोड़ी जगह में काफी अधिक संख्या में महिला कैदी रह रही थीं। वहां महिला कैदियों को क्षमता से अधिक संख्या में रखा गया था। जेल का वातावरण भी साफ–सुथरा नहीं था। जेल में रह रही कैदियों ने अपने कमरों में टेलीविजन सेट लगवाने का अनुरोध किया।

लंबित पड़े मामलों के संबंध में भी जेल अधीक्षक से बातचीत की गई। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि जेल में महिला कैदियों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उनके लिए निर्धारित की गई जगह बढ़ाने के संबंध में तथा उनके मनोरंजन हेतु उनके कमरों में टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजे।

- **महिला जिला जेल, शिलांगः**

आयोग की एक सदस्य ने 22 सितंबर, 2009 को महिला जिला जेल, शिलांग का दौरा किया और जेल के चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से भेंट की। निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि महिला कैदियों के लिए दो शयन कक्ष उपलब्ध हैं, जिनका काफी अच्छी तरह रखरखाव किया जाता है। इस जेल में 7 महिला कैदी रह रहे थे, हालांकि जेल भवन काफी पुराना था किंतु उसके आसपास का क्षेत्र काफी साफ–सुथरा तथा पूर्णतः व्यवस्थित था।

जेल में उपलब्ध सुविधाओं के रूप में वहां व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप जैसे टोकरी बुनना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कार्य आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इन क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण वाइज (डब्ल्यूआईएसई) नामक एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। वहां एक छोटा बगीचा तथा आउटडोर और इनडोर खेलों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। महिला कैदियों को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं/समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जेल में एक चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद है। जेल में रह रही महिला कैदी संतुष्ट, स्वस्थ और सुखी लग रही थीं।

तथापि निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

1. मेघालय राज्य महिला आयोग द्वारा जेल की कैदियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उन्हें कानूनी

सहायता उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि आयोग के पास अपना एक वकील है।

2. मेघालय राज्य महिला आयोग इन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है।

3. मेघालय राज्य महिला आयोग और इसके सहयोगी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा जेल में रह रही कैदियों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, मेघालय राज्य महिला आयोग, जेल अधिकारियों और मीडिया के बीच पारस्परिक बातचीत के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मामले विचारार्थ सामने आए:

क. पीड़ित महिलाओं को लिए गणेश दास अस्पताल में एक विशेष महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए, जहां बलात्कार पीड़िताओं का त्वरित उपचार और उनकी जांच की जा सके तथा उन्हें परामर्श आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के हितों के अनुकूल कार्य किया जाना है।

ख. पुलिस थानों में महिला डेस्क का कार्य न करना।

ग. चूंकि महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, अतः महिलाओं के साथ अपराध से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग को मेघालय को और अधिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है।

- **जोवई जिला जेलः**

आयोग की सदस्य ने दिनांक 23 सितंबर, 2009 को जोवई जिला जेल का दौरा किया और और जिला जेल के अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारी से भेंट की। निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि इस जेल में 40–वर्षीया केवल एक ही महिला कैदी थी। इस जेल का रखरखाव काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा था और वहां मनोरंजन हेतु टेलीविजन की व्यवस्था थी और सिलाई, दश्तकारी आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने जेल में रह रही एकमात्र महिला कैदी की सुरक्षा और उसके कल्याण के प्रति अत्यधिक चिंता व्यक्त की।

यह सुझाव दिया गया कि राज्य महिला आयोग जेल में रह रही कैदी को कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। जयंतिया युवा संघ के सचिव ने उस महिला को जमानत पर छुड़वाने के संबंध में अपनी सहमति दी। वहां मीडिया कर्मियों के साथ भी बातचीत हुई।

- **सिक्किम राज्य जेल, रोंगयिक और जिला जेल, नामची**

इन जेलों का राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य द्वारा 26 सितंबर, 2009 को दौरा किया गया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कारागार) और अन्य जेल अधिकारियों से भेंट की, जिन्होंने जेल में रह रही महिला कैदियों के मामलों तथा कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में उनसे बातचीत की। कुल मिलाकर, उन जेलों में 9 महिला कैदी रखी गई थीं। कारागार महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था। कारागार के प्रशासन ने अपराधियों के पुनरुद्धार, पुनर्वास और एक ईमानदार विचार के साथ समाज में फिर से लौटने के लिए उन्हें प्रेरित करने के अत्यधिक दुरुह कार्य को शुरू किया है तथा कैदियों को मशरूम की खेती, फर्नीचर निर्माण और बौद्ध धर्म से जुड़े चित्रों/घटनाओं की नक्काशी, कारागार के चाय बागान से हस्तनिर्मित चाय तैयार करने, बांस से बनाए गए उत्पादों, सिलाई, लिफाफा बनाने, पृष्प कृषि और उद्यान कृषि, जेटरी, डेयरी फार्मिंग, बेकरी और कन्फेक्शनरी तथा स्क्रीन प्रिंटिंग आदि जैसे व्यावसायिक कार्यक्रमों/व्यवसायों में लगाकर उनमें उपयुक्त रूप से सुधार लाने की चुनौती से निपटने का कार्य शुरू किया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कारागार में हार्डवेयर और नेटवर्किंग कंप्यूटर पाठ्यक्रम, यांत्रिक कार्यशाला तथा वेल्डिंग कार्य, भवन निर्माण, नलसाजी, इलेक्ट्रिक वायरिंग में से प्रत्येक के लिए एक यूनिट शुरू किया जाए। कारागार के निकट एक पर्यटक स्थल विकसित

करने का प्रस्ताव पहले ही राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति जिला जेल, नामची में संतोषजनक और सिक्किम जेल में उत्तम पाई गई।

- **सवाई माधोपुर अस्पताल**

आयोग की एक सदस्य ने दिनांक 27.11.2009 को इस अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। यह अस्पताल काफी दयनीय स्थिति में था। अस्पताल के परिसर में आवारा पशु घूम रहे थे। जीवनोपयोगी औषधियों के भंडार, महिला और प्रसव वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को निःशुल्क दी जाने वाली दवाइयों की संख्या से संबंधित विवरण में कमी पाई गई। यह सूचित किया गया कि अस्पताल में रेडियोविज्ञानी, संज्ञाहरणविज्ञानी और शल्यचिकित्सक के पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पताल के निकट एक पुलिस चौकी स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि अस्पताल की चाहरदीवारी निर्मित करने के संबंध में व्यवस्था की जाए और प्रवेश स्थल पर एक मुख्य द्वार बनवाया जाए ताकि अस्पताल के परिसर में पशुओं के प्रवेश पर रोक लग सके। अस्पताल प्रशासन को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया जो अपने कर्त्तव्यों का उपयुक्त रूप में निर्वहन नहीं कर रहे हों। अस्तपाल में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि उन्हें इस मामले को उठाना चाहिए और इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत करनी चाहिए। सदस्या ने एक महिला रोगी से भी मुलाकात की, जिसने अपनी आठवीं पुत्री को जन्म दिया था, जिसके कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। सदस्या द्वारा अस्पताल प्रशासन को उस रोगी की सहायता करने के लिए कहा गया।

3 शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ आयोग का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है। यह समूचे देशभर से प्राप्त ऐसी शिकायतों को सुलझाता है, जहां कहीं किसी महिला के अधिकार का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ अन्याय अंतर्ग्रस्त होने वाला कोई मुद्दा शामिल हो। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ मौखिक, लिखित रूप में तथा आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के जरिए ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की क्रियाविधि

जैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत प्राप्त होती है (किसी भी तरीके से), उसे पंजीकरण हेतु शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में भेजा जाता है, जहां उसकी आयोग में प्राप्ति की तिथि, संख्या, प्रेषक का नाम तथा पता, मामला संख्या, श्रेणी तथा राज्य, आदि जैसे ब्योरों को नोट किया जाता है। पंजीकरण शिकायत की प्राप्ति की तिथि के 24 घंटे के भीतर किया जाता है। फिर एक जांच समिति गठित करने की अध्यक्षा की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रायः संज्ञान में ली गई शिकायतों को क्रम–वार नोट किया और शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के विभिन्न पराशर्मदाताओं के मध्य वितरित किया जाता है। प्रत्येक परामर्शदाता एक सदस्या के साथ संबद्ध होता है, जो किसी विशेष मामले में निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है।

परामर्शदाता शिकायतों की संक्षिप्त प्रसारण रिपोर्ट (बी टी आर) तैयार करते हैं, जिसमें वे राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति तथा अधिदेश के अनुसार मामले में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देते हैं। उक्त रिपोर्ट को फिर अनुमोदन हेतु संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात परामर्शदाता आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को मुहैया कराई जाती है और उससे कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग को अपनी टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता/आवेदक को कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो शिकायत को संबंधित सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उनके अनुमोदन से उसे बंद कर दिया जाता है। तथापि यदि शिकायतकर्ता कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी टिप्पणियों को मंगवाया जाता है तथा उसके पश्चात उनके मद्देनजर उचित कार्रवाई की जाती है। आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा किसी घटना/घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेने, संबंधित प्राधिकारियों से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाने, सुनवाई हेतु पक्षों को बुलाने, सुनवाई करने तथा बयानों को दर्ज करने, परामर्श सत्र आयोजित करने तथा समाधान लाने और रिपोर्टों पर सिफारिशें करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ उप–सचिव/संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में और संबंधित सदस्या के समग्र पर्यवेक्षण तथा दिशानिर्देश में कार्य करता है। अंतिम निर्णय संबंधित सदस्या द्वारा लिया जाता है, जो यह निर्णय करता है कि क्या मामले को बंद कर दिया जाए अथवा और आगे सुनवाई की जाए अथवा संबंधित प्राधिकारियों से और रिपोर्टें प्राप्त की जाएं अथवा आयोग के अनुमोदन से एक जांच समिति के गठन की सिफारिश की जाए। तथापि समिति का गठन केवल अध्यक्षा द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। सामान्यतया शिकायत के अंतिम निपटान के समय सभी मामलों में शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा जाता है, चाहे आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया हो अथवा नहीं। शिकायत

एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विनियमों का ब्योरा "राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2005, भाग–II (शिकायतों पर कार्रवाई करने संबंधी प्रक्रिया)" और शिकायतों को बंद करने की प्रक्रिया, (शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ), 2010" में दिया गया है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता को उचित राहत प्रदान करने और शिकायतकर्ता की शिकायतों के उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। मामले के निपटान हेतु निम्नलिखित तरीके अपनाए जा रहे हैं:

- जिन विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करने में पुलिस द्वारा उदासीनता बरती गई हो, उनसे संबंधित ब्योरा जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है;
- पारिवारिक विवादों/वैवाहिक विवादों को परामर्श के माध्यम से सुलझाया जाता है;
- गंभीर अपराधों हेतु आयोग एक जांच समिति का गठन करता है, जो मौके पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों से पूछताछ करती है, साक्ष्य एकत्र करती है तथा सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसी जांच हिंसा तथा अत्याचार से पीड़िता को तत्काल राहत तथा न्याय दिलवाने में सहायक होती है। आयोग ऐसे मामलों को संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के समक्ष उठाकर जांच समितियों की सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखता है;
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संबंधित संगठन/विभाग को ***विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में,*** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ***(ए आई आर 1997 उच्चतम न्यायालय 3011)*** के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो व्यथित महिला कर्मचारी की शिकायत पर जांच करेगी और आयोग को तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोग ने विभिन्न राज्यों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया है जिसमें सरकारी के साथ–साथ निगमित क्षेत्रों में भी "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" से संबंधित मामलों में जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने पर बल दिया गया है।

ऐसी शिकायतें, जिन पर आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती:

निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों में आयोग द्वारा सामान्यतः कार्रवाई नहीं की जाती है:

क. ऐसी शिकायतें जो स्पष्टतः पढ़ी न जा सकें या संदिग्ध हों, गुपचुप तरीके से की गई हों या छद्म नाम से की गई हों; या

ख. यदि उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद (दीवानी मामले) से संबंधित हो, जैसेकि संविदात्मक अधिकार दायित्व आदि से संबंधित मामले;

ग. यदि उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

घ. यदि उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित हो, जिनमें महिला अधिकारों की वंचना शामिल न हो;

ड. यदि मामला किसी न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन हो;

च. राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे किसी भी मामले में जांच नहीं करेगा, जो किसी राज्य महिला आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत विधिवत गठित किसी अन्य आयोग में लंबित हो;

छ. यदि मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो;

ज. यदि मामला किसी अन्य आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की परिधि से बाहर हो;

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायतों के पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शिकायतों को जल्द और आसानी से पंजीकृत कराए जाने की दृष्टि से स्थापित की गई है। इस सुविधा से, आयोग के वेबसाइट www.nic.in के जरिए और आयोग के ई–मेल अर्थात ncw@nic.in के जरिए शिकायतें पंजीकृत कराई जा सकती हैं। अब भारत के या विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कथित शिकायत को एक पंजीकरण नम्बर दिया जाता है और किसी परामर्शदाता विशेष के नाम चढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात इसका निपटान उसी प्रक्रिया से किया जाता है जो डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्राप्त शिकायत के बारे में अपनाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति के बारे में जानना चाहे तो उसे केवल वेबसाइट पर लॉग–इन करना होता है और अपने मामले की संख्या और संगत पासवर्ड टाइप करने के बाद वह अपने मामले में हुई कार्यवाही तथा प्रगति के बारे में जान सकता है।

शीर्ष, जिनके अंतर्गत शिकायतों का पंजीकरण किया जाता है:

आयोग में प्राप्त और पंजीकृत शिकायतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है:

(1) तेजाब से हमला
(2) हत्या का प्रयास
(3) बलात्कार का प्रयास
(4) द्वि–विवाह/व्यभिचार
(5) बालकों की अभिरक्षा
(6) साइबर अपराध
(7) परित्याग
(8) तलाक
(9) घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद
(10) दहेज हत्या
(11) दहेज उत्पीड़न
(12) बालिका शिशु हत्या/भ्रूणहत्या
(13) कार्यस्थल पर उत्पीड़न
(14) दहेज हेतु उत्पीड़न/निर्दयतापूर्ण व्यवहार
(15) अपहरण/भगा ले जाना
(16) भरण–पोषण
(17) विविध
(18) महिला के साथ छेड़छाड़ करना/उसे तंग करना
(19) हत्या
(20) अनधिदेशित
(21) अनिवासी भारतीयों से विवाह
(22) पुलिस की उदासीनता
(23) पुलिस द्वारा उत्पीड़न
(24) संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन)
(25) बलात्कार
(26) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
(27) आश्रय/पुनर्वास

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतें (श्रेणी–वार और राज्य–वार)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग को **15985** शिकायतें/मामले प्राप्त हुए और उनका पंजीकरण किया गया। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों/मामलों का श्रेणी–वार और राज्य–वार विवरण अनुलग्नक **क–II** और **क–III** में दिया गया है, जहां शिकायतों को 27 श्रेणियों/शीर्षों के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त शिकायतों/मामलों का श्रेणी–वार वर्गीकरण अनुलग्नकः **क–II** में दिया गया है। यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त सर्वाधिक **2234** शिकायतें पुलिस की उदासीनता से संबंधित हैं, जिसके बाद घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद से संबंधित **2155** शिकायतें और दहेज उत्पीड़न से संबंधित **1339** शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थीं। दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या **521**, महिलाओं के साथ छेड़छाड़/तंग करने के मामलों की संख्या **461,** अपहरण/भगा ले जाने के मामलों की संख्या **174**, पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या **516** थी। बलात्कार के प्रयास से संबंधित शिकायतों की संख्या **249** तथा बलात्कार से संबंधित मामलों की संख्या **543** थीं। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या **65** थी जबकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की संख्या **401** थी। द्विविवाह/व्यभिचार के मामलों की संख्या **107** तथा संपत्ति (विधवा संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि) से संबंधित शिकायतों की संख्या **764** थी। तलाक के मामलों से संबंधित शिकायतों की संख्या **02** और तथा परित्याग से संबंधित मामलों की संख्या **02** थी। तेजाब से हमलों के **04** मामले और विविध प्रकार के **6376** मामले दर्ज किए गए।

ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई है :

क्र. सं.	श्रेणी*	शिकायतों की संख्या
1.	पुलिस की उदासीनता	2234
2.	घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद	2155
3.	दहेज उत्पीड़न	1339
4.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति, स्त्रीधन, आदि)	764
5.	बलात्कार	543
6.	दहेज हत्या	521
7.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	516
8.	महिलाओं के साथ छेडछाड़ करना/तंग करना	461
9.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	401
10.	बलात्कार का प्रयास	249

***टिप्पणी:** उपर्युक्त सारणी में विविध/अनधिदेशित श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग को प्राप्त राज्य–वार शिकायतों/मामलों को अनुलग्नकः **क–III** में दर्शाया गया है। आयोग को उत्तर प्रदेश से **8644** शिकायतें/मामले जबकि दिल्ली से **2094** शिकायतें, राजस्थान से **1339** शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे राजस्थान इस मामले में तीसरे स्थान पर है, आयोग को प्राप्त हुई शिकायतों के मामले में हरियाणा चौथे स्थान पर और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है, जहां से आयोग को क्रमश' **710** और **674** शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान ऊपर से अवरोही क्रम में दस श्रेणियों की सूची, जिनमें शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, नीचे दशाई गई हैः

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	8644
2.	दिल्ली	2094
3.	राजस्थान	1339
4.	हरियाणा	710
5	मध्य प्रदेश	674
6.	बिहार	465

क्र. सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
7.	महाराष्ट्र	409
8.	उत्तराखंड	304
9.	पंजाब और झारखंड	प्रत्येक 209
10.	तमिलनाडु	158

अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग विपदाग्रस्त महिलाओं तथा साथ ही समाज को भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहा है। शिकायतों के निपटान में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/प्रणाली से शिकायतों के निपटान में अनेक सफलताएं मिली हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सफल मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयोग द्वारा निपटाए गए चुनिंदा सफल मामले

1. 66–वर्षीय एक महिला श्रीमती एक्स ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष यह गुहार लगाई कि उसका जनकल्याण ट्रस्ट, आनंद निकेतन वृद्ध सेवाश्रम, नोएडा, उ.प्र. के सचिव द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया है और तत्पश्चात उसे आश्रम से बाहर फेंक दिया गया है। उसने आयोग को यह भी बताया कि उसे भोजन देने से मना कर दिया गया और उसे बार–बार वृद्धाश्रम को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। उसने ट्रस्ट के समक्ष अपना विरोध प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह वृद्धाश्रम से तभी जाएगी यदि उसे उसके 1,00,000/– रुपए, जिसे उसने ट्रस्ट में दानस्वरूप जमा कराया था, लौटा दिए जाएं। तथापि ट्रस्ट के लोगों ने उसे यह कहते हुए उक्त राशि लौटाने से इनकार कर दिया कि वह राशि दानस्वरूप थी और अप्रतिदेय थी। शिकायतकर्ता ने इस स्थिति से अत्यधिक क्षुब्ध और व्यथित होकर अपनी धनराशि की वापसी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, शिकायतकर्ता और सचिव, जनकल्याण ट्रस्ट, आनंद निकेतन वृद्धाश्रम, नोएडा को आयोग के कार्यालय में बुलाकर उनके साथ बैठक की। विस्तृत सुनवाई के पश्चात ट्रस्टीज शिकायतकर्ता को 60,000/– रुपए लौटाने पर सहमत हुए क्योंकि वे विवाद को उपयुक्त रूप में सुलझा लेना चाहते थे। परिणामस्वरूप श्रीमती एक्स को ट्रस्ट द्वारा जारी चैक के माध्यम से 60,000/– रुपए लौटा दिए गए, जिसके पश्चात उसने अपनी सभी वस्तुओं के साथ ट्रस्ट के कमरे को खाली कर दिया।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग को बीएसएफ कार्मिकों द्वारा चार महिलाओं पर कथित शारीरिक हमलों के संबंध में माननीय अध्यक्षा, मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग से एक शिकायत प्राप्त हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली और महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग को इस मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए उनसे कृत कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा। तत्पश्चात आयोग को महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली से इस मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मामले की जांच करने के लिए महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, शिलांग द्वारा एक जांच न्यायालय गठित करने का आदेश जारी किया गया है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि संबंधित पक्षों के बीच मामले पर पारस्परिक समझौता हो गया है और कोर्ट में "समझौता विलेख" प्रस्तुत किया गया है, जिसके पश्चात कार्यवाही बंद कर दी गई है क्योंकि पिनुरस्ला पुलिस थाने में दर्ज मामले की सभी धाराएं समाधेय या समझौतायोग्य थीं।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग को जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनके पति स्व. श्री एक्स ब्रुकबांड कंपनी, कोलकाता में काम कर रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा उन्हें उनके मृतक पति की पेंशन/बकाया राशि का

भुगतान नहीं किया जा रहा है और एक अंतिम सहारे के रूप में उसने सहायता हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मामले पर कार्रवाई करते हुए, उस महिला के पति के नियोक्ता अर्थात हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की गई। इस संबंध में आयोग को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मुबई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि मृतक की पत्नी अर्थात शिकायतकर्ता के पक्ष में अनुग्रही भुगतान जारी कर दिया गया है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वी दिल्ली की निवासी श्रीमती एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने अपने पति पर उसके साथ उत्पीड़न/विश्वास भंग करने/निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने/धोखाधड़ी करने/द्विविवाह करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसके पति ने उसका परित्याग कर दिया है और उसे अपने पति के पता–ठिकाना के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अत्यधिक व्यथित होकर उसने सहायता और हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण ली है। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कार्रवाई करते हुए, शिकायतकर्ता के पति के पता–ठिकाना के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई जिसके पश्चात शिकायतकर्ता का पति आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों को सलाह दी गई कि वे अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। परिणामस्वरूप वे अपनी एकमात्र अल्पवयस्क पुत्री के भविष्य को देखते हुए, अपने मतभेदों का आपस में मिलजुलकर समाधान करने पर सहमत हो गए।

5. राष्ट्रीय महिला आयोग को पूर्वी जिला, दिल्ली की निवासी श्रीमती वाई से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर उसके साथ उत्पीड़न/अत्याचार/घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई की और दोनों पक्षों अर्थात शिकायतकर्ता और उसके पति को आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया। इसके पश्चात दोनों पक्ष आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उनके साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई जिसमें शिकायतकर्ता के पति ने अपना दोष स्वीकार किया और आयोग को लिखित में यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वह अपनी पत्नी का उचित ध्यान रखेगा।

6. राष्ट्रीय महिला आयोग को उड़ीसा की स्थायी निवासी श्रीमती जेड से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसकी बहन श्रीमती वाई की उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अधिक दहेज की मांग के चलते निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई है। उसने यह कहा कि उसकी बहन से उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग विवाह के तुरंत बाद ही दहेज की मांग और उसका उत्पीड़न करने लगे थे और जब वह उनके दिनानुदिन बढ़ती जा रही दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाई तो उसकी गुजरात के आनंद जिले में निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं कर रही है और यहां तक कि इस मामले में नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा मृतका के पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोपित भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) अर्थात "दहेज हत्या" की धारा हटाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए, पुलिस महानिदेशक, गांधीनगर, गुजरात, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, आनंद और पुलिस अधीक्षक, आनंद से कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे संबंधित मामले में उपयुक्त कार्रवाई शुरू करें। तत्पश्चात आयोग को गुजरात पुलिस से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि इस मामले की फिर से जांच की गई है, जिसके पश्चात संबंधित न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल

कर दिया गया है तथा जांच के दौरान आईपीसी की धारा 304–बी हटाई नहीं गई है।

7. नई दिल्ली–18 की निवासी श्रीमती जे ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि वह जिस स्कूल में कार्य करती है, वहां के चेयरमैन द्वारा उसका "यौन उत्पीड़न/कार्यस्थल पर उत्पीड़न" किया गया है। उसने यह आरोप लगाया कि उक्त अपराधी द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर उसका उत्पीड़न किया गया है/उसे यातना दी गई है। उसने यह भी कहा कि जब उस अपराधकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता ने उसके विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है तो उसके साथ और अधिक उत्पीड़क व्यवहार करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उसे बिना किसी ठोस आधार के सेवा से निलंबित कर दिया गया/उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उस स्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष से कृत कार्रवाई रिपोर्टों की मांग की। तत्पश्चात आयोग को शिक्षा निदेशालय से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह सूचित किया गया कि इस मामले में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी जिसने अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ निदेशालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने स्कूल के प्रबंधन को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को फिर से नौकरी पर रख लिया जाए और समिति द्वारा दोषी पाए गए कथित अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। बाद में, आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई कि शिकायतकर्ता को नौकरी पर फिर से रख लिया गया है और अपराधकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू की गई है।

8. मुजफ्फरपुर, बिहार की एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग से यह शिकायत की कि उसके माता–पिता उसका इस कारण उत्पीड़न कर रहे हैं कि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है। उसके माता–पिता, उसके पति और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को अपहरण के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग से अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा हेतु प्रार्थना करते हुए, शिकायत की। आयोग ने मामले पर कार्रवाई करते हुए, मुजफ्फरपुर रेंज, बिहार के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायतकर्ता के बयान की एक प्रति और उसके आयु प्रमाण–पत्र के साथ एक पत्र भेजा। आयोग ने पुलिस से भी बात की और यह बताया कि वह महिला स्वयं आयोग के कार्यालय में उपस्थित हुई थीं और अपने विवाह के संबंध में बताया था तथा आयु के संबंध में उसने प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया था। उसके पश्चात पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

9. एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष यह शिकायत की कि श्री वाई नामक एक व्यक्ति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का चिकित्सक होने का झूठा दावा करते हुए, उसके पुत्र को गलत दवाइयां लेने की सलाह दी, जिसके कारण उसके पुत्र का गुर्दा काम करना बंद कर चुका है। इस नकली डॉक्टर के विरुद्ध हरिनगर पुलिस थाना, पश्चिमी जिला, नई दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिस मामले में श्री वाई ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि उसे न्यायालय द्वारा जमानत देने से मना कर दिया गया था, किंतु पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए, हरिनगर थाने के थानाध्यक्ष को उक्त शिकायत पर विस्तृत कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया। हरिनगर थाने के थानाध्यक्ष ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर एक कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कहा गया कि कथित अभियुक्त को

गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय ने उसे दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तत्पश्चात आयोग के हस्तक्षेप पर उसकी कंपनी ने अभियुक्त औषधि प्रतिनिधि को सेवा से निकाल दिया।

10. एक महिला शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की कि उसकी ससुराल पक्ष के लोग उसे शारीरिक और मानसिक यातना दे रहे हैं और उसका पति भी उसके साथ वैवाहिक संबंध को जारी रखने का इच्छुक नहीं है जिसके कारण वह उसकी कोई देखभाल नहीं करता। उसने आयोग से अपील की कि उसे उसका स्त्रीधन वापस दिलवा दिया जाए। आयोग ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया। आयोग के कार्यालय में हुई 5–6 सुनवाइयों के पश्चात दोनों पक्ष उपयुक्त हल पर पहुंच गए जिसके अनुसार पति–पत्नी के बीच तलाक के लिए पारस्परिक सहमति हुई और उस महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने आयोग के कार्यालय में ही उसे उसका स्त्रीधन लौटा दिया।

11. दिल्ली की रहने वाली एक महिला शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पहुंचकर यह शिकायत की कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसका शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं/उसके साथ निमर्म व्यवहार कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उसे यह कहा गया है कि यदि वह अपने मायके से भरपूर दहेज लेकर नहीं आती है तो उसका पति उससे सभी संबंध तोड़ लेगा और किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेगा। उसने आयोग से यह अपील की कि उसे उसका स्त्रीधन वापस दिलवाया जाए और साथ ही दोषियों को दंडित किया जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आयोग ने दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को भी एक नोटिस भेजा गया ताकि सुनवाई हेतु प्रतिपक्ष के लोगों की आयोग के कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। आयोग के कार्यालय में चली चार सुनवाइयों के पश्चात दोनों पक्ष एक उपयुक्त हल पर पहुंच गए जिसके पश्चात उस महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे उसका स्त्रीधन तथा मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए की राशि लौटा दी। इसके साथ ही दोनों पक्ष प्राधिकारियों के समक्ष लंबित सभी मामलों को वापस लेने पर सहमत हो गए।

12. उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने आयोग के समक्ष यह शिकायत की कि उसकी पुत्री के पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज की मांग करते हैं/उसका उत्पीड़न करते हैं/मानसिक और शारीरिक यातना देते हैं/निर्ममतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोग उसके परिवार के लोगों को उसकी पुत्री से मिलने नहीं दे रहे हैं और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने आयोग से यह अपील की कि उसे उसकी पुत्री से मिलवाया जाए। आयोग ने बिजनौर, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक को यह नोटिस भेजा कि वे विस्तृत कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ आयोग में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हों। तत्पश्चात आयोग के हस्तक्षेप पर पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली।

13. एक शिकायतकर्ता ने आयोग में यह शिकायत की कि दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण उसकी पुत्री की उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने उसकी पुत्री के पति, सास और ससुर को तो गिरफ्तार किया, किंतु उसके देवर को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि प्राथमिकी से उसका नाम हटा लिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी,

किंतु केवल तीन अभियुक्तों अर्थात महिला के पति, ससुर और सास को ही गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आयोग ने कार्रवाई करते हुए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को आयोग के कार्यालय में सुनवाई हेतु बुलाया तथा महिला के देवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

14. आयोग को एक महिला से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई कि उस महिला का वरिष्ठ अधिकारी उसका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करता है। जब उसने इस संबंध में मानव संसाधन प्रभाग के अध्यक्ष को शिकायत की तो प्राधिकारियों द्वारा उसके साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं किया गया, जिसके कारण उसने नौकरी छोड़ने की सोची। तथापि कंपनी ने शिकायतकर्ता को उसके मूल दस्तावेज लौटाने से इनकार कर दिया। आयोग ने उस कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग के प्रबंधक को आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए पत्र लिखा। कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग का प्रबंधक आयोग के कार्यालय में उपस्थित हुआ और बाद में शिकायतकर्ता को उसके मूल दस्तावेज लौटा दिए गए। आयोग अब यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जांच कर रहा है और कंपनी के मानव संसाधन प्रभाग के प्रबंधक को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के अंतर्गत की गई जांच

राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने और महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अधिनियमित कानूनों को क्रियान्वित न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करता है। इस संबंध में कुछ चुनिंदा मामलों का वर्णन नीचे किया गया हैः

1. भोपाल सामूहिक बलात्कार मामलाः

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक चलती कार में एक विवाहित महिला (लगभग 25 वर्ष की आयु की) के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति में तीन सदस्य थे जिन्होंने इस मामले में जांच करने के लिए भोपाल का दौरा किया।

जांच समिति ने घटना के संबंध में जांच करने के लिए दिनांक 24.06.2010 को घटना स्थल का दौरा किया। समिति ने कथित घटना के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए पीड़ित महिला सहित सभी संबंधितों से भेंट की। इस मामले को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376 (जी), 506 के अंतर्गत दर्ज किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट आयोग और राज्य सरकार को भेज दी गई है।

2. सूरत सामूहिक बलात्कार मामलाः

आयोग ने गुजरात के सूरत जिले में एक छात्रा (जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी) के कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्वतःसंज्ञान लेकर कार्रवाई की। इस संबंध में आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबंध के अंतर्गत घटना की जांच करने और मामले की पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई।

तीन सदस्यीय समिति ने 15.06.2009 को सूरत का दौरा किया, जहां उन्होंने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों, पीड़िता के परिवार के सदस्यों (पीड़िता को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा था और वह घोर मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी जिसके कारण वह किसी से मिलने की स्थिति में नहीं थी) से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। खतोदरा पुलिस थाना, सूरत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 (4), 502 (2), 114 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया।

3. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में महिलाओं का कौमार्य परीक्षण/चिकित्सीय परीक्षणः

आयोग ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में महिलाओं पर किए जा रहे कौमार्य परीक्षणों/चिकित्सीय परीक्षणों के संबंध में समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस संबंध में आयोग की एक तीन–सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसने शहडोल जिले का दौरा किया और साथ ही समिति के सदस्य 16 जुलाई, 2009 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित कैम्प में भी गए। समिति के सदस्यों ने सभी संबंधित अधिकारियों और पीड़िताओं से भेंट की और उनके बयान लिए। जांच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है । इस रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भी भेजा गया।

4. राजस्थान की आदिवासी लड़कियों का गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापारः

आदिवासी लड़कियों का राजस्थान से गुजरात में अनैतिक दुर्व्यापार {दक्षिण राजस्थान (उदयपुर और डूंगरपुर जिले) से काम के लिए गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले में ले जाई गई आदिवासी लड़कियों की कथित रहस्यपूर्ण मृत्यु की घटना के बारे में)}।

दक्षिण राजस्थान मजदूर यूनियन (डीआरएमयू), डूंगरपुर और प्रयास सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन, उदयपुर, राजस्थान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों और नवयुवतियों की मृत्यु की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि बच्चों और नवयुवतियों को बहुत अधिक संख्या में उत्तरी गुजरात में बीटी कपास (जी एम) फार्मों में पर–परागण (क्रॉस पॉलिनेशन) कार्य कराने के लिए, जिसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और जो कुल मिलाकर एक मौसमी कार्य है, प्रतिवर्ष जुलाई और सितंबर के महीनों में ले जाया जाता है।

गठित की गई जांच समिति में 6 सदस्य शामिल किए गए थे। जांच समिति ने राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों के माता–पिता सहित सभी संबंधितों से भेंट की। इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को उसकी सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई हेतु राजस्थान और गुजरात की सरकारों को अग्रेषित किया गया।

5. बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे किसानों द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नियों को बेच देने की घटनाः

बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे किसानों द्वारा कथित रूप से अपनी पत्नियों को बेच देने की घटना के संबंध में गठित जांच समिति की 10.09.2009 को प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीएनएन–आईबीएन चैनल पर 07.09.2009 को "वूमेन ऑन सेल" और "बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सूखे की मार से बचने के लिए कर्ज के बोझ से दबे परिवार अपनी पत्नियों को बेच रहे हैं" – शीर्षक से प्रसारित समाचारों पर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग द्वारा इस मामले में जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबंध के अंतर्गत उसी दिन एक जांच समिति गठित कर दी गई। इस जांच समिति ने 19.09.2009 को बुंदेलखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस समिति में चार सदस्य शामिल थे।

6. उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटे जाने/उनका उत्पीड़न किए जाने से संबंधित आरोपः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धाराओं 10(1) और 10(4) के साथ पठित धारा 8(1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अमेठी क्षेत्र में महिलाओं को कथित रूप से पुलिस द्वारा पीटा गया था और उनका उत्पीड़न किया गया था। परिणामस्वरूप एक द्वि–सदस्यीय

समिति गठित की गई, जिसने इस मामले में जांच करने के लिए 30.07.2009 को अमेठी का दौरा किया।

7. शाइनी सूरज आहूजा का मामलाः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाचारपत्र में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, फिल्म अभिनेता शाइनी आहूजा द्वारा अपनी नौकरानी का बलात्कार करने की घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति में तीन सदस्य शामिल किए गए थे। समिति ने 18.06.2009 को बलात्कार वाली जगह का दौरा किया और पीड़िता तथा उसके परिवार के सदस्यों और साथ ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की। यह मामला ओशिवाड़ा पुलिस थाना, मुंबई में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 346, 506 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला अदालत में चल रहा है।

8. "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के कथित आरोप के संबंध में एयर इंडिया की एयर होस्टेस सुश्री कोमल सिंह का मामलाः

एयर इंडिया की कर्मचारी सुश्री कोमल सिंह का एयर इंडिया के पायलट (पायलटों) (उड़ान सं. आईसी–884) द्वारा यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ करने/यौन आक्रमण करने के कथित आरोप के संबंध में जांच करने के लिए आयोग द्वारा एक जांच समिति गठित की गई।

इस समिति में 6 सदस्य शामिल थे। जांच समिति ने 12.10.2009 को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एयर इंडिया के कार्यालय और जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी, उस स्थान का भी दौरा किया तथा कथित घटना के संबंध में पता लगाने के लिए एयर इंडिया के अधिकारियों तथा अभियुक्त और पीड़िता तथा उन सभी व्यक्तियों जो इसमें अंतर्निहित थे, से बयान लिया। आयोग को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न का आरोप तथ्यपरक नहीं पाया गया। समिति की रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सिफारिशों के दृष्टिगत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई है।

9. सुश्री रुचिका गिरहोत्रा, चंडीगढ़ः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञात लेते हुए, हरियाणा कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री एस पी एस राठौर द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने वाली पंचकूला, हरियाणा की सुश्री रुचिका गिरहोत्रा के मामले में अपनी जांच की है।

10. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लड़कियों का अपहरणः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11.09.2009 को नई दुनिया में छपी रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें यह कहा गया था कि आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से लड़कियों को मध्य–पूर्व के देशों में भेजने के लिए उनका अपहरण किया जा रहा है/उन्हें भगा कर ले जाया जा रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक जांच समिति गठित की। इस समिति में चार सदस्य शामिल थे। समिति ने 15 सितंबर, 2009 को आजमगढ़ का दौरा किया। समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

11. नई दिल्ली में एक 23 वर्ष की लड़की को चार व्यक्तियों द्वारा उसके घर से भगा ले जाना और 42 दिनों से भी अधिक समय तक उसके साथ बलात्कार करनाः

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 29 सितंबर, 2009 को एशियन एज में प्रकाशित समाचार के आधार पर दिल्ली में हुए एक सामूहिक बलात्कार की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया जिसके पश्चात आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से इस मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

इस मामले की जांच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपी गई तथा दिल्ली के तिलकनगर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376, 366, 344 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियुक्त को 03.10.2009 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दो दिन पश्चात 06.10.2009 को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

4 प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ भारत और विदेशों से प्राप्त ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करता है जिनमें भारतीय महिलाओं द्वारा विदेश में रहने वाले व्यक्तियों से विवाह किया गया है और जिनमें महिलाओं के अधिकारों की वंचना अंतर्निहित हो अथवा महिलाओं के साथ घोर अन्याय से संबंधित कोई मामला शामिल हो। बहुत सारी भारतीय महिलाओं का उनके पतियों जो प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, द्वारा परित्याग कर दिया जाता है। भोली–भाली पत्नियों को भारत में एक गलत आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि उसे उसके पति द्वारा बाद में ले जाया जाएगा या पति के देश में उसे पहुंचा दिया जाएगा तथा ऐसी महिलाएं अनेक मामलों में निर्दयता, मानसिक यातना, शारीरिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। कुछ अन्य अनेक मामलों में, पति पहले से ही विवाहित या दूसरे देश में आश्रयप्राप्त या गैर–कानूनी तौर पर रह रहा होता है। हाल में ही यह मामला काफी चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है तथा इन मामलों में विदेशों में रह रही ऐसी पत्नियां किसी स्थानीय सहायता के अभाव में स्वयं को असहाय पाती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस दिशा में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के परिसर में 24 सितंबर, 2009 को प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया गया, जिसमें यूनिफेम के क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक और दक्षिण–पूर्वी एशियाई उप–क्षेत्र कार्यालय की सुश्री ऐनी एफ. स्टेनहैमर ने भाग लिया।

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ के कार्य

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं:

(क) यह प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए एक समन्वयक एजेंसी है।

(ख) यह संबंधित पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, उन्हें समझाने–बुझाने तथा शिकायतकर्ता को संबंधित विषयों पर सलाह देने सहित शिकायतकर्ता को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) व्यापक क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत और विदेशों में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ कार्य करना, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना ताकि शिकायतकर्ताओं को आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा सके और उन्हें सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(घ) यह राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों और मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों के बीच समन्वित राय विकसित करने का प्रयास करता है।

(ड.) यह पीड़ित महिला को कानूनी मुकदमों में सहायता तथा शिकायतकर्ता से संबंधित अन्य मुद्दों/मामलों में सहायता उपलब्ध कराता है।

(च) यह पंजीकृत मामलों का डेटा बैंक रिकार्ड रखता है।

(छ) यह राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से दर्ज कराई गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त करता है।

(ज) अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों से संबंधित किसी नीति या मामले के संबंध में सरकार को सलाह और अपनी अनुशंसा प्रदान करता है।

(झ) जब कभी आवश्यक हो, इस मामले से संबंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करता है और इस विषय पर सरकार को सलाह देता है।

(ञ) यह भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं/गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके परामर्शदात्री समिति का पैनल गठित करता है जो इस प्रकोष्ठ के कार्यकरण, दर्ज कराए गए मामलों और नीतिगत मुद्दों की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा।

(ट) आम जनता के बीच इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाना। इस प्रयोजनार्थ प्रकोष्ठ द्वारा सभी उपलब्ध मीडिया सेवाएं उपयोग में लाई जाएंगी।

(ठ) दोहरी नागरिकता से संबंधित शिकायतों, नए विधानों को अधिनियमित करने या अंतरराष्ट्रीय समझौतों, अन्य देशों के विवाह कानूनों आदि से संबंधित शिकायतों के मामलों जैसे संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहन/समर्थन प्रदान करना।

(ड) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को विनियमित करना।

(ढ) आयोग/केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य को करना।

शिकायतों को प्राप्त करना और उनका पंजीकरण

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ भारत और विदेश दोनों स्थानों पर रहने वाली भारतीय महिलाओं से शिकायतें प्राप्त करता है। वर्ष 2009 में इसे संस्थापित किए जाने के बाद से 31 मार्च, 2010 तक लगभग 200 मामले प्राप्त हुए हैं। शिकायतें डाक द्वारा, ऑन–लाइन और ई–मेल द्वारा प्राप्त होती हैं। ऑन–लाइन शिकायत पंजीकरण की प्रणाली शिकायतों के त्वरित और आसानी से पंजीकरण के लिए एक सुविधा के रूप में शुरू की गई है, जिसमें आयोग की वेबसाइट अर्थात www.ncw.nic.in के जरिए और साथ ही अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के ई–मेल पते nri-ncw @nic.in के जरिए शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप शिकायतें अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक पंजीकृत कराई जाने लगी हैं और शिकायतकर्ताओं को बिना किसी कठिनाई के बहुत कम मूल्य पर उनकी शिकायतों के संबंध में प्राप्ति सूचना भी उपलब्ध करा दी जाती है। भारत/विश्व के किसी भी भाग से कोई भी व्यक्ति उक्त वेबसाइट पर अपना/अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि शिकायतकर्ता अपने मामले में हुई प्रगति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो वह केवल इस वेबसाइट पर जाकर अपना मामला नंबर और संबंधित पासवर्ड टाइप करके उसके मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित ब्योरा और साथ ही मामले में हुई प्रगति के बारे में जान सकता है।

शिकायत की जांच

प्रवासी भारतीयों से विवाह के अधिकांश मामलों में शिकायतकर्ता द्वारा उसके खिलाफ चलाई जा रही एकतरफा तलाक की कार्रवाई के कारण पीड़ित होने, भारत में केवल इसलिए अकेले रह जाने क्योंकि उसका पासपोर्ट उसके पति या ससुराल पक्ष की अभिरक्षा में होता है, विदेश में मामले को चलाने में उसके समक्ष वित्तीय कठिनाइयां होने, प्रतिपक्षी व्यक्ति को भारत में मुकदमा लड़ने के लिए बुलाने में विफलता, विदेशों में रह रहे प्रतिपक्ष को भारत के न्यायालयों द्वारा जारी समन या जारी किए गए आदेशों या निर्णयों को उस पर लागू कराने में असफलता आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं।

शिकायत दर्ज कराए जाने के पश्चात शिकायत के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाती है ताकि उसकी सत्यता सुनिश्चित की जा सके और संबंधित पक्षों से, यदि आवश्यक समझा जाए, तो अन्य अतिरिक्त जानकारी हासिल की जा सके। प्रतिपक्ष को उत्तर देने के लिए नोटिस भेजा जाता है, संबंधित पुलिस थानों, जिनमें शिकायत या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई जाती है। जिन मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्रवाई दूतावासों और कांसुलेटों द्वारा की जानी है, उनमें उन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु पत्र भेजे जाते हैं। व्यथित महिला को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें उसे कानून की स्थिति और उसे उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाती है।

प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों में संगत कानूनों और अभिसमयों (कन्वेन्शनों) से संबंधित अनुसंधान कार्य किया जाता है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि भारत में संबंधित मामले का समाधान करने में विभिन्न देशों में लागू कानूनों की क्या भूमिका हो सकती है। भारत ने तीन देशों के साथ सिविल मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जबकि 22 देशों के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में उत्पन्न समस्याओं पर प्रभाव क्या होगा, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की उपलब्धता

प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ से संबंधित प्रमुख बातें और इस प्रकोष्ठ की उपलब्धियां निम्नवत हैं:

(1) शिकायतों पर संबंधित दूतावासों, कांसुलेटों/मंत्रालयों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हुए कार्यवाही की जाती है और इस संबंध में ये सभी भी अपनी प्रतिक्रियाएं अवगत कराते हैं।

(2) भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी गिरफ्तार किए जाने के आदेशों से संबंधित वारंट के निष्पादन हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है।

(3) प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाली महिलाओं को दोहरा पासपोर्ट जारी करने की संभावना से संबंधित मामले को विदेश मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के समक्ष उठाया गया। तथापि विद्यमान पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं है, विदेश मंत्रालय ने निम्नलिखित आश्वासन दिए हैं:

(i) यदि कोई पत्नी उत्पीड़न की शिकार है और उसका उसके पति द्वारा त्याग कर दिया गया है, तथा उसके पास अपना पासपोर्ट नहीं है और यदि उसे जारी किया गया मूल पासपोर्ट वैध हो, जो उसके पति द्वारा जब्त कर लिया गया हो, तो वह महिला इस संबंध में पासपोर्ट कार्यालय को आवेदन कर सकती है तथा यदि उस महिला के पास उसके पुराने पासपोर्ट का कोई रिकार्ड या उसकी फोटोप्रति न हो तो उसके द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराए गए पासपोर्ट संबंधी विवरणों का मूल पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन के पश्चात उस महिला को नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।

(ii) यदि महिला के पास पुराने पासपोर्ट की फोटोप्रति और रिकार्ड हो तो व्यवस्था में मौजूद पुराने पासपोर्ट को रद्द करने के पश्चात उसे यथाशीघ्र नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक नहीं है।

(iii) यदि वह महिला आश्रित वीज़ा पर हो और वीज़ा रद्द कर दिया गया हो, तो ऐसे मामले को संबंधित देश के साथ उठाया जाएगा।

(iv) यदि गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा गैर–जमानती वारंट जारी किया गया हो, उसके पासपोर्ट को पुनः जारी करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी को सीधे आवेदन किया जा सकता है क्योंकि पासपोर्ट पुनः जारी करना पासपोर्ट कार्यालय का विवेकाधिकार है।

(4) संबंधित शिकायतों के मामले में की गई कार्रवाई या कार्रवाई न करने के कारणों के संबंध में पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्ट।

(5) विधि और न्याय मंत्रालय ने **"किए जाने वाले"** और **"नहीं किए जाने वाले"** कार्यों को दर्शाने वाली विवरणिका की लगभग 100 प्रतियां उपलब्ध कराई हैं जिसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।

(6) पंजीकृत मामलों का एक डेटा बैंक रिकार्ड रखना ताकि भविष्य में संदर्भ और दिशानिर्देश प्राप्त हो सकें।

5 विधिक प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अंतर्गत आयोग को प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में आयोग ने वर्ष 2009–10 के दौरान अनेक कानूनों की समीक्षा की। आयोग द्वारा महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाले नए कानूनों/नीतियों के अधिनियमन और साथ ही मौजूदा कानूनों में संशोधन के संबंध में की गई सिफारिशों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

संबंधित अवधि के दौरान कानूनों की समीक्षा

1. **बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत एवं पुनर्वास की स्कीम, 2008:**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपर्युक्त स्कीम दिल्ली डोमेस्टिक वूमेंस फोरम बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (रिट याचिका संख्या 362/93) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत पीड़िता को कानूनी सलाह और उसके पुनर्वास के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। पीड़िता के पुनर्वास में उसे परामर्श, चिकित्सीय सुविधा और कानूनी सहायता तथा आश्रय स्थल उपलब्ध कराना शामिल है। इस मामले पर विचार–विमर्श करने के लिए 25 जुलाई, 2009 को इस स्कीम पर एक राष्ट्रीय परामर्श सत्र आयोजित किया गया। इस परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशों के आलोक में इस स्कीम का मसौदा फिर से तैयार किया गया और उसे मंत्रालय को भेजा गया **(अनुलग्नक–IV)।**

2. **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन:**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों और अधिवक्ताओं से परामर्श करके स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन के संबंध में सिफारिशें तैयार की हैं। ये सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी गई हैं। इन सिफारिशों से संबंधित मुख्य–मुख्य बातों का उललेख **सिफारिशों से संबंधित अध्याय** में किया गया है।

3. **परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाओं के किरायेदारी अधिकार : राज्यों के किराया अधिनियम में संशोधन:**

प्रगति नामक एक गैर–सरकारी संगठन के लिए और उसकी ओर से माननीय अध्यक्षा को संबोधित दिनांक 09.06.2009 का एक ज्ञापन आयोग को भेजा गया। संबंधित मामला मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं के किरायेदारी अधिकारों से संबंधित था जो परित्यक्त/तलाकशुदा हैं और जिनके पति ने किराये पर कोई परिसर लिया था। उक्त ज्ञापन के द्वारा; **बी पी अचला आनंद बनाम एस अप्पी रेड्डी के मामले (आई एल आर 2005 कर्नाटक 1721) में** भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और परित्यक्त एवं तलाकशुदा महिलाओं के किरायेदारी अधिकारों की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया तथा यह राय व्यक्त की कि भारत के सभी राज्य किराया अधिनियम में इस आशय का संशोधन करें।

कर्नाटक विधान मंडल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किराया अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए विधानसभा के समक्ष एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। उक्त संशोधन में इस अधिनियम की परिधि में निम्नलिखित परिवर्तनों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

संशोधन उक्त निर्णय के अनुरूप प्रतीत होता है। **कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2008** में मद संख्या (ii) के पश्चात खण्ड (एन) में धारा 3 में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित बातें शामिल की जानी हैं, अर्थातः–

(iii) किरायेदार की परित्यक्त पत्नी जो पति के वैवाहिक गृह या उसके द्वारा किराये पर लिए गए परिसर में निवास करती रही है या निवास करने के लिए पात्र है; और

(iv) किसी किरायेदार की तलाकशुदा पत्नी जिसके पास तलाकनामा हो, जिसमें वैवाहिक गृह या किराये पर लिए गए परिसर में निवास करने के अधिकार को तलाक का आदेश जारी करने की एक शर्त के रूप में शामिल किया गया हो।

आज की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों के किराया अधिनियम हालांकि विधवा महिलाओं के किरायेदारी अधिकारों के संबंध में मुखर हैं, किंतु ये सभी परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं जिन्हें इसी प्रकार के संरक्षण की समान रूप से आवश्यकता है, के ऐसे अधिकार के संबंध में मूक हैं .....। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए प्रावधानों को लागू करते हुए जारी किए गए दिशानिर्देश भारत के सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं ताकि ऐसी महिलाओं के साथ "पूर्ण न्याय" हो।

तथापि ये मामले राज्यों की विधायी शक्तियों के अधीन होने के कारण राज्य सरकार के साथ उठाए जाने चाहिए ताकि यदि उपयुक्त समझा जाए तो राज्य द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए।

तदनुसार, आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को किरायेदारी अधिकारों से संबंधित किराया अधिनियमों में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा है क्योंकि ऐसा करना परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किया गया एक उपाय होगा।

4. घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

घरेलू कर्मचारियों के रूप में कार्य रही महिलाओं और बच्चों के शोषण से संबंधित मामले प्रायः और नियमित रूप से सामने आते रहते हैं। चूंकि इन्हें कोई अधिकार या इनकी मदद करने के लिए कोई नियम नहीं हैं, अतः अधिकांश घरेलू कर्मचारी गुलामों के समान जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि अनेक महिलाओं और बच्चों का स्थापन एजेंसियों द्वारा अनैतिक व्यापार और शोषण किया जाता है और ये एजेंसियां बिना किसी प्रतिबंध और विनियम के स्वच्छंद रूप में अपना कार्य करती हैं। पिछले कुछ दशकों में घरेलू कर्मचारियों की मांग काफी बढ़ी है जिसके कारण लाखों महिलाओं और बच्चों (बालक और बालिकाओं, दोनों) का अनैतिक व्यापार हुआ है और उनका अन्य रूपों में शोषण किया गया है तथा इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक राज्यों के महानगरों में घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए हजारों स्थापन एजेंसियां खुल गई हैं जिनके द्वारा इन घरेलू कर्मचारियों के रूप में काम मांगने के लिए आने वाली महिलाओं और बच्चों का अनेक प्रकार से शोषण और अनैतिक व्यापार किया जाता है तथा बावजूद इसके ये एजेंसियां किसी भी प्रकार के कानूनी नियंत्रण की परिधि से बाहर रहती हैं।

किसी भी कानूनी संरक्षण की अनुपस्थिति में महिलाओं और बच्चों का घोर शोषण हो रहा है जिसमें घरेलू कर्मचारियों को उनके पूर्ण वेतन से वंचित रखना, प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक काम कराना, उचित भोजन और रहने/सोने का उचित इंतजाम न होना, उनके परिवार के सदस्यों से उन्हें बलपूर्वक अलग–थलग रखना, उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करना, एजेंट द्वारा उन्हें नियोजक तक पहुंचाने के दौरान, एजेंसी के कार्यालय में और नियोजक के घरों में कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण करना शामिल है। इनके शोषण की सूची अनंत है और इस संबंध में मीडिया में रिपोर्टें प्रायः आती रहती हैं।

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत घरेलू कार्य में बाल श्रमिकों के निषेध पर हाल में जारी की गई अधिसूचना जैसे कानूनी उपायों को इस अधिनियम में किसी क्रियान्वयन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण लागू नहीं किया जा सकता। हाल ही में, कुछ राज्य सरकारों ने अपी अलग–अलग पहलें की हैं, जैसेकि घरेलू कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के संबंध में जारी की गई अधिसूचना की परिधि में लाना। किंतु केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा कानून जो सभी घरेलू कर्मचारियों तक पहुंचने में सक्षम हो, की अनुपस्थिति में राज्य स्तर पर किए गए किसी भी उपाय से घरेलू कर्मचारियों को वस्तुतः कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

घरेलू कर्मचारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण संघटक है और यह कार्य क्षेत्र विशेष रूप से महिलाओं को परिवार के आर्थिक बोझ को वहन करने में साझेदारी करने में सक्षम बनाकर अर्थव्यवस्था पर एक वृद्धिकारी प्रभाव डालता है। घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण सहित उनके कार्य की दशाओं को उपयुक्त बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक **व्यापक केंद्रीय कानून** द्वारा ही उनके शोषण का अंत सुनिश्चित किया जा सकता है।

घरेलू कर्मचारियों में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं शामिल हैं और इनकी कार्यदशाओं और रहने की स्थितियों में जनहित में सुधार लाने और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। स्थापन एजेंसियों को विनियमित किया जाना अनिवार्य है ताकि संविधान में प्रदत्त नीति–निर्देशक सिद्धांतों और संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित सूची III की प्रविष्टियों 22, 23 और 24 के संदर्भ में संसद द्वारा एक कानून बनाकर संविधान के विशेषकर संगत उपबंध अनुच्छेद 39, 41, 42, 43 और 43क को लागू किया जा सके। इस विधेयक का प्रारूप **सिफारिश संबंधी अध्याय** में दिया गया है।

5. आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2010 के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग की रायः

गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दंड विधि संशोधन विधेयक में बलात्कार से संबंधित कानूनों में संशोधन की बात निहित है। बलात्कार और किसी भी अन्य प्रकार का यौन आक्रमण संबंधित पक्ष के लिए अपमानजनक, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने और उसके व्यक्तित्व पर चोट पहुंचाने का एक कृत्य है। बलात्कार के संबंध में पूर्व प्रचलित इस धारणा तक ही सीमित होना कि इसका आशय शिश्न/योनि के वेधन से संबद्ध है तथा शिश्न/योनि वेधन से भिन्न यौन हिंसा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 या 354 के अंतर्गत एक छोटा अपराध मानना और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375/376 के अंतर्गत यौन अपराध नहीं मानना अत्यधिक अवरोधक है। यह ज्ञात हुआ है कि कुछ अपराध जैसेकि शिश्न/योनि वेधन के अतिरिक्त अवयस्क बालिकाओं के साथ यौनाचार करना, जिसका कोई भी इतर रूप हो सकता है और जिसमें कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी किया जा सकता है जिसके कारण पीड़ित पक्ष के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375/376 के अंतर्गत परंपरागत रूप में समझे जाने वाले शिश्न/योनि वेधन के कारण संबंधित पक्ष पर होने वाले आघात की तुलना में किसी भी रूप में कम नहीं होता।

इस मत को साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1997 का 33 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव न्याय के हित और समाज के व्यापक हित में हैं। बच्चों के साथ कुकर्म और बलात्कार के मामलों में काफी चिंताजनक दर से वृद्धि हो रही है और इस संबंध में किसी उपयुक्त कानून को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। हमें आशा और विश्वास है कि संसद याचिकाकर्ता द्वारा विशेष तौर पर उल्लिखित बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी

और इस संबंध में यथासंभव शीघ्र एक उपयुक्त कानून निर्मित करेगी।

विद्यमान कानूनों के अंतर्गत, महिलाओं द्वारा झेले जा रहे सभी प्रकार के यौन आक्रमणों की न तो परिभाषा दी गई है और न ही उनके संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। बलात्कार की केवल एकमात्र परिभाषा योनि के भीतर शिश्न का वेधन ही है जबकि शरीर के किसी अन्य अंग द्वारा या किसी अन्य वस्तु द्वारा महिला की योनि में वेधन कभी भी यौन आक्रमण की परिधि में नहीं आता। कानून में इन कमियों को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में यह सुझाव दिया कि इससे संबंधित कानून में विधायिका द्वारा अपेक्षित परिवर्तनों का समावेश किया जाए।

तदनंतर, शीर्ष न्यायलय ने विधि आयोग को कानून की जांच करने और परिवर्तनों के संबंध में सुझाव देने का निदेश दिया। विधि आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत बलात्कार और यौन आक्रमण से संबंधित संपूर्ण कानून की जांच की और अपनी 172वीं रिपोर्ट में इस विषयक कानून में पूर्णरूपेण बदलाव का सुझाव दिया। इसी बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यौन आक्रमण से संबंधित एक विधेयक का प्रारूप अलग से तैयार किया जो विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप ही था किंतु इसमें कुछ अतिरिक्त उपबंधों का उल्लेख किया गया।

विधि कार्य विभाग ने इन सिफारिशों के आधार पर कुछ संशोधनों सहित दंड विधि संशोधन विधेयक नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया। इस विधेयक में यौन आक्रमण की कुछ नई श्रेणियों की पहचान की गई है और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375/376 में समेकित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं:

1. 375 और 376 की नई धाराएं प्रतिस्थापित करना, जिनमें अब धारा 375 को यौन आक्रमण के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव है और इसमें विभिन्न प्रकार के यौन आक्रमणों को शामिल किया जाना है।

2. तथापि, जैसाकि गृह मंत्रालय को पहले लिखा जा चुका है, विधेयक के प्रारूप में कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है, जिन्हें कुल मिलाकर राज्यों द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है।

   (क) धारा 304ख (1): 304ख(1) में, शब्दों "शीघ्र पहले" का अनिवार्यतः लोप कर दिया जाए और उनके स्थान पर "पहले किसी भी समय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। धारा 304ख (2) के अंतर्गत न्यूनतम कारावास की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाए। धारा 304ख (2) में, शब्दों "आजीवन कारावास" के पश्चात शब्दों "या मृत्युपर्यंत" शब्दों को शामिल किया जाए।

   (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354: एक अतिरिक्त धारा 354(क) शामिल की जाए जिसमें इन शब्दों का उल्लेख हो– "जो कोई भी किसी महिला को सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करता हो या किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता हो अथवा ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करता हो, उसे कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा, जो 7 वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा के रूप में विस्तारित की जा सकती है, द्वारा दण्डित किया जाएगा" – इस विधेयक में वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत हुए बलात्कार को शामिल नहीं किया गया है।

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में संशोधन किए जाने और दाण्डिक उपबंधों को कठोर किए जाने की आवश्यकता है, वर्तमान में संबंधित उपबंध के अंतर्गत ऐसा अपराध जमानती और संज्ञेय की श्रेणी में रखा गया है। तथापि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस उपबंध को संज्ञेय और गैर–जमानती करार दिया है।

6. मुंबई में घरेलू नौकरानी के साथ कथित बलात्कार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट

भूमिका :

पीड़िता जिसकी आयु लगभग 18 वर्ष है, घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करती है और आनंद नारायण सोसायटी, बिल्डिंग संख्या 4, प्रथम तल, फ्लैट नं. 408, मनवेलपाड़ा रोड, यिरार (पूर्वी), जिला थाने, मुंबई में निवास करती है। पीड़िता मूल रूप से जिला रायगढ़ की रहने वाली है और अभियुक्त शाइनी आहूजा, निवासी फ्लैट सं.390, 7वां तल, एम ब्लॉक, तारापुर टावर, न्यू लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई–53 के घर में मई, 2009 से घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी। उसने पुलिस में यह शिकायत की कि उसका 14.06.2009 को शाइनी आहूजा द्वारा बलात्कार किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे प्रदत्त अधिदेश के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और बलात्कार की कथित घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की। इस समिति में निम्नलिखित शामिल थेः

1. **डॉ. गिरिजा व्यास,** अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग – जांच समिति की अध्यक्षा
2. **सुश्री यास्मीन अब्रार,** सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग – जांच समिति की सदस्या
3. **श्री योगेश मेहता,** विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग – जांच समिति के सदस्य

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थेः

(क) घटना और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में जांच करना।

(ख) संबंधित पुलिस अधिकारियों, पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों आदि से भेंट करना।

(ग) उपचारात्मक उपायों और ऐसी घटनाओं से निपटने की कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिशें करना।

यह समिति 18.06.2009 को मुंबई गई और समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गयाः

1. पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों
2. जांचकर्ता अधिकारियों
3. पुलिस आयुक्त और मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों
4. अभियुक्त की पत्नी श्रीमती अनुपमा आहूजा
5. श्री महेश भट्ट, फिल्म निर्माता और निर्देशक

निष्कर्षः

1. ओशिवाड़ा पुलिस थाना, मुंबई में सी आर संख्या 188/09 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 346, 506 के अंतर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया।
2. मामला दिनांक 14.06.2009 को लगभग 19.55 बजे दर्ज किया गया है जबकि यह सूचित किया गया कि अपराध दिनांक 14.06.2009 को 15.00 बजे से 17.00 बजे के बीच घटित हुआ।
3. मामला पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज किया गया ।
4. अभियुक्त शाइनी आहूजा को दिनांक 15.06.2009 को 04.15 बजे गिरफ्तार किया गया।
5. पुलिस ने पीड़िता के वस्त्रों को अपने कब्जे में ले लिया है, अपराध के स्थान का पंचनामा भी किया गया है और साथ ही अभियुक्त के कपड़े भी जब्त कर लिए गए।
6. पुलिस द्वारा पीड़िता की चिकित्सीय जांच भी करवाई गई; और चिकित्सीय रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता के साथ जोर जबर्दस्ती करके बलात्कार हुआ है।
7. अभियुक्त को भी चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया और वह 02.07.2009 तक न्यायिक हिरासत में रहा।

8. उस समय केमिकल एनालाइजर और डीएनए जांच की रिपोर्ट अपेक्षित थी।

9. समिति ने पीड़िता से भेंट की, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अत्यधिक मानसिक आघात से गुजर रही थी। उसने समिति के सदस्यों के समक्ष भी वही बात कही जो उसने पुलिस के समक्ष कही थी। समिति के सदस्यों ने शाइनी आहूजा की पत्नी से भी मुलाकात की, जिसने इस बात पर बल दिया कि उसका पति निर्दोष है और दावा किया कि उसके पति को फंसाया गया है। उसने अध्यक्षा से अनुरोध किया कि संबंधित नौकरानी के पूर्ववृत्त और उसके पता–ठिकाने के बारे में पूरी जांच–पड़ताल की जाए।

10. समिति ने पुलिस आयुक्त, मुंबई पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। पुलिस ने समिति को आश्वासन दिया कि वे लोग उचित जांच और पीड़िता को संरक्षण प्रदान करने के लिए हरसंभव कदम उठा रहे थे। अध्यक्षा ने महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री से भी मुलाकात की, जिन्होंने पीड़िता को राहत और पुनर्वास के साथ–साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

11. इस बैठक के दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री महेश भट्ट भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी मामले से फिल्म उद्योग के नाम पर कलंक नहीं लगना चाहिए और इस मामले में तेजी से जांच–पड़ताल की जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

सिफारिशें:

1. समिति का यह सुविचारित मत है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान तत्काल दर्ज किया जाए। हालांकि मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी।

2. इस मामले से मौजूदा कानून में कमी प्रकट होती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार हेतु दण्ड का उपबंध है और इसमें किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार किए जाने {धारा 376 (2)}, सरकारी सेवक द्वारा उसकी अभिरक्षा में स्थित महिला के साथ संभोग (धारा 376ख), जेल, रिमांड गृह आदि के अधीक्षक द्वारा अभिरक्षा में स्थित महिला के साथ संभोग (धारा 376ग) और किसी अस्पताल के प्रबंधक वर्ग या कर्मचारियों में से किसी के द्वारा भी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ संभोग (धारा 376घ) जैसी स्थितियों को बलात्कार की परिधि में शामिल किया गया है।

किंतु इस परिभाषा में किसी नियोक्ता द्वारा संविदा आधार पर रखे गए कर्मचारी सहित अपने किसी कर्मचारी के साथ बलात्कार या संभोग को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने धारा 37, 376 और अन्य उपबंधों में संशोधन की बात करते हुए बलात्कार कानूनों और विधेयक के प्रारूप में सिफारिशें की हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 जो विशेषकर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए यौन आक्रमण से संबंधित है जो शिकायतकर्ता के लिए विश्वास के पद पर या प्राधिकारी के रूप में है, में संशोधन की सिफारिश करते हुए ऐसे अपराधी को कम से कम 10 वर्ष के कारावास जो आजीवन कारावास तक विस्तारित किया जा सकता है और जिसमें जुर्माना भी शामिल है, आरोपित करने की मांग की है।

आयोग ने यह सिफारिश की है कि केंद्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाए ताकि बलात्कार से संबंधित कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जा सके।

3. राज्य सरकार "बलात्कार संकट" प्रकोष्ठ गठित करने पर विचार कर सकती है, जैसाकि वर्तमान में राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। यह प्रकोष्ठ बलात्कार से संबंधित मामलों का इस संबंध में रिपोर्ट किए जाने से लेकर न्यायालय में विचारण के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त होने और पीड़िता के पुनर्वास तक की स्थितियों में उत्पन्न परिस्थिति का समन्वय करता है और उस पर निगरानी रखता है।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त को पीड़िता की उपस्थिति में उसकी पहचान किए जाने के समय को छोड़कर, अन्य किसी भी समय न लाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि ऐसे मामले को न्यायालय द्वारा बार–बार सुनवाई करके शीघ्रातिशीघ्र और अधिमानतः एक माह के भीतर निपटा दिया जाए।

5. राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता को एक वकील की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उसे किसी भी प्रकार से दबाव में आने से बचाया जाए और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता भी प्राप्त की जाए ताकि पीड़िता को सरकारी खर्च पर उचित चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो सके।

6. महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि इस मामले पर एक फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। जांच पूर्णतः और उपयुक्त रूप से की जाएगी ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए।

7. जिस प्रकार से मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा इस मामले को "ब्रेकिंग न्यूज के रूप में" प्रस्तुत किया गया और घटना के संबंध में समाचारों को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, उस पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए।

6 अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(ज) के अंतर्गत, आयोग संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान का कार्य करता है जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए जा सकें और उन कारकों की पहचान की जा सके जो उनके विकास में रुकावट के लिए जिम्मेवार हैं। इस संबंध में आयोग ने अनेक सेमिनार, जन सुनवाइयां, कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित किए हैं ताकि महिला–पुरुष समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों के उच्च प्राथमिकता वाले विषयों पर सुसंगत जानकारी प्राप्त की जा सके।

वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों को प्रायोजित किया। पिछड़े और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकांश लोग अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया। कुल 29 जागरूकता कार्यक्रम तथा महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 280 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 जन सुनवाई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और 8 पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित की गईं। इसके अलावा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर 52 सम्मेलन, गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं तथा 20 अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम भी प्रायोजित किए गए जिनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं से संबधित मुद्दों और समस्याओं पर जनता को संवेदित करना था। वर्ष 2009–10 के दौरान जिन संगठनों को जागरूकता कार्यक्रम, जन सुनवाई, सेमिनार/कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की गई, उनसे संबंधित ब्योरा क्रमशः **अनुलग्नक**–VII, VIII, IX और X में दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एल ए पी) और पारिवारिक महिला लोक अदालत (पी एम एल ए)

आयोग ने वर्ष 2009–10 के दौरान 280 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों (एलएपी) और 8 पारिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) को अनुमोदन प्रदान किया है। अनुमोदित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों की राज्य–वार संख्या नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है। जिन गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष 2009–10 के दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालत और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई, उनकी सूची क्रमशः अनुलग्नक–V, अनुलग्नक–VI और अनुलग्नक–VII में दी गई है।

क्रम सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
1.	असम	22	–
2.	आंध्र प्रदेश	08	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	–

क्रम सं.	राज्य	आयोजित किए गए विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	आयोजित की गई पारिवारिक महिला लोक अदालतों की कुल संख्या
4.	बिहार	12	–
5.	छत्तीसगढ़	02	–
6.	दिल्ली	17	–
7.	गुजरात	01	–
8.	हरियाणा	45	–
9.	हिमाचल प्रदेश	04	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	02	–
11.	झारखंड	02	–
12.	कर्नाटक	02	–
13.	मध्य प्रदेश	10	–
14.	महाराष्ट्र	04	–
15.	मेघालय	04	–
16.	मणिपुर	07	–
17.	उड़ीसा	12	–
18.	राजस्थान	36	–
19.	तमिलनाडु	18	–
20.	त्रिपुरा	01	–
21.	उत्तर प्रदेश	59	08
22.	उत्तराखंड	03	–
23.	पश्चिम बंगाल	08	–
	कुल	**280**	**08**

"घर बचाओ परिवार बचाओ" परियोजना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक पायलट परियोजना भी शुरू की है। **"घर बचाओ परिवार बचाओ"** नामक इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस थाना के स्तर पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना है ताकि वह महिलाओं से संबंधित मामलों में प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सके। दिल्ली में महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए परियोजना का चरण–2 मार्च 2009 में शुरू किया गया। इन प्रकोष्ठों के प्रमुख कार्य महिलाओं के साथ हुए हिंसात्मक व्यवहारों, आपराधिक शिकायतों के प्राप्त होने पर पुलिस सहायता का प्रावधान, परिवार सेवा एजेंसियों को संदर्भ भेजने तथा महिलाओं के साथ हिंसा के मामले में परामर्श उपलब्ध कराने, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित मामले होंगे। इस परियोजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है, जो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज (टी आई एस एस) के सहयोग से यह कार्य कर रहा है। यह दत्तकग्रहण पर भी बल देता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम

1. वूमेन वेल्फेयर एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला सोनीपत (हरियाणा) द्वारा "हरियाणा राज्य के विशेष संदर्भ में भारत में नेतृत्व का एक नया आयाम सृजित करते हुए पंचायतों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।
2. सन्मति सोशल समिति, उत्तरी राज मोहल्ला, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा "पंचायत की महिला सदस्यों/सरपंचों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम" आयोजित करना।
3. मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, कबूतरों का चौक, जोधपुर (राजस्थान) द्वारा "राजस्थान के गांवों

में "महिला साक्षरता का प्रभाव" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

4. पल्स वेल्फेयर सोसाइटी, जिला संबलपुर (उड़ीसा) द्वारा "जिला संबलपुर, उड़ीसा में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

5. विग्नन एजूकेशनल सोसाइटी, जिला वारंगल (आंध्र प्रदेश) द्वारा "आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में निःशक्तता की शिकार महिलाएं" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

6. वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल, लातूर (महाराष्ट्र) द्वारा "तालुक–अउसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र में पंचायत में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

7. विद्या कला संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा "महिला अधिकारों" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

8. ग्रासरूट, माओखर, मेन रोड, सेंग खासी हाल के सामने, शिलांग (मेघालय) द्वारा "परंपरागत बुनकरों" के विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

9. ज्ञान सुधा एजूकेशन सोसाइटी, आंध्र प्रदेश द्वारा "प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य सेवा सुविधा" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

10. कुमरशा रूरल डेवलपमेंट सोसाटी, जिला वर्धमान (पश्चिम बंगाल) द्वारा "पश्चिम बंगल के वर्धमान जिले में बाल विवाह" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

11. मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, जोधपुर (राजस्थान) द्वारा "जोधपुर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

12. वूमेन डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, जिला सोनीपत (हरियाणा) द्वारा "नेतृत्व के नए आयाम सृजित करते हुए भारत में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

13. महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति, गांव अहिरका (हरियाणा) द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

14. वात्सल्य समिति, हाथरस (उत्तर प्रदेश) द्वारा "बागपत में उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं हेतु जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन"।

15. तरंगिणी सोशल सर्विस सोसाइटी (आंध्र प्रदेश) द्वारा "आंध्र प्रदेश में महिला एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

16. मानव कल्याण विद्यापीठ संस्थान, जयपुर (राजस्थान) द्वारा "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर आयोजित कार्यशाला।

17. मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा "पीतल उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे" विषय पर मुरादाबाद में आयोजित एक–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।

18. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, शिवाजी नगर, नागपुर द्वारा "गैर–सरकारी संगठनों, घरेलू और लिंग आधारित हिंसा के शिकार व्यक्तियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन।

19. एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन सोसियो–इकोनमिक एक्टिविटी (एडीएआरएसए), जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा) द्वारा सुंदरगढ़ जिले में जनजातीय समुदाय की महिला कृषकों का उत्पीड़न" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

20. जागरूक महिला संस्थान "परचम", सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा "बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

21. श्री सागस महाराज शिक्षण एवं सामाजिक विकास समिति, विकास नगर, नीमच (मध्य प्रदेश) द्वारा "बनछारा समुदाय में व्याप्त सामाजिक बुराइयां : चर्चा और समाधान" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

22. लक्ष्मी महिला एवं सामाजिक विकास समिति, कल्याण भवन, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) द्वारा "शराब का सेवन और घरेलू हिंसा" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

23. एजूकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट सोसाइटी, 2/77, मेधा कोइल स्ट्रीट, संगाउ (ग्राम), विल्लापुरा, तमिलनाडु द्वारा "बाल विवाह और इसके दुष्परिणाम" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

24. सेवा संघ, कनतालफुल्ली, पी.ओ. कखना, ब्लॉक फाल्टा, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल द्वारा "पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

25. सांत्वनम सोशल सर्विस एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, चेम्बरा, माहे, पांडिचेरी द्वारा "महिला सशक्तीकरण" पर सेमिनार का आयोजन।

26. लीविंग वाटर फॉर डाइंग सोल्स इन इंडिया, क्रिश्चियन चेरिटेबल ट्रस्ट, द्वारका पुरी, नई दिल्ली द्वारा "नई दिल्ली की झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों (जेजे कालोनियों) में बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

27. अखिल मानव सेवा परिसर, नई दिल्ली द्वारा "बालिका शिशुओं का महत्त्व – लिंग–आधारित चयनात्मक गर्भपात कराना" विषय पर दो–दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

28. नवराजीव फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा "महिला सशक्तीकरण – बाड़मेर, राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के धारणीय साधनों को बढ़ावा देना" विषय पर आयोजित कार्यशाला।

29. नेताजी मेमोरियल क्लब, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा द्वारा "उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में कृषि कार्य में लगी महिलाओं का प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जन सुनवाई कार्यक्रम

1. संजीवनी सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा आयोजित "दलित महिलाओं" के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम।

2. श्री महाराणा प्रताप शिक्षा विकास समिति (उत्तर प्रदेश) द्वारा "ग्रामीण महिलाओं हेतु स्वास्थ्य एवं आजीविका के साधनों का विकास" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम।

3. अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जयपुर (राजस्थान) द्वारा "ग्रामीण महिलाओं पर अत्याचार" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित राज्य स्तरीय सेमिनार, क्षेत्र स्तरीय सेमिनार, राष्ट्र स्तरीय सेमिनार/कार्यशालाएं

राज्य स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला

1. राजनीति विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम) द्वारा "पूर्वोत्तर भारत में लिंग, शांति और संघर्ष से संबंधित मुद्दों" पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

2. जागृति जनकल्याण समिति, बिहार द्वारा "भारत में घटता हुआ लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारणों)" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

3. सर्वोदय समग्र विकास एवं संचार संस्थान, बांसवाड़ा (राजस्थान) द्वारा "जिला बांसवाड़ा में माता के गर्भ में लिंग चयन/लिंग निर्धारण की समस्याएं" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला।

4. पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्डीज इन रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाएंः भारत के लिए एक चुनौती" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

5. मणिपुर राज्य महिला आयोग (मणिपुर) द्वारा "मणिपुर में सशत्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

6. जनकल्याण युवक संघ, जिला बोलंगीर (उड़ीसा) द्वारा "ईंट के भट्ठों और भवन निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की समस्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

7. प्रधानाचार्य का कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान द्वारा "स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

8. न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी, असम द्वारा "असम में महिलाओं और बालिकाओं का अपहरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

9. उत्थान शोध संस्थान, गोविंद नगर, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा दक्षिण राजस्थान में "स्व–शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के क्षमता निर्माण हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

10. सहारा समाजसेवी संस्था, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा थियोग, हिमाचल प्रदेश में "अधिकारों और नीतियों के संबंध में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

11. सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम) द्वारा "महिलाओं के मानवाधिकारः पूर्वोत्तर का संदर्भ" विषय पर आयोजित सेमिनार।

12. आम्रपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (बिहार) द्वारा "पटना में राजनीति में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

13. द्रोपदी ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा "लैंगिक समानता और संवेदीकरण हेतु जनसंचार के माध्यमों और विभिन्न संचार चैनलों के अग्र सक्रिय और प्रभावी उपयोग की नीति" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

14. मैत्री, जे–92, ए आर डी कांम्पलेक्स, आरके पुरम, नई दिल्ली द्वारा "घरेलू हिंसा और परिवारों के स्वास्थ्य और उसके कल्याण पर इसका प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

15. न्यू मिलेनियम इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली द्वारा अंबाला में "दुर्व्यापार की शिकार घरेलू महिलाएं" विषय पर आयोजित सेमिनार।

16. ऑल इंडिया कोणार्क एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" विषय पर आयोजित सेमिनार।

17. ग्रामीण महिला विकास समिति, झज्जर (हरियाणा) द्वारा "एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता एवं निवारण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

18. वीएएमआईटी एजूकेशनल ट्रस्ट, शिमला (हिमाचल प्रदेश) द्वारा "पंचायती राज संस्थाओं, स्व–सेवा समूहों और सूक्ष्म ऋण स्कीमों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित सेमिनार।

19. परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित सम्मेलन।

20. आरके एचआईवी/एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुंबई द्वारा "भारत में मातृ मृत्यु दरः उसका सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृश्य और भारतीय संदर्भ में पूर्वानुमान" विषय पर आयोजित सेमिनार।

21. पुद्दुचेरी महिला आयोग, नतेशन नगर, पुद्दुचेरी द्वारा "परामर्श की कला" विषय पर सरकारी पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए आयोजित सेमिनार।

22. रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा अजमेर, राजस्थान में "महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए नीतियों और स्कीमों की समीक्षा" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

23. अखण्ड, पी.ओ. सिद्धी आश्रम, अगरतला (त्रिपुरा) द्वारा पश्चिमी त्रिपुरा जिले के अगरतला में "महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं और उसे रोकने के लिए बनाए गए कानून" विषय पर आयोजित सेमिनार।

24. संतराम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सेवा समिति (उत्तर प्रदेश) द्वारा "महिला अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार।

25. चौधरी चरणसिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस (उत्तर प्रदेश) द्वारा गांव मंडल में "घरेलू हिंसा अधिनियम – महिलाओं का संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

26. महिला जागृति समिति, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा "बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

27. समाहर्ता कार्यालय, सवाई माधोपुर, राजस्थान द्वारा "बाल विवाह और महिला संरक्षण अधिनियम" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला।

28. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, मेघालय द्वारा "कानूनी अधिकार" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

29. पुद्दुचेरी महिला आयोग, पुद्दुचेरी द्वारा "परामर्श की कला" विषय पर पुद्दुचेरी के विभिन्न सरकारी विभागों के कल्याण अधिकारियों हेतु आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला।

30. मानव जागृति समिति, सी–8/293, यमुना विहार, दिल्ली द्वारा "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगातार घट रहा लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारण)" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला।

31. ह्युमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा "महिलाओं के साथ छेड़छाड़, तंग करने, यौन दुराचार जैसे अपराध और उनसे निपटने के लिए उपलब्ध कानून" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

32. एसबीएस फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा "अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहों में महिलाओं का उत्पीड़न से संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

33. पूजा वेल्फेयर सोसाइटी, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा अभिनव थियेटर, जम्मू में "भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर रोक लगाने में मीडिया की भूमिका" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

34. एसपीईईएस, जमशेदपुर, झारखंड द्वारा जिला जमशेदपुर, झारखंड में "वन्यभूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार।

35. परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा "जनजातीय महिलाएं और राजनीति में उनकी भागीदारी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

36. पंकज बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान, भंडारा (महाराष्ट्र) द्वारा जिला भंडारा (महाराष्ट्र) में "गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस अधिकारियों के लिए परामर्श" विषय पर आयोजित सेमिनार।

37. श्री रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मण्डल, नांदेड–वाघला, महाराष्ट्र द्वारा "बाल विवाह निषेध" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार।

38. जीजामाता बहु–उद्देश्यीय महिला मंडल, सावरी, लातूर, महाराष्ट्र द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" विषय पर आयोजित सेमिनार।

39. प्रिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा "जनजातीय जिलों में वन्यभूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार।

40. पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, बोलंगीर, उड़ीसा द्वारा जिला बोलंगीर, उड़ीसा में राज्य स्तरीय सेमिनार।

41. शिवरचरण माथुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान द्वारा निर्वाचित महिला सरपंचों की "लैंगिक समानता और विकास" विषय पर सोच के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला।

42. पब्लिक वेल्फेयर सोसाइटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में "एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

43. श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में "घटता हुआ लिंग अनुपात – बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित सेमिनार।

44. महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा महाशक्ति महिला सम्मेलन के दौरान "महिला अधिकार और सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

45. समाज सेवा समिति, रायबरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा "घटता हुआ लिंग अनुपात, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह और इसके दुष्परिणाम, हस्तशिल्प, कसीदाकारी में महिलाओं की दशा, हथकरघा बुनाई क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकां" विषय पर आयोजित सेमिनार।

क्षेत्र स्तरीय सेमिनार

1. नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी (आंध्र प्रदेश) द्वारा "आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएंडडीटी) अधिनियम, 1994 का कार्यान्वयन और कार्यकरण" विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार।

2. राजनीति विज्ञान विभाग, मगध महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) द्वारा "महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और अत्याचार" विषय पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार।

राष्ट्र स्तरीय सेमिनार/सम्मेलन

1. अखिल भारत रचनात्मक समाज, गांधी आश्रम, दिल्ली द्वारा रजत जयंती समारोहों के आयोजन के दौरान "महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित एक–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार।

2. अकादमी ऑफ ग्रासरूट्स स्ट्डीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया ('अग्रसरी'), तिरुपति (आंध्र प्रदेश) द्वारा "भारत में आधार स्तरीय आयोजना और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाः वर्ष 1992 के बाद से नीतिगत पहल और लोगों की भागीदारी" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संभाषण।

3. विधि संकाय, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल (जम्मू एवं कश्मीर) द्वारा अपराध–विज्ञान पर तीन–दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन।

4. ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली द्वारा "महिला, पर्यावरण शिक्षा और जलवायु परिवर्तन" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन।

5. यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, उदयपुर, राजस्थान द्वारा "लैंगिक असमानता और कार्य की बदलती दशाएं तथा स्वास्थ्य" विषय पर आयोजित सम्मेलन।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा "पूर्वी उत्तर प्रदेश की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों की दशा" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

2. सुश्री प्रियंका भारद्वाज, 1–3/100, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली द्वारा "हिमाचल प्रदेश में अकेली रह रहीं

महिलाओं की स्थिति" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

3. नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा "आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या तथा महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका प्रभाव" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

4. शक्तिवाहिनी, एच–11, द्वितीय तल, हडसन लाइंस, किंग्वजे कैम्प, नई दिल्ली द्वारा "हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

5. डॉ. डेज़ी बोरा तालुकदार, निदेशक, सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़, असम द्वारा "विस्थापन के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, प्राकृतिक एवं विकास प्रेरित विस्थापन के विशेष संदर्भ में: असम के डिब्रूगढ़ जिले से संबंधित एक अध्ययन" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

6. प्रो. विजयलक्ष्मी चौहान, निदेशक, यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, एम एल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान द्वारा "उदयपुर और चित्तौड़गढ़ प्रमंडल में लिंग–आधारित भेदभाव के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक पहलू" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

7. ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 2, शिवम अपार्टमेंट, दिल्ली द्वारा "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए आपदा से निपटने के लिए तैयारी में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

8. श्रीमती एस.के. मारक, अध्यक्षा, मेघालय महिला राज्य आयोग, लोअर लाचुमियर, शिलांग द्वारा "मेघालय में महिलाओं के साथ अपराध" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

9. श्रीमती पूनम, सचिव, नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चौरदिया पेट्रोल पंप के पीछे, सांगानेर, 302029, राजस्थान द्वारा "राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में घटना हुआ लिंग अनुपात" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

10. फादर ए. पैथ्रोस, अध्यक्ष, रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी (आरईडब्ल्यूएस), नंबर 1128, ए, प्रथम तल, पहली गली, तेंड्रल नगर, वेंगिक्कल, तिरुवन्नामलाई–600044, तमिलनाडु द्वारा "तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में बालिका भ्रूणहत्या (घटते हुए लिंग अनुपात का कारण)" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

11. अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 297, टैगोर नगर, यशोधा पथ, अजमेर रोड, जयपुर–302024, राजस्थान द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और राजस्थान राज्य में ग्रामीण महिलाओं पर इसके प्रभाव" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

12. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली द्वारा "महिलाओं द्वारा अपनी कोख किराये पर देना – नैतिक या वाणिज्यिक पहलू" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

13. सुश्री शिवाणी भारद्वाज, कार्यक्रम निदेशक, साथी ऑल फॉर पार्टनरशिप्स, मयूर विहार, फेस–1, नई दिल्ली द्वारा "संसाधनों में समानता के सिद्धांत को लागू करने में लैंगिक आधार पर भेदभाव" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

14. एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा "राजस्थान में विशेषकर कसीदाकारी, वस्त्र निर्माण, बांधनू साड़ियों की रंगाई जैसे हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की स्थिति और उनके कार्य की दशाओं" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

15. एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, नई दिल्ली द्वारा "भारतीय किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्तिः ग्रामीण महिलाओं पर विपति, अकिंचन, वैधव्य और सरकारी राहत पैकेजों के प्रभाव" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

16. रूरल आर्गनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, रोहतक, हरियाणा द्वारा "हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में पंचायतों में कार्यरत महिलाएं" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

17. डॉ. एल एन दधीच, उदयपुर, राजस्थान द्वारा "दक्षिण राजस्थान में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कार्य" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

18. लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा "झारखंड और मध्य प्रदेश में महिला विभाग द्वारा निर्मित स्व–सेवा समूहों के जरिए जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

19. रूरल एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, जयपुर, राजस्थान द्वारा "सवाई माधोपुर में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी और निर्णयन की प्रक्रिया में समान भूमिका" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

20. शिवचरण माथुर विश्वविालय, उदयपुर, राजस्थान द्वारा "राजस्थान में महिला काश्तकारों की भूमिका और उनकी स्थिति" विषय पर आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गएः

किए गए अनुसंधान अध्ययनों का सारांश निम्नवत हैः

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में बिहार के 5 जिलों – पटना, नालंदा, खगड़िया, सहरसा और रोहतास में चुनिंदा गांवों में अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, पटना द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्यः

अध्ययन का उद्देश्य पांच चुनिंदा जिलों में से प्रत्येक जिले के तीन गांवों और कुल पंद्रह गांवों और पांच शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के संबंध में जागरूकता, उपलब्धता और उपयोग और साथ ही, सामाजिक प्रवृत्तिमूलक कारकों के संदर्भ में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और विश्लेषण करना था। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- बिहार के 5 जिलों के चुनिंदा गांवों और शहरी क्षेत्रों में प्रसव–पूर्व सुविधा, बच्चे को जन्म देने से संबंधित अभिलक्षण, पोषण, गर्भनिरोधक उपायों और मातृ मृत्यु दर के अन्य प्रसव–पूर्व कारकों के संबंध में प्राथमिक सूचना एकत्र करना।
- शिशु को पोषण उपलब्ध कराने, टीकाकरण, बाल्यावस्था में होने वाले रोगों के उपचार, ओआरएस पैकेजों के उपयोग के संबंध में जानकारी और गंभीर रूप से बीमार बच्चों की देखभाल तथा शिशु मृत्यु दर के अन्य कारकों के संबंध में प्राथमिक सूचना एकत्र करना।
- पांच जिलों के चयनित गांवों में जहां तक मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का संबंध है, उनमें सामाजिक अवसंरचना और स्वास्थ्य सुविधा की सुपुर्दगी प्रणाली, जनशक्ति, उपकरणों और औषधियों की उपलब्धता, अंतःवर्गीय समन्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करना।
- प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आम लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के दृष्टिगत की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित उपायों के बारे में सिफारिशें सुझाई गईं।

क्रियाविधिः

- आंकड़ा संग्रहण हेतु मुख्य रूप से परिमाणात्मक – विधि प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया गया।

- अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मातृ शिशु कल्याण सर्वेक्षण (जच्चा–बच्चा कल्याण प्रश्नावली/साक्षात्कार अनुसूची) तैयार की गई। इसमें संबंधित जानकारियों की समीक्षा और प्रायोगिक क्षेत्रीय कार्य के आधार पर अभिज्ञात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के विभिन्न पहलुओं और कारकों को शामिल किया गया।
- प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले समुदाय के लोगों, स्वास्थ्य व्यावसायिकों और गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श भी किया गया।

निष्कर्ष:

- ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में प्रसव सेवाओं के अपेक्षा से कम स्तर पर कार्य करने, एंबुलेंसों की कमी और संदर्भ सेवाओं के उपयुक्त रूप में उपलब्ध न होने से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा इन चयनित क्षेत्रों में अधिकतर ऐसी महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध नहीं थी जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता थी।
- गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए इन क्षेत्रों में कोई उचित अस्पताल या सुश्रुसा गृह उपलब्ध नहीं है।
- चयनित क्षेत्रों में प्रसव–पूर्व देखभाल की सुविधा, माताओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड की उपलब्धता, माताओं को अपने नवजात बच्चों को स्तनपान कराने से संबंधित जानकारी देने, नवजात शिशु की ऊंचाई और उसके वजन को मापने, ओआरएस का प्रयोग करने आदि से संबंधित सुविधाएं लगभग अनुपलब्ध थीं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अनिवार्य प्रसव–पूर्व अपेक्षाओं को उपयोग में लाने के संदर्भ में अत्यधिक अंतर था।
- हमारे द्वारा चयनित क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित दाइयों का नितांत अभाव देखा गया जिनकी मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। परंपरागत रूप से कार्य करने वाली दाइयां प्रसव के समय उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का सामना करने में प्रायः विफल होती हैं।
- कृषि जीवनशैली में महिलाओं को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान उनका स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता और जिससे नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू भी गर्भवती महिलाओं या नवयुवतियों को स्वास्थ्य केंद्रों में जाने से बाधित करते हैं।
- समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव के कारण भी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं और जानकारियों से वंचित हैं।
- प्रसव–पूर्व जांच की आवश्यकता के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ न होना, विशेषकर नई पीढ़ी पर अपना नियंत्रण रखने वाले पुरानी पीढ़ी के लोगों में प्रसव–पूर्व देखभाल सेवाओं के प्रति जागरूकता का अभाव होना जिसके कारण वे नई पीढ़ी की अपनी बहुओं या लड़कियों को इस प्रकार की सेवा/सुविधा से वंचित रखते हैं।
- समुदाय में माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लाभों और ऐसा न करने पर होने वाली हानियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- समुदाय को गर्भनिरोधक विधियों के प्रयोग से होने वाले लाभ–हानियों के बारे में तथा महिलाओं के व्यापक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कारकों और उनके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। यहां तक कि नई विकसित की गई आपातस्थिति में प्रयोग में लाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के संबंध में विस्तृत जानकारी और उससे होने वाले

प्रभावों के बारे में भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जानी है। काफी कम आयु में गर्भपात कराने से होने वाले खतरों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। गर्भनिरोधक के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम में पर्याप्त निजता बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि नवयुवतियां आरंभ में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने में संकोच करती हैं।

- प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में एंबुलेंस, उपकरण, आपातकालीन उपयोग हेतु औषधियों और अन्य उपयोगी वस्तुओं के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्रक अवसंरचना और अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बीच पर्याप्त अंतर है।
- ग्रामीण स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल की कमी पाई गई; अर्थात पंचायत स्तर पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं समन्वित नहीं हैं। समन्वित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) और आंगनवाड़ी के कर्मचारियों, स्वच्छता अभियानों, पेय जल, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिवृत्ति परिवर्तन और प्रसव–पूर्व सुविधाओं के उपयोग के संबंध में एक सकारात्मक वातावरण सृजित हो सके।
- महिला सशक्तीकरण और साक्षरता कार्यक्रम का स्तर काफी निम्न पाया गया है जिसका लोगों की अभिवृत्ति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और माता और शिशु के स्वास्थ्य की अवहेलना भी बढ़ेगी।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

2. उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु अनुसंधान अध्ययन – सद्ज्योतिका, अपर्णा नगर, चौलियागंज, पी ओ नया बाजार, कटक (उड़ीसा) द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

अध्ययन के उद्देश्यः

- उड़ीसा राज्य में जनजातीय महिलाओं की उनके सामाजिक और सजातीय संघटन, आयु, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना, शिक्षा, कौशल, व्यवसाय, रोजगार, आय, परिसंपत्तियों का स्वामित्व आदि के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और स्वास्थ्य संबंधी रूपरेखा तैयार करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग करने में उड़ीसा की जनजातीय समुदाय की महिलाओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं की पहचान करना।
- महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए जनजातीय विकास हेतु चालू कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- विभिन्न चालू निर्धनता उन्मूलन, आय सृजन, सामुदायिक विकास और संबद्ध जनजातीय विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी के स्तर का आकलन करना।
- राजनीतिक, सामाजिक और पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी के स्तर का आकलन करना।
- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न नौकरियों में जनजातीय महिलाओं के रोजगार पैटर्न का अध्ययन करना।
- व्यापक व्यवसाय में जनजातीय महिलाओं द्वारा कार्यबल के रूप में कार्य करने के संदर्भ में उनकी आय संरचना और उनके शैक्षणिक स्तर और प्रशिक्षण के स्तर का अध्ययन करना।
- उड़ीसा में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से इन संस्थाओं द्वारा दी जा रही सूक्ष्म ऋण सहायता तक जनजातीय महिलाओं की पहुंच का अध्ययन करना।
- उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और उनके द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के बारे में अध्ययन करना।

- जनजातीय महिलाओं के लिए परिवार कल्याण सुविधाओं की उपलब्धता और उन सुविधाओं तक उनकी पहुंच और उनके द्वारा इन सुविधाओं के उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न विकास स्कीमों (समन्वित बाल विकास स्कीम सहित) के बारे में जनजातीय महिलाओं की जागरूकता के स्तर का आकलन करना।
- जनजातीय महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग के स्तर का आकलन करना और इन सुविधाओं का कम उपयोग किए जाने, यदि हो, के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना।
- उपयुक्त पैरामीटरों के संबंध में आधारभूत आंकड़े तैयार करना और जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक सूचकों को विकसित करना।
- उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों और उपायों के संबंध में सुझाव देना।

क्रियाविधिः

- उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदायों की विविधता और उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के चार जिलों अर्थात मयूरभंज, सुंदरगढ़, कंधमाल जिलों से नमूने एकत्रित किए गए जिनमें भौगोलिक स्थिति, जनजातियों की किस्म और उनकी साक्षरता स्थिति के संदर्भ में अत्यधिक भिन्नता है।
- विभिन्न सरकारी संगठनों अर्थात आईटीडीए, एमएडीए, आईसीडीएस आदि से संगत द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए।
- इन द्वितीयक आंकड़ों के अतिरिक्त, वयस्क महिलाओं के संबंध में उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संरचित विभिन्न स्तरों पर अनेक चरणों में किए जाने वाले यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की गई और उसे साकार रूप दिया गया।
- प्रतिनिधिक नमूना के रूप में कुछ जनजातीय घरों में जाकर वहां रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों का विस्तृत साक्षात्कार लिया गया और उनसे एक विस्तृत चर्चा और पहले से तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर व्यापक जानकारी हासिल की गई।
- प्राथमिक परिवार सर्वेक्षण के लिए 400 प्रतिदर्श जनजातीय परिवारों जो विभिन्न जनजातियों और विभिन्न जोत आकारों का प्रतिनिधित्व करते थे, की 400 जनजातीय महिलाओं से बातचीत की गई। यह सर्वेक्षण उड़ीसा के चार प्रतिदर्श जिलों में किया गया तथा प्रतिदर्श ब्लॉकों की संख्या 20 थी।

निष्कर्षः

- जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल से यह ज्ञात होता है कि जनजातीय समुदाय का अधिकांश परिवार (72.7 प्रतिशत) मध्यम आकार का परिवार है, अर्थात परिवार में 4–7 सदस्य शामिल हैं।
- जनजातीय समुदाय के लगभग 58.9 प्रतिशत विवाहित व्यक्तियों ने यह बताया कि उनका विवाह 19–25 वर्ष की आयु में हुआ था।
- जिन जनजातीय महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से लगभग आधी महिलाएं लघु और सीमांत कृषक परिवारों से हैं।
- कुल मिलाकर, एक तिहाई जनजातीय महिलाएं (33 प्रतिशत) साक्षर मात्र हैं जबकि इस समुदाय के पुरुषों में साक्षरता दर 53.3 प्रतिशत हैं।
- ज्ञात हुआ कि इस समुदाय में बेरोजगारी की दर 24. 4 प्रतिशत है जबकि सर्वेक्षण किए गए परिवारों की

37.7 प्रतिशत वयस्क महिलाएं अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करती हैं। लगभग 25.5 प्रतिशत कामकाजी जनजातीय महिलाएं अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करती हैं।

- जनजातीय महिलाएं अपने परिवार की वार्षिक आय में लगभग 9.9 प्रतिशत का योगदान करती हैं।
- सर्वेक्षण किए गए अधिकांश परिवारों (अर्थात 61.3 प्रतिशत) की पारिवारिक आय 11,000/– रुपए से भी कम है। लगभग एक–तिहाई परिवार घोर निर्धनता का शिकार हैं जिनकी आय मात्र 4800/– रुपए से 6400 रुपए/– के बीच है।
- सर्वेक्षण किए गए किसी भी परिवार में कोई भी महिला सदस्य मैट्रिकुलेशन स्तर से अधिक शिक्षित नहीं पाई गई।
- सर्वेक्षण की गई जनजातीय महिलाओं में से अधिकांश (अर्थात 72.7 प्रतिशत) के पास कोई व्यावसायिक कौशल नहीं पाया गया। केवल 23.8 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं को किसी न किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।
- अधिकांश जनजातीय महिलाएं (54.2 प्रतिशत) घास–फूंस से बने मकानों में रहती हैं लेकिन सर्वेक्षण किए गए जनजातीय परिवारों में से 1–5वां भाग एक कमरे के मकाने में रह रहा था। उनमें से एक–तिहाई लोगों के मकानों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए थे।
- अधिकांश जनजातीय महिलाओं (73.5 प्रतिशत) द्वारा सुरक्षित पेय जल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक–तिहाई जनजातीय लोग पेय जल के लिए ट्यूबवेल/हैंड पंप पर निर्भर करते हैं और वर्ष में अधिकांश समय हैंड पंप खराब रहता है। अभी भी अधिकांश व्यक्ति अपने समुदाय द्वारा खोदे गए कुएं से पानी लेते हैं।
- लगभग 91 प्रतिशत जनजातीय परिवारों के अपने घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है; जिसके कारण वे अधिकांशतः खुले मैदान में शौच करते हैं।
- लगभग 56.7 प्रतिशत जनजातीय महिलाएं व्यक्तिगत और परिवार–अभिमुख स्कीमों के बारे में जानकारी रखती हैं। लगभग 57.7 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं को सामुदायिक स्कीमों द्वारा सहायताप्राप्त भूमि सुधार क्रियाकलापों के बारे में जानकारी है। सर्वेक्षण की गई अधिकांश (84.3 प्रतिशत) जनजातीय महिलाओं को अपने क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य और संबद्ध संचार और अवसंरचना क्रियाकलापों के बारे में जानकारी है।
- मात्र 23.4 प्रतिशत वयस्क जनजातीय महिलाएं स्व–सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 81.2 प्रतिशत महिला कर्जदारों के बारे में यह सूचित किया गया कि उन्होंने लिए गए कर्ज को अंशतः या पूर्णतः चुका दिया है। स्व–सेवा समूह में शामिल कुल जनजातीय महिलाओं में से केवल 23 प्रतिशत महिला लाभभोगियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है जबकि उनमें से अधिकांश को किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
- सर्वेक्षण की गई जनजातीय समुदाय की महिलाओं में से 14.2 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायती राज संस्थाओं में अपनी रुचि अभिव्यक्त की और 10 प्रतिशत महिलाओं द्वारा राजनीतिक क्रियाकलापों में रुचि व्यक्त की गई। लगभग एक–तिहाई (30.3 प्रतिशत) जनजातीय महिलाओं ने निर्धनता समाप्त करने और जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने की बलवती इच्छा प्रकट की।
- कुल सर्वेक्षित जनजातीय महिलाओं में से केवल एक–तिहाई (33.3 प्रतिशत) महिलाएं ही किसी न किसी प्रकार के ऋण का उपयोग करने में सफल हुई थीं। संपूर्ण ऋण स्रोतों में से प्रमुख स्रोत स्व–सहायता समूह है जो लगभग 39.5 प्रतिशत महिलाओं को ऋण सहायता उपलब्ध करा रहा है। वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों नें 34.6 प्रतिशत

जनजातीय महिलाओं को ऋण सुविधा प्रदान की है। उनमें से अधिकांश (55.5 प्रतिशत) जनजातीय महिलाएं अपने क्षेत्रों में विभिन्न लघु आय उत्पादक स्कीमों से संबंधित क्रियाकलापों और छोटे व्यवसायों/व्यापारों को करने के लिए ऋण का उपयोग करती हैं। आय अर्जन कार्यक्रम के संबंध में लगभग 56.7 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं द्वारा संबंधित कार्यक्रम के संतोषजनक होने के बारे में बताया गया जबकि उनमें से 43.3 प्रतिशत महिलाओं ने अपना असंतोष व्यक्त किया।

- लगभग 35 प्रतिशत सर्वेक्षित जनजातीय महिलाओं ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र उनके सामुदायिक क्षेत्रों से 1–3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 80 प्रतिशत जनजातीय महिलाओं ने बताया कि वे छोटी–मोटी बीमारियों का उपचार परंपरागत रूप से और स्थानीय वैद्यों द्वारा दी गई दवाइयों से करती हैं। लगभग 85 प्रतिशत महिलाएं कुछ चिरकालिक रोगों के उपचार हेतु सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों से उपचार कराना पसंद करती हैं। निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भरता और पसंद की दर कहीं अधिक है। रोगग्रस्त होने की समग्र दर कंधमाल जिले में सबसे अधिक है जिसके बाद कोरापुट जिले का स्थान है। सर्वेक्षित चार जिलों में रोगग्रस्तता की घटना युवा पीढ़ी के लोगों में कहीं अधिक है।
- सर्वेक्षित जिलों में सूचित प्रसवों में से अधिकांश (66.8 प्रतिशत) प्रसव 18–25 वर्ष की आयु में हुए।
- सर्वेक्षित चार जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से बालिका शिशुओं की मृत्यु दर अलग–अलग स्वरूप की थी। सुंदरगढ़ में यह संख्या 94 थी जबकि कंधमाल में यह संख्या 115 थी। कुल मिलाकर, सूचित किए गए शिशु मृत्यु की संख्या में से अधिकांश 54.8 प्रतिशत बालिका शिशुओं की मृत्यु से संबंधित थी। जनजातीय परिवारों की लगभग 56.1 प्रतिशत महिलाओं के संबंध में बताया गया कि उन्होंने प्रसव से पूर्व दो–चार बार प्रसव–पूर्व जांच कराई। सर्वेक्षित महिलाओं में से आधी से अधिक (59.5 प्रतिशत) द्वारा बताया गया कि उनका प्रसव जनजातीय महिलाओं के निवास स्थान में हुआ। लगभग 34.4 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव कराया गया जबकि अधिकांश महिलाओं (76.4 प्रतिशत) ने यह बताया कि उनका सामान्य प्रसव हुआ था, किंतु उन्होंने प्रसव के दौरान टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन नहीं लगवाया था। लगभग 67.7 प्रतिशत सर्वेक्षित महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान आयरन फोलिक की गोलियां नहीं खाई थीं।
- सर्वेक्षित जनजातीय महिलाओं में परिवार नियोजन के साधन के रूप में निरोध के इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता में अंतर पाया गया जो कंधमाल जिले में 48 प्रतिशत से सुंदरगढ़ जिले में 62 प्रतिशत के बीच था।
- जनजातीय महिलाओं में स्त्री नलबंदी, पुरुष नसबंदी, आईयूडी और एमटीपी के संबंध में सूचना देने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और आईसीडीएस के केंद्रों में कार्य कर रहे एएनडब्ल्यू और एडब्ल्यूडब्ल्यू तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी सूचना के निकटतम स्रोत सिद्ध हुए।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

3. उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा जिले में पंचायतों में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में किया गया अध्ययन (ब्लॉक–वार सर्वेक्षण पर आधारित) – जलगांव समिति सजगौरी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

अध्ययन के उद्देश्यः

- उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल समझना।

- उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी हासिल करना।
- उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के भीतर और सामुदायिक स्तर पर सशक्तीकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने से पंचायती क्षेत्र में हुए विकास की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना और यह ज्ञात करना कि क्या महिलाओं द्वारा अपना नेतृत्व प्रदान करने से विकासात्मक क्रियाकलापों के क्रियान्वयन और उनके निष्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है।
- चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी का स्व–सेवा समूहों, महिला संगठनों और अन्य सिविल सोसायटी मंचों पर प्रभाव का आकलन करना।
- पंचायतों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में जमीनी सचाई को बेहतर रूप में समझना।
- उत्तराखण्ड राज्य में महिला के नेतृत्व में कार्य कर रही पंचायतों का एक प्रोफाइल तैयार करना।
- पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की प्रकृति और उसके परिमाण को अभिज्ञात करना और उनका अध्ययन करना।
- महिलाओं के नेतृत्व में कार्य कर रही पंचायतों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न आय अर्जक और आर्थिक क्रियाकलापों/स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहायता के संबंध में अध्ययन करना।
- पंचायतों में कार्य कर रही महिलाओं के समक्ष संबंधित सरकारी विभागों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के संबंध में अध्ययन करना।

क्रियाविधिः

- अध्ययन हेतु लक्षित समूह सभी तीनों स्तरों अर्थात जिला परिषद्, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर महिला पंचायत सदस्य थीं।
- डेटा एकत्र करने के लिए परिमाणात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण किए गए। परिमाणात्मक डेटा प्रधानों (महिला और पुरुष दोनों), वार्ड सदस्यों (महिला और पुरुष दोनों), भूतपूर्व निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किएगए।
- गुणात्मक डेटा केंद्रित समूहों के साथ विचार–विमर्श के माध्यम से और सरकारी अधिकारियों के साथ काफी सावधानीपूर्वक आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमों तथा ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा के जरिए एकत्रित किए गए।
- परिमाणात्मक सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार की गईं:
  1. प्रधानों/वार्ड सदस्यों हेतु अनुसूची
  2. भूतपूर्व निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु अनुसूची
  3. पंचायत सचिव हेतु अनुसूची
  4. समुदाय/परिवार हेतु अनुसूची
- गुणात्मक सर्वेक्षण हेतु निर्धारित किए गए दिशानिर्देश/अर्ध–संरचित अनुसूची निम्नानुसार थीः
  1. समुदाय के केंद्रित समूह के साथ विचार–विमर्श
  2. सरकारी अधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक विचार–विमर्श
  3. ग्राम सभा की बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा
- इस अध्ययन हेतु निम्नलिखित ब्लॉकों को कवर किया गयाः
  1. भिक्यासी
  2. चौखुटिया

3. ताकुला
4. द्वारिखाल
5. स्यालदी, सुल्ट
6. तारिखेत
7. धौलादेवी
8. हवालबाग
9. लम्गारा
10. भास्याल खाना

- इस अध्ययन हेतु 1363 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इन 1363 प्रतिनिधियों में से पंचायती राज संस्थाओं के 330 प्रधान और 1033 वार्ड सदस्य अध्ययन हेतु चुने गए थे।

निष्कर्ष:

- **निर्वाचित प्रतिनिधियों का उनकी वर्तमान टीम में प्रोफाइल:**
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों के आयु–वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उनमें से 45 प्रतिशत सदस्य 36 से 50 वर्ष के बीच की आयु के थे जबकि निर्वाचित प्रतिनिधियों का 2–5वां भाग युवा आयु वर्ग (21–25) से संबंधित था, निर्वाचित प्रतिनिधियों में से केवल 17 प्रतिशत सदस्य 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के थे।
  - निर्वाचित सदस्यों में महिला प्रतिनिधि प्रायः पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में कम आयु की थीं।
  - शिक्षा प्राप्ति के स्तर के संबंध में किए गए सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि पुरुष प्रतिनिधि महिला प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं। 48 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण थीं जबकि उनमें से 19 प्रतिशत निरक्षर थीं।

- **व्यतीत समय के आधार पर प्राथमिक व्यवसाय:**
  - पुरुष प्रधानों की एक अधिक संख्या (47 प्रतिशत) के बारे में ज्ञात हुआ कि वे अपना अधिकांश समय पंचायत कार्यों में बिताते हैं जिसके पश्चात उन प्रधानों का स्थान है (36 प्रतिशत) जो अपना अधिकांश समय कृषि कार्य में बिताते हैं। अधिकांश महिला प्रधान (51 प्रतिशत) अपना समय मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में बिताती हैं। केवल 32 प्रतिशत महिला प्रधान ही पंचायती कार्यों में अपना समय व्यतीत करती हैं।

- **निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि:**
  - पंचायती राज संस्थाओं के जिन निर्वाचित सदस्यों से बात की गई, उनमें से एक बड़ी संख्या समाज के अपेक्षाकृत अधिक सुविधाविहीन तबकों से संबंधित थीं (अनुसूचित जाति – 26 प्रतिशत)। केवल 28 प्रतिशत ही सामान्य श्रेणी से संबंधित थीं।
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों का धार्मिक समूह–वार वितरण:

    अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि हिंदू समुदाय से थे (86 प्रतिशत)। जहां तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की धार्मिक पृष्ठभूमि का संबंध है, लैंगिक आधार या समाज में उनकी हैसियत के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं पाया गया।

- **निर्वाचित प्रतिनिधि का आर्थिक प्रोफाइल:**
  - निर्वाचित प्रतिनिधियों में से आधे से अधिक (54 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर थे।
  - पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में से 12 प्रतिशत ने वर्ष के कुछ महीनों के दौरान अपर्याप्त भोजन प्राप्त होने की बात कही और ऐसे मामलों की संख्या वार्ड सदस्यों के मामले में अधिक थी (14 प्रतिशत) जबकि इस श्रेणी में प्रधानों की संख्या 5 प्रतिशत थी।

- निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 54 प्रतिशत ने गत दस वर्षों के दौरान आय में वृद्धि होने की बात बताई। यह स्थिति प्रधानों के मामले में काफी अधिक (68 प्रतिशत) थी जबकि 51 प्रतिशत वार्ड सदस्यों ने ही अपनी आय में वृद्धि होने की बात बताई।

- **समानांतर निकायों की भूमिका:**
  - सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 26 प्रतिशत निर्वाचित होने से पूर्व किसी स्थानीय निकाय/सीबीओ से जुड़े हुए थे। अधिकांश निर्वाचित सदस्य प्रधान (29 प्रतिशत) और उनके बाद वार्ड सदस्य (24 प्रतिशत) ने ऐसी सूचना प्रदान की।

- **महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव और सामुदायिक विकास:**
  - सूचित 72 प्रतिशत महिलाएं जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने में लगी हुई थीं जबकि 62 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे विद्यालयों में अधिकाधिक बालिकाओं को पढ़ने के लिए उनका नामांकन कराने और घरेलू हिंसा को कम करने के लिए प्रयास में जुटी हैं।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

4. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में अकेली रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : ऐसी महिलाओं की संख्या ज्ञात करना और उनकी प्रमुख समस्याओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना – प्रियंका भारद्वाज द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम

उद्देश्य:

- अंतिम प्रयोक्ता के परिप्रेक्ष्य में अकेली रह रही महिला की संकल्पना की जांच करना।
- हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में अकेली रह रही महिलाओं की पहचान करना।
- कानूनी, आर्थिक और सामाजिक श्रेणियों के अंतर्गत अकेली रह रही महिलाओं की समस्याओं की पहचान करना।
- समाज में अकेली रह रही महिलाओं की सहायता और उनके लाभार्थ उपायों, नीतियों या कानूनों की सिफारिश करना।

क्रियाविधि:

- इस अध्ययन में गैर–प्रयोगात्मक, अनुसंधानात्मक और निर्धारक अनुसंधान क्रियाविधि प्रयोग में लाई गई।
- संख्यात्मक पहचान दस विकास ब्लॉकों में रहने वाली अकेली महिलाओं की कुल आबादी आकार (पी) के आधार पर की गई।
- दस विकास ब्लॉकों में ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय अन्वेषकों की सहायता से किए गए सर्वेक्षण के पश्चात परिकलित अकेली रह रही महिलाओं की संख्या लगभग 5017 ज्ञात हुई।
- अध्ययन में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के दस विकास ब्लॉकों को शामिल किया गया।
- सरकारी लाभ प्राप्त करने वाली अकेली रह रही महिलाओं की जनसंख्या 4781 पाई गई।
- जिले में रह रही अकेली महिलाओं की कुल संख्या 9798 ज्ञात हुई।

निष्कर्ष:

- शिमला जिले के दस ब्लॉकों में आयोजित वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य इनमें रह रही अकेली महिलाओं की संख्या ज्ञात करना तथा कानूनी, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के दृष्टिगत ऐसी महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को उजागर करना था। नीचे इस अध्ययन के निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है।

- अकेली रह रही ये महिलाएं सरकारी सहायता और पुनः मान्यता प्रदान करने की मांग कर रही हैं।
- सरकारी रिकार्डों के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रही विधवा महिलाओं की संख्या 4781 ज्ञात हुई।
- वर्तमान में शिमला जिले में अकेली रह रही महिलाओं की कुल संख्या 9798 है।
- लगभग 90 प्रतिशत अकेली रह रही महिलाओं को भारत में महिलाओं को उपलब्ध कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं है।
- इन महिलाओं को त्वरित और आसानी से कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं है। उन्हें अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- लगभग 80 प्रतिशत अकेली रह रही महिलाओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे दूसरों पर निर्भर हैं या उत्तरजीविता हेतु संघर्ष कर रही हैं।
- सामाजिक क्षेत्र में लगभग 85–90 प्रतिशत अकेली रह रही महिलाएं स्वयं को व्यक्तिगत पहचान से वंचित महसूस करती हैं।
- अकेली रहने के कारण उनके लैंगिक और मानसिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार होने की अधिक संभावना रहती है।
- 10 विकास ब्लॉकों में से चिरगांव ब्लॉक में रह रही अकेली महिला को कानूनी जानकारी सबसे कम उपलब्ध थी और मशोबरा ब्लॉक में रह रही अकेली महिला आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक स्वतंत्र थी। चिरगांव और चौपाल में रह रही अकेली महिलाओं के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सामाजिक उत्पीड़न का सर्वाधिक शिकार होना पड़ता है।
- लगभग 95 प्रतिशत महिलाएं यह महसूस करती हैं कि अकेली रहने के कारण उनका उत्तरोत्तर विकास बाधित हुआ है।
- 100 प्रतिशत अकेली महिलाएं आरक्षण सूचकांक में अपने लिए एक पृथक यूनिट की मांग करती हैं।
- जब इन महिलाओं ने अनेक लोगों के बीच किसी प्रश्न का उत्तर दिया तो उनके उत्तर में पर्याप्त परिवर्तन पाया गया। केवल 20–30 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी स्थिति में उत्तर दे पाईं और उनके द्वारा दिया गया उत्तर भी मुक्त रूप में दिया गया उत्तर नहीं था। शेष महिलाएं चुप रहीं।
- अकेली रह रहीं 90 प्रतिशत महिलाओं के हीन भावना से शिकार हो जाने और दबाव के अधीन जीवन व्यतीत करने की संभावना अधिक होती है।
- किसी गैर–सरकारी संगठन या सरकारी तंत्र से सहायता प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण सामाजिक भय है।
- 80 से 90 प्रतिशत अकेली रह रही महिलाएं आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से परिवार की सहायता के बिना ही संघर्ष कर रही हैं।
- "अकेली रह रही महिलाओं" की अवधारणा की अब और अधिक अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह वर्तमान में तेजी से बढ़ रही घटना है जिस पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

5. आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों द्वारा आत्महत्या के कारण उनके परिवारों और महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

उद्देश्यः

- आत्महत्या के शिकार हुए बुनकर परिवारों के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन करना।

- बुनकरों द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का अध्ययन करना।
- सरकार और अन्य स्रोतों द्वारा प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता (राहत उपायों) की प्रकृति का आकलन करना।
- आत्महत्या के कारण प्रभावित बुनकर परिवारों में महिलाओं और बच्चों द्वारा झेली जा रही आसन्न संकटों और कठिनाइयों की प्रकृति की जांच करना।
- पीड़ित परिवारों में महिलाओं की बदलती भूमिका और इसके कारण सामान्य तौर पर परिवार पर और विशेष तौर पर बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने तथा सामान्य तौर पर भारत में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

क्रियाविधिः

- यह अध्ययन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया।
- पहले चरण में, आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों द्वारा आत्महत्या के कुल मामलों से संबंधित आंकड़े हथकरघा और वस्त्र निदेशक और आयुक्त का कार्यालय, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद से एकत्र किए गए।
- दूसरे चरण में, आत्महत्या के कुल मामलों में से 200 पीड़ित परिवारों (इनमें अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले और प्राप्त नहीं करने वाले दोनों ही प्रकार के परिवार शामिल थे) का यादृच्छिक रूप में चयन किया गया। चयनित सभी 200 प्रतिदर्श पीड़ित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से एक महिला अर्थात मृतक की पत्नी का चयन किया गया।
- कुल चयनित पीड़ितों में से अध्ययन हेतु प्रतिदर्श पीड़ित का जिला–वार वितरण निम्नवत हैः

1. करीम नगर (105 प्रत्यर्थी)
2. वारंगल (37 प्रत्यर्थी)
3. नालगोंडा (11 प्रत्यर्थी)
4. प्रकाशम (22 प्रत्यर्थी)
5. अनंतपुर (25 प्रत्यर्थी)

- अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए। प्राथमिक आंकड़े चुनिंदा प्रतिदर्श से साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार गाइड के माध्यम से एकत्र किए गए जबकि द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, दस्तावेज और अध्ययन हेतु अन्य संगत कार्यालयों आदि से एकत्र किए गए।
- एकत्रित आंकड़ों का भिन्न–भिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय सूचकांकों का प्रयोग करके विश्लेषण किया गया।
- आंकड़ों के विश्लेषण हेतु "प्रतिशत" जैसी सरल सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया।

निष्कर्षः

- प्रतिदर्श में शामिल किए गए अधिकांश परिवार "पद्मशाली जाति" से संबंधित थे।
- हालांकि प्रतिदर्श परिवारों की कुल आबादी अनेक व्यवसायों से जुड़ी हुई थी, किंतु उनमें से एक–चौथाई लोग हथकरघा बुनाई और 10 प्रतिशत से कुछ कम लोग विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।
- सभी 200 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।
- सभी परिवार कर्ज के बोझ से दबे हैं और उनके लिए साहूकार ऋण प्राप्त करने का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- आत्महत्या के अधिकांश मामले वर्ष 2003 और 2008 के बीच घटित हुए जबकि आंध्र प्रदेश में इस अवधि के दौरान बुनकर उद्योग घोर संकट के दौर से गुजर

रहा था। आत्महत्या के कारणों में अल्प–रोजगार, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ से दबना जैसे कारण शामिल हैं।

- आत्महत्या करने वालों में से 42.50 प्रतिशत निरक्षर थे और विद्युतकरघा (51 प्रतिशत) और पिटकरघा (48 प्रतिशत) में बुनाई का कार्य करते थे।
- आत्महत्या करने वाले बुनकरों की विधवाओं में से एक बहुत बड़ी संख्या ने अपने पतियों की तत्काल मृत्यु के पश्चात अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली।
- सभी 200 प्रत्यर्थी (आत्महत्या करने वाले बुनकरों की विधवा) आजीविका हेतु किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी थीं। इन विधवाओं में से अधिकांश के लिए बीड़ी बनाने का कार्य आय का प्रमुख स्रोत था जिसके बाद हथकरघा बुनाई उनके लिए आय का एक दूसरा स्रोत था। हालांकि उनके मृतक पतियों में से अधिकांश विद्युतकरघा पर काम करते थे, किंतु कुल विधवाओं में से केवल 0.50 प्रतिशत ही वर्तमान में विद्युतकरघा पर कार्य कर रही हैं।
- बुनाई (पिटकरघा) के कार्य में लगी अधिकांश विधवा प्रत्यर्थी प्रमुख बुनकरों के साथ मिलकर कार्य रही हैं।
- जो विधवाएं बुनाई के कार्य में अपना स्वयं का रोजगार (पिटकरघा पर) कर रही हैं, उन्हें इसके लिए कार्यचालन पूंजी अनुग्रह राशि के रूप में, बैंकों और संबंधियों से प्राप्त हुई तथा स्व–रोजगार में लगी सभी विधवा बुनकर (पिटहरघा) अपने स्वयं के प्रयास से ही न केवल कच्ची सामग्री प्राप्त कर रही हैं बल्कि अपने तैयार उत्पादों को बाजार में बेच भी रही हैं। हथकरघा बुनाई (विद्युतकरघा और पिटकरघा, दोनों पर) में लगी अधिकांश विधवा प्रत्यर्थी इस कार्य में दिनभर में 6 घंटे का समय व्यतीत करती हैं और शेष विधवा बुनकर 7–11 घंटे तक का समय इस कार्य में लगाती हैं।
- कुल प्रतिदर्श विधवाओं में से लगभग 50 प्रतिशत को अनुग्रह भुगतान प्राप्त हुआ जबकि शेष 50 प्रतिशत को ऐसा भुगतान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि समिति द्वारा उनके मामले अस्वीकृत कर दिए गए। अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाली महिलाओं में से 60 प्रतिशत से भी अधिक इससे संतुष्ट हुईं जबकि शेष संतुष्ट नहीं हुईं।
- कुल 200 प्रतिदर्श परिवारों में से एक–चौथाई परिवारों में पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के पश्चात बच्चों ने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया।
- अधिकांश विधवाएं अपने–अपने परिवारों में आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और बच्चों के विवाह जैसे कार्यों को करना शीघ्र सीख गईं।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

6. उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति : धारी विकास ब्लॉक का एक तुलनात्मक अध्ययन – एक्टिविस्ट ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमेनिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

उद्देश्य:

- समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना।
- महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना।
- आयु वर्ग–वार महिलाओं की स्थिति ज्ञात करना।
- समाज में हुए आधुनिक विकास के कारण महिलाओं में हुए सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों को समझना।
- महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

- महिलाओं के कल्याणार्थ सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करना।
- परिवार के सदस्यों द्वारा जुआ खेलने, महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार करने और शराब का सेवन करने से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- विभिन्न जातियों में महिलाओं की स्थिति का पता लगाना।

क्रियाविधिः

- अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़े प्रयोग में लाए गए।
- कुल प्रतिदर्श आकार 529 परिवारों का था जिनमें से बोधिबन से 112, धनचुली से 211, अक्सोडा से 160 और कोकिलबाना से 36 परिवार शामिल किए गए थे।
- इस अध्ययन हेतु 1031 महिलाओं और बालिकाओं का चयन किया गया।

निष्कर्षः

- चयनित परिवारों (96 प्रतिशत) का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
- अधिकांश चयनित महिलाएं (471) निरक्षर हैं। केवल 26 महिलाओं को स्नातक की उपाधि प्राप्त है।
- लगभग सभी महिलाएं अपना अधिकांश समय ईंधन, चारा और पेय जल जुटाने में व्यतीत करती थीं।
- हालांकि महिलाएं आर्थिक क्रियाकलापों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किंतु बावजूद इसके निर्णयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका नगण्य है।
- अधिकांश महिलाओं को अपने परिवार की आय और साथ ही उनके स्वयं के द्वारा अर्जित आय को व्यय करने का अधिकार नहीं है। कोई भी निर्णय अधिकतर उनके पतियों द्वारा ही लिया जाता है।
- लगभग सभी महिलाओं को समाज में विद्यमान समस्याओं के बारे में जानकारी है। बेरोजगारी, गरीबी, लड़कियों की सुरक्षा, निरक्षरता और परिवार के पुरुष सदस्यों का नशे का आदी होना समाज की प्रमुख समस्या है जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएं प्रतिदिन 10 से 14 घंटे तक कार्य करती हैं बावजूद इसके उनका परिवार की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं का बैंक में अपना कोई खाता नहीं है।
- विवाह की औसत आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है।
- अधिकांश महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई हैं।
- अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है। ज्ञात होता है कि शीघ्र विवाह के कारण और पोषक भोजन की उपलब्धता न होने के कारण वे स्त्रीरोगों की शिकार हो जाती हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिर जाती हैं।
- अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि समय के साथ महिलाओं के साथ हिंसा में भी क्रमशः वृद्धि हो रही है।
- अध्ययन से प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अधिकांश महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी स्कीमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके कारण वे सरकारी स्कीमों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

इस अध्ययन कार्यक्रम द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख सिफारिश वाले अध्याय में किया गया है।

7 राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान हमारे समाज के सभी वर्गों को न्याय और बराबरी की गारंटी देता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म, रंग और लिंग कुछ भी हो। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन निवारक उपायों के बावजूद, महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे दहेज मृत्यु, तेजाब से हमले, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि जारी हैं। महिलाओं के अधिकारों के अनुमोदन और संरक्षण के लिए आयोग को प्राप्त अधिदेश के अनुसरण में स्टेकहोल्डरों से व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात वर्ष 2009–10 के दौरान, वैधानिक पहलुओं के संबंध में नीचे उल्लिखित सिफारिशें प्रस्तावित की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ष के दौरान महिलाओं के हितों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययनों को भी प्रायोजित किया है और इन अध्ययनों से प्राप्त सिफारिशों का भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने के लिए नीचे उल्लेख किया गया है।

वर्ष 2009–10 के दौरान विधिक प्रकोष्ठ द्वारा की गई सिफारिशें:

1. बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वसन की योजना

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पोछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने के कारण आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गए:

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। 25 जुलाई, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र के दौरान की गई सिफारिशों के अनुसार स्कीम का प्रारूप फिर से तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय को भेजा गया है (अनुलग्नक VI)।

2. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधनः

इस अधिनियम में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और उसे अनुमोदनार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन अनुलग्नक–XI पर संलग्न है।

3. घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

आयोग इस बात की पुरजोर सिफारिश करता है कि घरेलू कर्मचारियों के कल्याण के लिए और उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाए। व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात "घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010" शीर्षक से एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे विचारार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है। प्रति अनुलग्नक–XII पर संलग्न है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित किए गए अनुसंधान अध्ययनों की सिफारिशें

1. मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के संबंध में बिहार के 5 जिलों – पटना, नालंदा, खगड़िया, सहरसा और रोहतास में चुनिंदा गांवों में अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहकारी समिति, पटना द्वारा आयोजित अनुसंधान अध्ययन।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को विकास का एक संवेदनशील सूचक माना जाता है। विश्व भर में सबसे अधिक शिशु और मातृ मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर में 75 प्रतिशत तक की कमी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जाए और तभी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संपूर्ण भारत की तुलना में बिहार में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि बिहार राज्य में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं काफी अपर्याप्त हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यधिक अपर्याप्त उपलब्धता है। इस अध्ययन के द्वारा बिहार में विद्यमान इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

मुख्य सिफारिशें:

केंद्र सरकार:

- चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में नीतिगत स्तर पर निर्णय किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों का वेतन और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वे उनके लिए आकर्षक हों और वे वहां कार्य करने के प्रति अनिच्छुक न हों।
- सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षणप्राप्त दाइयों को नियुक्त करने के संबंध में एक नीति तैयार की जानी चाहिए।
- बिहार में रह रहे समुदायों द्वारा शिशुओं को आहार उपलब्ध कराने के संदर्भ में उनके बीच विकसित अभिवृत्ति का और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है ताकि बिहार में माताओं द्वारा अपने शिशुओं को स्तनपान कराने से झिझकने के पीछे के कारणों को समझा जा सके।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी अस्पतालों, स्थानीय सेवाओं, एनआरएचएम आदि के कार्यकरण के संबंध में निरंतर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करते रहना चाहिए।
- इन निष्कर्षों के आधार पर छोटी स्थानीय एजेंसियों/ स्वैच्छिक संगठनों के जरिए समुदाय को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने और उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इससे स्थानीय संगठनों द्वारा भी अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

राज्य सरकार:

- रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचने में सहायता करने के लिए सरकारी अस्पतालों में कम से कम एक एम्बुलेंस (चालू स्थिति में) उपलब्ध होनी चाहिए।
- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां, आयरन की गोलियां, ओआरएस पैकेट उपलब्ध होने चाहिए ताकि जब कभी भी कोई गर्भवती स्त्री अस्पताल में जांच के लिए आए तो उसे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
- सरकारी अस्पतालों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल दाइयों, विशेषज्ञों, विशेषज्ञ चिकित्सकों को समय–समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।
- सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को बनाए रखने पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।
- गर्भवती माताओं को फल के रस आदि जैसे पोषाहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से लोगों में सरकारी अस्पतालों के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा।
- दूरदराज के इलाकों में रह रहे रोगियों को शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक अलग से सचल एम्बुलेंस–सह–डिस्पेंसरी सेवा विकसित की जानी चाहिए।
- उपयुक्त दरों पर दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए एक मोबाइल वैन उपलब्ध होना चाहिए जो निकटवर्ती गांवों में वहां की जनसंख्या के दृष्टिगत सप्ताह में एक या दो बार जाए। इस मोबाइल वैन में सामान्य आयरन की गोलियां, ओआरएस पैकेट, दर्दनिवारक गोलियां, टॉनिक, विटामिन ए की गोलियां, निरोध आदि होने चाहिए। इससे स्वास्थ्य के संबंध में लोगों में जागरूकता विकसित होगी और साथ ही उनके मन में स्वास्थ्य केंद्रों के प्रति विश्वास भी जगेगा।
- स्थानीय अस्पताओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर निरंतर निगरानी और उनका मूल्यांकन किया जाता रहना चाहिए तथा निष्कर्ष प्राप्त होने के तत्काल पश्चात सिफारिशों को निरंतर लागू किया जाना चाहिए।

जिला स्तरीय प्राधिकरणः

- स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जांच कक्षों और प्रसव कक्षों में पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे महिलाएं काफी असहज महसूस करने लगती हैं।
- अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए।
- सभी जरूरतमंद रोगियों के लिए निःशुल्क औषधियां और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- चिकित्सकों, कुशल दाइयों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरते रहना चाहिए।
- नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन मेलों के दौरान, टीकाकरण, पूरक औषधियां प्रदान की जानी चाहिए तथा संबंधित मुद्दों जैसेकि पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल आदि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की जानी चाहिए।
- शिशुओं के लिए समय से और पर्याप्त टीकाकरण को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने, उनके विकास पर निगरानी रखने, उन्हें डायरिया का शिकार हो जाने पर उनकी उचित देखभाल करने, पर्याप्त स्तनपान और माता द्वारा उनका स्तनपान छुड़ाए जाने का समय आदि के संबंध में उपयुक्त परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- इन स्वास्थ्यकारी परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय, स्थानीय सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों आदि सभी संबंधितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

स्थानीय निकाय/पंचायत/स्टेकहोल्डरः

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस आदि का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क औषधियां/सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल, गर्भनिरोधक सुविधाओं, बच्चों को आहार देने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य विषयों के सभी घटकों पर ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- जागरूकता कैम्पों में पुरुषों की भागीदारी अत्यधिक आवश्यक है। पुरुषों के लिए अलग से कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि महिलाएं/परिवार मिश्रित समूह में अपनी बात कहने में असहज महसूस करती हैं।
- अन्य कार्यकारी समूहों को विभागों, समितियों, गैर–सरकारी संगठनों आदि के बीच समन्वय होना चाहिए। इससे संसाधनों का बेहतर रूप में और अधिक प्रभावी रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- गांव के मुखिया की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक जागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएं। जिन कैम्पों में पहुंचकर संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञों की बातचीत सुनने के लिए मुखिया द्वारा अपने साथ गांव की महिलाओं को लेकर आया जाए ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई नई प्रगतियों से अवगत हो सकें।
- गर्भनिरोधक विधियों और शिशुओं को स्तनपान कराने के संबंध में नियमित आधार पर वार्ता आयोजित की जानी चाहिए।
- "आंगनवाड़ी" के स्वयंसेवकों द्वारा अपने क्षेत्र में रहने वाली विशेषकर गर्भवती महिलाओं और सामान्यतः सभी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

2. **उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु अनुसंधान अध्ययन – सद्ज्योतिका, अपर्णा नगर, चौलियागंज, पी ओ नया बाजार, कटक (उड़ीसा) द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम**

उड़ीसा में जनजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य दशाएं गैर–जनजातीय लोगों की तुलना में काफी निम्न स्तर पर हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए एक अध्ययन (1993) के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 115 है जबकि गैर–जनजातीय क्षेत्रों में 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से मात्र 85 है। इससे जनजातीय समुदाय द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुंच और उपयोग की निम्न स्थिति प्रदर्शित होती है। इस अध्ययन द्वारा उड़ीसा में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशा और निम्न स्वास्थ्य स्थिति के बीच संबंध का आकलन किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति और प्रतिदर्श क्षेत्रों में चलाए जा रहे विभिन्न चालू विकासात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी पर विचार करते हुए निम्नलिखित सुझाव और सिफारिशें की गई हैं:

- सामान्यतः जनजातीय लोगों और विशेषकर जनजातीय महिलाओं का उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख विकासात्मक सूचकों की समय–समय पर निगरानी की जानी चाहिए तथा इस संबंध में प्राप्त फीडबैक से संबंधित एजेंसियों को सूचित किया जाना चाहिए।
- आईटीडीए स्तर पर क्षेत्र–विशिष्ट और जनजातीय–विशिष्ट बहु–क्षेत्रीय परियोजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए तथा जनजातीय महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जनजातीय आबादी के समेकित विकास हेतु उनका प्रयोग किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के विकास को बाधित करने का प्रमुख कारण महिलाओं में साक्षरता दर का कम होना है। महिलाओं में विकास की गति को त्वरित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं उदाहरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयसृजन स्कीम, स्वास्थ्य सुविधा, पोषाहार सेवाएं आदि से युक्त पूर्णतः सुसज्जित शैक्षणिक परिसर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- और अधिक संख्या में जनजातीय महिला लाभभोगियों को आकर्षित करने के लिए इस स्कीम के संवर्धन और क्रियान्वयन हेतु इसमें अधिकाधिक अनुभवी और सक्षम शैक्षणिक संगठनों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न विकास कार्यक्रमों, विशेषकर रोजगार और आयसृजन पर केंद्रित कार्यक्रमों के बारे में जनजातीय महिलाओं को जानकारी उपलब्ध न होना उन कार्यक्रमों में उनकी कम भागीदारी होने का कारण है। गांव, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को लक्षित जनजातीय महिला समूहों के बीच जागरूकता सृजन और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए कार्यक्रम चलाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- अल्पकालिक तकनीकी कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आय सृजन स्कीमों से जोड़ा जाना चाहिए।
- स्व–सहायता समूहों को आजीविका के विविध साधन उपलब्ध होने चाहिए। उनके आवश्यक कौशल को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनके परंपरागत कौशल को आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जा सके।
- इन निर्धन जनजातीय महिलाओं की सफलता उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले सूक्ष्म ऋण की सुविधा पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि जनजातीय

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कृषि, पशुपालन, जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा और वन आधारित क्रियाकलापों के लिए ऋण आबंटित करने के संबंध में अधिक सुदृढ़ और विस्तारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

- जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए जनतीय बहुल क्षेत्रों में आवधिक रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जनजातीय विकास एजेंसियों ,ारा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के सहयोग से सचल स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाने चाहिए।
- स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों और महिला समूहों को जनजातीय समुदाय में रोग के कारणों, विभिन्न रोगों के निवारक उपायों, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, व्यक्तिगत साफ–सफाई, स्वच्छता आदि के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और शैक्षिक अभियान चलाने हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षित पेय जल को उपयोग में लाने और स्वच्छता को अपनाने की आदत विकसित की जानी चाहिए। महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत साफ–सफाई और स्वच्छता आदि की स्थिति में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक आईईसी कार्यनीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
- जनजातीय माताओं में काफी अधिक निरक्षरता पाई गई है। जनजातीय माताओं को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और साफ–सफाई आदि पर ध्यान दे सकें। जनजातीय माताओं के लिए पेय जल के शुद्धिकरण, व्यक्तिगत साफ–सफाई, डायरिया से ग्रसित हो जाने की स्थिति में ओआरएस की आवश्यकता, स्वयं और नवजात शिशु दोनों के लिए टीकाकरण आदि के संबंध में जागरूक होना आवश्यक है।
- जनजातीय महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्यों की क्षमता को सुदृढ़ बनाने और उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर आवधिक रूप से अल्पकालिक अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का प्रभावी रूप में वहन कर सकें।

3. उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा जिले में पंचायतों में कार्य कर रही महिलाओं के संबंध में किया गया अध्ययन (ब्लॉक–वार सर्वेक्षण पर आधारित) – जलगांव समिति सजगौरी, गांव सजगौरी, पीओ देवली खेत, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अल्मोड़ा जिले में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का आकलन करना और पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की प्रकृति और उसके परिमाण का पता लगाना था। इस अध्ययन के लिए पंचायतों की महिला सदस्यों को लक्षित किया गया था। विश्लेषण हेतु परिमाणात्मक और गुणात्मक आंकड़े प्रयोग में लाए गए। यह अध्ययन अल्मोडा जिले के 10 ब्लॉकों में किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- निरक्षर लोगों या प्राथमिक स्कूल के स्तर से कम स्तर तक पढ़े–लिखे लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाए।
- राजनीति में आने के लिए युवा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
- सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसे नियमित आधार पर भी चलाया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जैसेकि

नियम और विनियम, प्रशासनिक मुद्दे, बजटिंग और वित्त तथा विकास स्कीमों का क्रियान्वयन आदि।

- महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें अधिक मात्रा में मानदेय दिया जाए।
- नीतिगत स्तर पर महिला की अध्यक्षता वाले पंचायतों और वार्डों के लिए सीटों के रोटेशन की प्रणाली बंद कर दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
- न केवल महिलाओं का अधिकाधिक प्रतिशत में राजनीति में प्रतिनिधित्व बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए बल्कि राजनीति में बने रहने के लिए उनकी सक्षमता में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

4. शिमला, जिला हिमाचल प्रदेश में अकेली रह रही महिलाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन : ऐसी महिलाओं की संख्या ज्ञात करना और उनकी प्रमुख समस्याओं के संबंध में जानकारी एकत्र करना – प्रियंका भारद्वाज द्वारा किया गया अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कानूनी, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अकेली रह रही महिलाओं की समस्याओं की पहचान करना था। इस अध्ययन हेतु गैर–प्रयोगात्मक, अन्वेषणात्मक और रचनात्मक अनुसंधान क्रियाविधि को प्रयोग में लाया गया। इस अध्ययन में एक ही जिले के 10 ब्लॉकों में अकेली रह रही 5017 महिलाओं को शामिल किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- आरक्षण सूचकांक में अकेली रह रही महिलाओं के पृथक यूनिट स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पहली बात तो यह है कि उन्हें मान्यता प्राप्त होगी और दूसरी यह कि इससे उन्हें राशन कार्डों, बिजली बिलों, पानी के बिलों में सरकार से वित्तीय छूट प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।
- इन महिलाओं के लिए तत्काल कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। इनके लिए हिंदी माध्यम में पुस्तक और पंफलेट छपवाए जाएं और उन्हें 1/– रुपए के न्यूनतम मूल्य पर इनमें वितरित किया जाए।
- इन पंफलेटों के बारे में इन महिलाओं को ग्राम प्रधानों या उनके सहायकों द्वारा महीने में दो बार आयोजित वार्ता कार्यक्रमों में बताया जाए।
- आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में नौकरियों और स्व–रोजगार की आवश्यकता है। इस परियोजनार्थ 5–7 किलोमीटर की दूरी पर 10–12 लोगों को शामिल करके छोटे सहकारी केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे केंद्र किसी क्षेत्र के चारों ओर के कम से कम 5–7 किलोमीटर के इलाके को कवर करेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य उन गांवों में रहने वाली महिलाओं को इन केंद्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना होगा।
- ये केंद्र सेब की खेती और उसके उत्पादों को तैयार करने से संबंधित कार्य कर सकते हैं।
- ये केंद्र बिक्री हेतु घर में निर्मित सेब उत्पादों को तैयार कर सकते हैं।
- ये सेब की खेती के लिए आवश्यक उपकरणों और कच्ची सामग्रियों के विक्रय हेतु केंद्र भी चला सकते हैं।
- इन केंद्रों का प्रयोग **स्व–विकास केंद्रों** के रूप में भी किया जा सकता है। इस केंद्र में पहले से विद्यमान पंचायती राज स्कीमों में कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है और ये महिलाएं यदि उस क्षेत्र में पहले से पंचायती राज स्कीम में कार्य नहीं कर रही हैं तो भविष्य में ऐसी स्कीमों के शुरू होने पर उनके क्रियान्वयन में सहायता कर सकती हैं। इस प्रकार महिलाओं की

आधार स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। चूंकि इस प्रकार का केंद्र ग्रामवासियों की पहुंच के भीतर स्थित होगा और उसमें गांव की अपनी महिलाएं कार्य कर रही होंगी, अतः इन केंद्रों को अत्यधिक समर्थन प्राप्त होगा। इन केंद्रों की निगरानी ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा की जा सकती है। ऐसा केंद्र क्षेत्रीय महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा।

- मशोबरा, थियोग, रामपुर और रोहुर कस्बा जैसे क्षेत्रों में खोले गए केंद्रों में शिशु सदन भी खोला जा सकता है। चूंकि यहां कार्य कर रही अनेक महिलाएं या तो नौकरियां कर रही हैं या सेब की देखभाल के लिए सेब फार्मों में जाती हैं, अतः उन्हें अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सहायक की आवश्यकता है। शिशु सदन खोलना दोनों पक्षों के लिए काफी लाभदायी सिद्ध हो सकता है।
- इन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कराने की दिशा में दाई और नर्स या प्राथमिक सहायता करने वाली महिला के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करना एक दूसरा तरीका हो सकता है। इन केंद्रों में यदि इस प्रकार का विकल्प उपलब्ध हो तो इन केंद्रों में रोगियों को आसानी से प्राथमिक सहायता उपलब्ध हो सकती है और इस प्रकार रोगी को किसी अस्पताल या चिकित्सक के पास पहुंचाने से पहले उसकी दशा को अधिक बिगड़ने से रोका जा सकता है।
- एक लोकप्रिय सुझाव है कि इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए; इस संबंध में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इन महिलाओं को प्रतिमाह लगभग 800/– रुपए की सहायता प्रदान की जा सकती है जिससे वे कारगर ढंग से अपना जीवनयापन कर सकती हैं क्योंकि यह राशि उनके लिए एक अतिरिक्त सहायता के रूप में होगी।
- अंतिम समाधान के रूप में किंतु यह समाधान भी पूर्णतः पर्याप्त नहीं हो सकता, यह उल्लेख किया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र एक अत्यधिक जटिल व नाजुक क्षेत्र है, जहां कोई एक या कोई अनेक कानूनों को बनाकर समस्याओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण समाज की ओर से सजग प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अतः इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का सबसे अच्छा उपाय यह है कि इन महिलाओं को अपने आसपास की जीवनशैली की प्रारूपिक नकारात्मक परंपरागत मनस्थिति से बाहर निकलकर जीवनयापन करने के लिए शिक्षित किया जाए। यह कार्य वास्तव में आसान नहीं है, फिर भी "आज की महिलाएं और उनका परिवर्तित हो रहा जीवन" विषय पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित करके इस दिशा में प्रयास किया जा सकता है। इससे वे समाज का बिना किसी हीन भावना के मुकाबला करने में सक्षम होंगी और इस प्रकार उनकी जीवनशैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
- अकेली रह रही महिलाएं समाज पर बोझ नहीं हैं वरन वे समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इस संकल्पना को अकेली रह रही महिलाओं के लिए आरक्षण सूचकांक में एक पृथक श्रेणी सृजित करने की दिशा में एक अन्य मांग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए किंतु यह संकल्पना मानव संसाधन को विकसित करने के रूप में देखी जानी चाहिए। चार्ल्स फूरियर के शब्दों में, **"महिला अधिकारों को व्यापकता प्रदान करना सभी सामाजिक प्रगति का मूलभूत सिद्धांत है।"**

5. आंध्र प्रदेश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों द्वारा आत्महत्या के कारण उनके परिवारों और महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना – नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों और उनके परिवारों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना था। इस अध्ययन हेतु यादृच्छिक रूप में 200 पीड़ित परिवारों (इनमें अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले और प्राप्त नहीं करने वाले दोनों ही प्रकार के परिवार शामिल थे) का चयन किया गया।

मुख्य सिफारिशें:

- ऐसे बुनकरों के परिवारों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है जो घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें वित्तीय और साथ ही रोजगार संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि इन परिवारों में आत्महत्या जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- जिन परिवारों के पुरुष द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, उनके सदस्यों और विशेषकर आत्महत्या करने वालों की विधवाओं को परामर्श दिया जाए ताकि उन्हें अवसाद की स्थिति से बाहर निकाला जा सके और संकट का सामना करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सके।
- आत्महत्या करने वालों की विधवाओं में कौशल और नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए उनके लिएं प्रशिक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल अपने पारिवारिक कार्यों को निपटाने में बल्कि घर से बाहर के कार्यों को निष्पादित करने में समर्थ हो सकें।
- सरकार द्वारा इस बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि आत्महत्या के कारण प्रभावित परिवारों में बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें बल्कि ऐसे परिवारों के जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उन्हें फिर से स्कूलों में भेजा जाए।
- चूंकि बहुत अधिक परिवार किराये के मकानों में और एस्बेस्टस की छत वाले कमरों में रह रहे हैं, अतः इन परिवारों को पक्का मकाने बनाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए।
- स्व–रोजगार से जुड़ी महिलाओं का बुनाई उपकरण (पिटकरघा) पुराना हो चुका है, अतः उन्हें नया उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- रियायती दरों पर कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए कच्ची सामग्रियों के डिपो स्थापित किए जाने चाहिए।
- तैयार उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बाजार में बेचने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।
- चूंकि बीड़ी बनाने के काम में पारिश्रमिक कम मिलता है और यह कार्य स्वास्थ्य के लिए भी काफी जोखिम भरा है, अतः बीड़ी बनाने के काम में लगी बुनकरों की विधवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कर्ज देने में साहूकारों की भूमिका को कम करने के लिए बैंकों तक पहुंच में वृद्धि की जानी चाहिए।
- अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु उन परिवारों की पहचान करने, जिनमें पुरुष सदस्यों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, के लिए पूर्णतः सुव्यवस्थित विधि विकसित की जानी चाहिए।
- सभी विधवाओं को स्व–सहायता समूहों में सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कम ब्याज दर पर ऋण लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनके आय सृजक क्रियाकलापों में विविधता आ सके।
- केंद्र और राज्य सरकारों की सहकारी क्षेत्रों में बुनकरों पर केंद्रित सभी कल्याण स्कीमों को सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

6. **उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति : धारी विकास ब्लॉक का एक तुलनात्मक अध्ययन –**

एक्टिविस्ट ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमेनिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अध्ययन कार्यक्रम

- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना और महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना था। इस अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए गए। कुल प्रतिदर्श आकार 529 परिवारों का था जिनमें बोधिबन, धनचुली, अक्सोडा और कोकिलबाना से परिवार शामिल किए गए थे।

मुख्य सिफारिशें:

- महिलाओं के लिए परिवार और समाज में समानता की स्थिति स्थापित करना अनिवार्य है, इस प्रयोजनार्थ जागरूकता सृजन के जरिए समुदाय की सोच में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
- बालिका शिक्षा को महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता का स्तर काफी कम पाया गया। अतः समय–समय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम स्तर पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए।
- महिलाओं को अपने क्रियाकलापों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
- लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा आदि जैसी बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- महिलाओं के वास्तविक सशक्तीकरण और समाज में समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। कुटुम्ब की संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
- महिलाओं की अवधारणाओं में परिवर्तन हेतु स्व–सहायता समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हो।

8 आयोग के लेखे

तुलन–पत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्श	पिछला वर्श
पूंजीगत निधि	1	48,857,891.00	46,038,841.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	(9,734,401.00)	(2,314,709.18)
निर्धारित/स्थायी निधि		—	—
सुरक्षित ऋण और उधार		—	—
असुरक्षित ऋण और उधार		—	—
आस्थगित ऋण देयताएं		—	—
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	3	14,387,813.00	12,500,597.00
		53,511,303.00	**56,224,728.82**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	20,291,003.57	21,600,966.22
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधि से		—	—
निवेश – अन्य	5	1,415,649.43	862,257.60
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम	6	31,804,650.00	33,761,505.00
विविध व्यय		—	—
जोड़ (ख)		**53,511,303.00**	**56,224,728.82**
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	14		
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	15		

सदस्य–सचिव

आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेत्तर	योजनागत	योजनेत्तर
बिक्री/सेवाओं से प्राप्त आय			—		—
अनुदान/राज सहायता	7	45,574,058.00	43,000,000.00	35,350,082.00	31,132,000.00
शुल्क/अभिदान	8	—	3,686.00	—	2,914.00
निवेश से प्राप्त आय (निधियों में अंतरित निर्धारित/स्थायी निधि से)	9	—	—	—	—
रायल्टी/प्रकाशन आदि से आय		—	—	—	—
अर्जित ब्याज	10	—	387,219.83	—	384,427.60
अन्य आय	11	—	142,326.00	—	610.00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक और डब्ल्यूआईपी में वृद्धि/कमी		—	—	—	—
जोड़ (क)		**45,574,058.00**	**43,533,231.83**	**35,350,082.00**	**31,519,951.60**
व्यय					
स्थापना व्यय	12	6,876,260.00	20,713,049.00	5,864,336.00	20,734,073.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	13	51,358,668.00	13,450,100.00	36,002,957.00	14,610,666.00
अनुदान, राज सहायता आदि पर व्यय		—	—	—	—
ब्याज		—	—	—	—
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		4,128,904.65	—	6,434,684.78	—
जोड़ (ख)		**62,363,832.65**	**34163149.00**	**48301977.78**	**35344739.00**
आय की तुलना में व्यय के पश्चात अतिरिक्त बची शेष राशि (क-ख)		**(16,789,774.65)**	**9,370,082.83**	**(12,951,895.78)**	**(3,824,787.40)**
विशेष आरक्षित राशि को अंतरण		—	—	—	—
सामान्य आरक्षित राशि को/ से अंतरण		—	—	—	—
समय/पूंजी निधि में ले जाई गई अधिशेष (कम हुई) शेष राशि		**(16,789,774.65)**	**9,370,082.83**	**(12,951,895.78)**	**(3,824,787.40)**

सदस्य–सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
प्रारंभिक शेष									
हस्तगत नकदी	9,483.00	4,457.00	—	—	स्थापना व्यय (अनुसूची–16)	5,864,336.00	15,925,472.00	5,307,373.00	27,143,787.00
बैंक में जमा शेष नकदी	12901864	3,168,740.00	9,928.00	288,287.00	अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–17)	42,387,165.00	18,392,427.00	40,165,391.00	12,662,842.00
प्राप्त अनुदान	36,000,000.00	31,132,000.00	48,500,000.00	43,000,000.00	प्रेषित धन (अनुसूची–18)	—	4,099,153.00	—	6,258,239.00
निवेश पर आय									
स्थायी निधि	—	—	—	—					
स्वयं की निधियां	—	—	—	—	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय	649,918.00	—	2,925,942.00	—
निवेश पर ब्याज	—	—	—	—					
					अंतिम शेष				
प्राप्त ब्याज					हस्तगत नकदी	—	—	—	—
बैंक में जमा राशि	—	273,465.00	—	258,706.00	बैंक में जमा शेष राशि	9,928.00	288,287.00	111,222.00	3,895,070.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	—	24,000.00	—	8,694.00					
ऋण एवं अग्रिम	—	—	—	—					
नकदीकृत निवेश	—	—	—	—					
अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	—	—	—	—					
अन्य आय									
आरटीआई	—	2,914.00	—	3,686.00					
विविध	—	340.00	—	142,326.00					
आय	—	270.00	—	—					
विप्रेषण (अनुसूची–18)	—	4,099,153.00	—	6,258,239.00					
	48,911,347.00	**38,705,339.00**	**48,509,928.00**	**49,959,938.00**		**48911347.00**	**38,705,339.00**	**48,509,928.00**	**49,959,938.00**

सदस्य–सचिव

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा – भविष्य निधि
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में

राशि (रुपए में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष					
बैंक शेष	380,214.00	2,143,758.00	अंतिम भुगतान/अग्रिम/निकासी	673,563.00	2,100,354.00
			अंशदायी भविष्य निधि पर प्रदत्त ब्याज	16,307.00	—
अभिदान	835,000.00	747,451.00	अंशदायी भविष्य निधि में किया गया निवेश	1,182,500.00	785,000.00
अंशदान	397,204.00	361,464.00	बैंक प्रभार	165.00	—
परिपक्व निवेश	748,582.00	—	अंतिम शेष		
			बैंक शेष	488,919.00	380,214.00
बैंक द्वारा प्रतिपूरित टीडीएस	108.00	3,190.00			
अंशदायी भविष्य निधि से अर्जित ब्याज	346.00	9,705.00			
	2,361,454.00	**3,265,568.00**		**2,361,454.00**	**3,265,568.00**

सदस्य–सचिव

तुलन–पत्र से संबद्ध अनुसूची
31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	46,038,841.00	—	47,204,902.00
जोड़ें: समग्र/पूंजीगत निधि में अंशदान	—	—	—
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	—	—	—
जोड़ें: ब्याज पर टीडीएस की प्रतिपूर्ति के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	108.00	—	3,190.00
घटाएं: स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में समायोजन प्रविष्टि	107,000.00	—	1,819,169.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत निधि	2,925,942.00	—	649,918.00
वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	**48,857,891.00**		**46,038,841.00**

अनुसूची–2 : आरक्षित एवं अधिशेष निधि

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
1) *पूंजीगत आरक्षित निधि*			
पिछले लेखा के अनुसार	(2,314,709.18)	—	14,461,974.00
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) अंतरित निवल आय/(व्यय)	(16,789,774.65)	9,370,082.83	(16,776,683.18)
जोड़	**(19,104,483.83)**	**9,370,082.83**	**(2,314,709.18)**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–3 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
देय अंशदायी भविष्य निधि		—	1,871,944.00	1,226,496.00
देय वेतन		—	—	4,808,601.00
गैर–सरकारी संगठनों को देय अग्रिम	क+ख+ग+घ	10,869,634.00	—	5,146,035.00
गैर–सरकारी संगठनों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को देय अग्रिम	ड.+च+छ	1,646,235.00	—	1,319,465.00
		12,515,869.00	**1,871,944.00**	**12,500,597.00**
विशेष अध्ययन	(क)	**4,466,650.00**		**2,591,325.00**
आसरा विकास संस्थान		30,000.00		—
अभियान, छत्तीसगढ़		249,000.00		249,000.00
ऑल इंडिया फाउंडनेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट		321,300.00		—
अरावली इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च		102,690.00		—
एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, कोटा		74,550.00		223,650.00
सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट, जयपुर		97,050.00		97,050.00
सेंटर फॉर स्ट्डीज फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		101,400.00		101,400.00
चैतन्य मोहन कोठी, गया		58,800.00		58,800.00
डॉ. एल. एन. दधीच, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक, उदयपुर		141,120.00		—
डॉ. शैला प्रवीण, व्याख्याता, वाराणसी, उ.प्रदेश		183,000.00		—
एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली		152,400.00		152,400.00
एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली		109,200.00		109,200.00
इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उदयपुर		44,800.00		—
इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वर्क, कोलकाता		109,800.00		109,800.00
जाबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइजेशन		48,615.00		48,615.00
जलगाम समिति सजगौरी		43,890.00		131,670.00
लीगल सर्विसेज, अपोलो अस्पताल के निकट		65,200.00		65,200.00
लियाकत अली खान		120,000.00		—
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस		111,800.00		111,800.00
मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार		41,200.00		41,200.00
मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी		108,360.00		108,360.00
सुश्री शीला चौधरी		49,200.00		49,200.00
नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्ट्डीज		40,000.00		40,000.00

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
नवराजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च		119,700.00		—
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी		193,410.00		99,540.00
पश्चिम बंग युवा कल्याण मंच		38,640.00		38,640.00
प्रियंका भारद्वाज		52,080.00		—
प्रो. विजय लक्ष्मी, उदयपुर		127,800.00		—
आरके एचआईवी एड्स सेंटर, मुंबई		257,400.00		257,400.00
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी		178,290.00		—
शक्ति वाहिनी, नई दिल्ली		124,425.00		—
शिवाणी भारद्वाज		330,750.00		—
श्री राज सिंह निर्वाण		232,000.00		232,000.00
सिच्युएशनल एनालिसिस ऑफ होमलेस वूमेन		150,000.00		150,000.00
दॅ एशोएिशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव		142,380.00		—
वूमेन स्टडी एंड डेवलपमेंट, कोची		116,400.00		116,400.00
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	(ख)	**3,811,250.00**		**1,848,610.00**
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30,000.00		30,000.00
आरती महिला सेवा संस्थान, उदयपुर		15,000.00		—
आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, आगरा		15,000.00		—
आचार्य जी महा समिति, गोरखपुर		15,000.00		—
आदर्श, उड़ीसा		15,000.00		—
आदर्श ग्रामीण शिक्षण समिति, राजस्थान		15,000.00		—
आदर्श जन सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
एग्रिड (एसोसिएशन फॉर ग्रामराज्यम एंड रूरल इंटीग्रेटिड डेवलपमेंट)		10,000.00		—
ऐकातन संघ विल्लेज एंड पोस्ट दारा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		—
अखिल भारतीय नव युवक कला संगम, हरियाणा		15,000.00		—
ऑल इंडिया कॉमन वेल्थ आर्गेनाइजेशन, हरियाणा		15,000.00		—
ऑल इंडिया वूमेंन्स कान्फ्रेंस, नई दिल्ली		—		13,860.00
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा		15,000.00		—
अमृत महिला कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
अन्नपूर्णा ग्रामोद्योग मंडल, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
अपर्णा शिक्षा समिति, राजस्थान		15,000.00		—

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (विधिक जागरूकता कार्यक्रम)	18,000.00		
आशा विकास संस्था, उदयपुर	30,000.00		30,000.00
एसोसिएशन फॉर रूरल एंड टेक्निकल एजूकेशन सेंटर, हिमाचल प्रदेश	15,000.00		—
एसोसिएशन फॉर वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट, उड़ीसा	15,000.00		—
एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड नरचर एसोसिएशन, जयपुर	30,000.00		30,000.00
अस्तित्व बाबू उद्देश्य मानव उत्थान संस्थान	15,000.00		—
आजाद नवयुवक मंडल संस्थान, राजस्थान	30,000.00		—
आजाद सेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
बाहरपोट प्रेमललिता रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	15,000.00		15,000.00
बालाजी सामाजिक उत्थान समिति, आगरा, उ.प्र.	15,000.00		—
बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली	15,000.00		—
विनोदिनी सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, पश्चिम बंगाल	15,000.00		—
भारत एजूकेशन एंड पीस प्रोमोशन सोसाइटी, पंजाब	15,000.00		15,000.00
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		15,000.00
भारतीय किसान कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
भारतीय महिला कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन, दिल्ली	30,000.00		30,000.00
बाल एवं महिला उत्थान समिति, राजस्थान	—		45,000.00
बापू युवक संघ	—		30,000.00
बिजिराम स्वयं महिला समिति, उड़ीसा	15,000.00		—
बुनियाद एजूकेशन सोसाइटी, हरियाणा	15,000.00		—
सेंटर फॉर कम्युनिकेशन रिसोर्सिज, दिल्ली	15,000.00		—
सेंटर फॉर एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर, हरियाणा	15,000.00		—
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	30,000.00		30,000.00
दलित महिला रचनात्मक परिषद्	15,000.00		15,000.00
दीन बंधु सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
दीपविद्या मंदिर समिति, राजस्थान	30,000.00		—
ध्रुव संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
दिशा फाउंडेशन, भरतपुर, राजस्थान	15,000.00		—
जिला मजिस्ट्रेट एवं समाहर्ता	15,000.00		15,000.00

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
डॉ. अम्बेडकर समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
डायनमिक यूथ सोसाइटी	20,000.00		20,000.00
ध्यानगंगा बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान	—		15,000.00
गांधी सेवा संस्थान	15,000.00		15,000.00
गांधी विद्या मंदिर शिक्षा समिति	—		15,000.00
गेहलु ज्ञान भारती शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		—
गिरिधर सोसाइटी	30,000.00		30,000.00
गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	—		15,000.00
ग्रामीण महिला विकास समिति, झज्जर, हरियाणा	30,000.00		—
ग्रामीण शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
ग्रामीण विकास संस्था, राजस्थान	30,000.00		—
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	15,000.00		—
ग्रामीण सुधार समिति, हरियाणा	15,000.00		—
ग्रामोदय जन जागृति समिति	—		15,000.00
ग्राम सेवा समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
ज्ञान दर्शन अकादमी	15,000.00		15,000.00
ज्ञान सागर, बिहार (विधिक जागरूकता कार्यक्रम)	15,000.00		—
हरियाणा ग्रामीण विकास शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		—
होली मशीनी फाउंडेशन	—		15,000.00
ह्युमन मिरर ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		—
ह्युमन राइट्स आर्गेनाइजेशन, बिहार	30,000.00		30,000.00
हुसैनी मानव कल्याण एवं शिक्षण, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
आइडियल फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, हरियाणा	15,000.00		15,000.00
इंडियन अडल्ट एजूकेशन एसोसिएशन, दिल्ली	100,000.00		—
इंडियन माइनरिटीज यूथ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
इंडियन सोसाइटी, उदयपुर	15,000.00		—
इंदिरा विकास महिला मण्डली, आंध्र प्रदेश	10,000.00		—
इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डो–पब्लिक हेल्थ, महाराष्ट्र	30,000.00		—
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार	15,000.00		—

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
जय स्वाति ग्रामोद्योग संस्थान	—		15,000.00
जय कल्याण एवं विकास समिति	—		15,000.00
जन शक्ति महिला संस्थान, उदयपुर	15,000.00		—
जन उदय फाउंडेशन, नई मंडी, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर	220,000.00		—
जाइंट वूमेन्स प्रोग्राम	30,000.00		30,000.00
कल्पतरु समाज कल्याण संघ, नई दिल्ली	15,000.00		—
कल्याण सेवा समिति	—		30,000.00
कमालपुर बबला आदर्श जनकल्याण समिति	15,000.00		15,000.00
कनक कल्चरल फाउंडेशन, कर्नाटक	15,000.00		—
कर्त्तव्य सेवा संघ, आवापुर, बिहार	15,000.00		—
किसान भारती विकास संस्थान	—		30,000.00
कृष्ण ग्रामोत्थान समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		—
लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान	45,000.00		—
लक्ष्य विनर्स शिक्षण संस्थान, राजस्थान	30,000.00		—
मां द्रोपदी जनसेवा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल	30,000.00		—
महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मण्डल	—		30,000.00
महात्मा शिक्षा प्रसार समिति	15,000.00		15,000.00
महिला आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक विकास, वाराणसी	15,000.00		—
महिला चेतना समिति, झज्जर	15,000.00		—
महिला जागृति समिति	—		30,000.00
महिला जागरूकता शिक्षा एवं कल्याण समिति	15,000.00		15,000.00
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति	15,000.00		15,000.00
महिला मदर टेरेसा सेवा संस्थान, बिहार	15,000.00		—
महिला सेवक समाज	30,000.00		30,000.00
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति	30,000.00		60,000.00
महिला विकास समिति	—		15,000.00
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		—
मानव कल्याण संस्थान	30,000.00		30,000.00

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
मानव समाज सेवा संस्थान, कानपुर	15,000.00		—
मानव उज्ज्वल समाज समिति	—		15,000.00
मानव विकास महिला कल्याण संस्थान	—		45,000.00
मानव विकास संस्थान	—		15,000.00
मरूक्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक संस्थान राजस्थान	30,000.00		—
मैरी जेसस सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, तमिलनाडु	15,000.00		—
मातृ दर्शन शिक्षा समिति	15,000.00		15,000.00
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15,000.00		15,000.00
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
मौलासाई सेवाभवी संस्थान, महाराष्ट्र	15,000.00		—
मयूर ग्रामीण विकास सेवा संस्थान	—		15,000.00
मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, उदयपुर	30,000.00		—
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति	—		15,000.00
नारी समाजोत्थान समिति	—		15,000.00
नाश्तेर एजूकेशन सोसाइटी	—		15,000.00
नेशनल यूथ एसोसिएशन	40,000.00		40,000.00
नेटिव एजूकेशन एंड इम्पलायमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, मध्य प्रदेश	30,000.00		—
नेचुरल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स	15,000.00		—
नव आंचल, जिला नालंदा	15,000.00		30,000.00
नव बिहार उद्योग मण्डल, हिल्सा, बिहार	15,000.00		—
नवेदिता कल्याण समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		—
नव जागृति समिति, लखनऊ	15,000.00		—
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च, राजस्थान	30,000.00		—
नया सवेरा, हरियाणा	15,000.00		—
नेहरू महालिर मंदरम, तमिलनाडु	15,000.00		—
न्यू ऐज फाउंडेशन	15,000.00		15,000.00
न्यू लाइफ क्लब	15,000.00		15,000.00
नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, तिरुपति (एलएसीं	73,500.00		—
नॉर्थ इंडियन एजूकेशनल ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
ओएसिस फाउंडेशन, तमिलनाडु	10,000.00		—

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
उड़ीसा राज्य महिला आयोग	50,000.00		50,000.00
पार्वती सेवा एवं शिक्षण संस्थान	—		45,000.00
पीपल एवेयरनेस फॉर रूरल एक्शन सोसाइटी	20,000.00		—
फूलीन महिला चेतना विकास केंद्र	15,000.00		—
प्रबल समाज सेवी संस्थान, झारखण्ड	30,000.00		—
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान	15,000.00		—
प्रदूषण निवारण युवक संगठन, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
प्रगति महिला मण्डली	—		45,000.00
प्रकृति चेरिटेबल सोसाइटी	—		30,000.00
प्रसा अनुसंधान संस्थान, राजस्थान	15,000.00		—
पुष्पा केकतिय चेरिटेबल	15,000.00		15,000.00
पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, उड़ीसा	30,000.00		—
रबिया महिला सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
रछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग, सैती	12,500.00		12,500.00
रजत ग्रामोद्योग विकास संस्थान	—		15,000.00
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरेडिकेशन	15,000.00		15,000.00
राजेंद्रा इंस्टिट्यूट ऑफ एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर	—		15,000.00
राजीव गांधी मेमोरियल वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु	15,000.00		—
ऋषि सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़	15,000.00		—
रूरल अवेयरनेस एंड वेल्फेयर ट्रस्ट	—		15,000.00
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		—
रूरल इनवायरनमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, राजस्थान	30,000.00		—
रूरल हेल्थ एंड इनवायरनमेंट डेवलपमेंट, तमिलनाडु	15,000.00		—
रूरल महिला सेवा समिति (आरएमएसएस), आंध्र प्रदेश	15,000.00		—
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, हरियाणा	15,000.00		—
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर एग्रो डेवलपमेंट	40,000.00		40,000.00
सहारा समिति	—		30,000.00
शहीद भगत सिंह युवा संगठन	—		15,000.00
समाधान जन सेवा एवं शिक्षा प्रसार, ग्वालियर	30,000.00		—
समग्र जागृति एवं विकास संस्थान,राजस्थान	15,000.00		—

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
समाज जागृत सेवा समिति, हरियाणा	15,000.00		—
समाज संस्थान एवं सर्वांगीण विकास संस्थान	9,000.00		9,000.00
समाज उत्थान समिति	13,250.00		13,250.00
समता सेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00
संकल्प जिला शिवसागर	—		40,000.00
संजीवनी सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		—
सर्वांगीण उन्नयन समिति	20,000.00		20,000.00
सरोजिनी नायडू महिला विकास एवं कल्याण संस्थान	15,000.00		30,000.00
सवेरा शिक्षण संस्थान	—		30,000.00
एसबीएस फाउंडेशन, फजलपुर, दिल्ली	30,000.00		—
सेवाहर (शिक्षा, कल्याण एवं स्वास्थ्य समिति) (हरियाणा)	15,000.00		—
सेवा, सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज	15,000.00		—
शक्ति मानव सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
श्री गणेश शिक्षा समिति, हरियाणा	15,000.00		—
श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर	30,000.00		—
श्री आनंद विकास समिति	—		15,000.00
श्री गणेश प्रसाद स्मारक सेवा, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति	15,000.00		15,000.00
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	45,000.00		—
श्री सरदार सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	30,000.00		—
श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
सर छोटू राम युवा क्लब, हरियाणा	15,000.00		—
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	15,000.00		—
श्रीमती चंद्र कुमारी शिक्षा समिति, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशनल सोसाइटी	30,000.00		30,000.00
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	10,000.00		—
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप	15,000.00		15,000.00
सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज, उड़ीसा	30,000.00		—
सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड रूरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), आंध्र प्रदेश	15,000.00		—
सोसाइटी फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, नौपाड़ा	—		15,000.00

राशि (रुपए में))

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागतn
श्री कृष्ण शिक्षा प्रसार समिति, मध्य प्रदेश		15,000.00		—
स्टुडेंट्स सोशल आर्गेनाइजेशन, विल्लेज रामपुर, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान		30,000.00		15,000.00
सूर्य (एक सामाजिक कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश)		60,000.00		—
सु–सामान्य गीता भवन		15,000.00		15,000.00
एस वी एस संस्थान		15,000.00		15,000.00
स्वावलम्बी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान		15,000.00		—
तरुण चेतना		—		15,000.00
दॅ आदर्श नशा मुक्ति समिति, हरियाणा		15,000.00		—
दॅ मिल्लत एजूकेशनल, इकोनोमिकल एंड सोशल रिफार्म		15,000.00		—
दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, दिल्ली		30,000.00		—
विज्ञान शिखा केंद्र		45,000.00		30,000.00
विकास ग्राम उद्योग मण्डल, सोनीपत, हरियाणा		30,000.00		—
विश्वकर्मा आदर्श विद्या मंदिर संस्थान, राजस्थान		30,000.00		—
विश्व शांति विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, तमिलनाडु		15,000.00		—
वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट एंड डेवलपमेंट, बांकुरा, पश्चिम बंगाल		15,000.00		—
वूमेन कंजूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तमिलनाडु		15,000.00		—
पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)	(ग)	**390,000.00**		**195,000.00**
भारत विकास संघ		15,000.00		—
भारतीय किसान कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
चांद तालीमी सोसाइटी, उत्तर प्रदेश		30,000.00		—
डॉ. खुर्शीद जहां गर्ल्स एंड बॉयस इंटर कॉलेज, उत्तर प्रदेश		45,000.00		—
हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, हरियाणा		150,000.00		150,000.00
इस्लामिया मख्तब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
नरेंद्र देव एजूकेशन स्कूल, महाराष्ट्र		15,000.00		—
शारा समिति		15,000.00		—
संत कीमा राम बाल कल्याण समिति		15,000.00		—
सर्वजन जागरण एवं विकास संस्थान		15,000.00		—
सैनिक महिला प्रशिक्षण		—		15,000.00

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
श्री आनंद विकास समिति		15,000.00		30,000.00
सूर्य विकास समिति		30,000.00		—
जैन सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, लखनऊ		15,000.00		—
सेमिनार/ सम्मेलन	(घ)	**2,201,734.00**		**511,100.00**
अभिनव कला केंद्र		30,000.00		30,000.00
अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण		—		30,000.00
आदर्श, उड़ीसा		15,000.00		—
अखिल भारतीय रचनात्मक समाज, दिल्ली		90,000.00		—
ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट		90,000.00		—
ऑल इंडिया कोर्णाक एजूकेशनल एंड वेल्फेयर, दिल्ली		30,000.00		—
आसरा, दिल्ली		15,000.00		—
बस्तर सामाजिक जन विकास समिति		9,000.00		9,000.00
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान		15,000.00		15,000.00
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली		151,674.00		—
सेंटर फॉर वूमेन्स स्ट्डीज, उदयपुर		90,000.00		—
द्रोपदी ट्रस्ट, नई दिल्ली		30,000.00		—
द्वारसनी श्रमिक संघ		9,000.00		9,000.00
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु		45,000.00		—
एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट		30,000.00		30,000.00
ज्ञान सुधा एजूकेशन सोसाइटी, हैदराबाद		15,000.00		—
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशन सोसाइटी, उदयपुर		30,000.00		—
हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, बिहार		15,000.00		—
हेलेना कौशिक वूमेन्स कॉलेज		—		30,000.00
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, महाराष्ट्र		15,000.00		
इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर वर्कर्स		30,000.00		30,000.00
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार		30,000.00		—
जन कल्याण युवक संघ, उड़ीसा		27,540.00		—
जन शक्ति महिला सेवा संस्थान, उदयपुर		15,000.00		—
जम्मू एवं कश्मीर राज्य आयोग		30,000.00		—
जागरूक महिला संस्थान परचम		15,000.00		30,000.00

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
कृषि महिला मण्डली, एनएडब्ल्यूए, आंध्र प्रदेश	30,000.00		—
कुमर्शा रूरल डवेलपमेंट सोसाइटी,पश्चिम बंगाल	15,000.00		—
लक्ष्मी वूमेन एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान, हरियाणा	15,000.00		—
मैत्री, नई दिल्ली	30,000.00		—
मानव कल्याण विद्या पीठ संस्थान, जयपुर	12,420.00		—
मानव उज्ज्वल समाज समिति, नई दिल्ली	30,000.00		—
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज	45,000.00		—
मॉडर्न शिक्षा विकास समिति,उत्तर प्रदेश	15,000.00		—
नवयुग सोशल डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट	56,100.00		56,100.00
एनएडब्ल्यूओ, डॉ. पाम राजपूत वूमेन्स रिसोर्स, चंडीगढ़	200,000.00		—
संगठन सचिव, जम्मू एवं कश्मीर	90,000.00		—
पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट, लखनऊ	30,000.00		—
परिक्रमा महिला समिति, मध्य प्रदेश	30,000.00		—
प्रधानाचार्य, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30,000.00		—
पल्स वेल्फेयर सोसाइटी, दिल्ली	15,000.00		—
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान	30,000.00		30,000.00
रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक एवं मल्टी महाराष्ट्र	30,000.00		—
आर के मोसांग	—		90,000.00
आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर	80,000.00		50,000.00
रोल ऑफ वूमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग	18,000.00		18,000.00
रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, राजस्थान	30,000.00		—
सबरी एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश	30,000.00		
सहारा समाज सेवा संस्थान, शिमला	30,000.00		—
सम्मति सोशल समिति, मध्य प्रदेश	15,000.00		—
संजीवनी, भुवनेश्वर	9,000.00		9,000.00
संजीवनी सोसाइटी	15,000.00		—
संतवरण सोशल सर्विस एजूकेशन एंड चेरिटेबल	15,000.00		—
सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़	30,000.00		—
शक्ति वाहिनी	60,000.00		—

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
श्री महाराणा प्रताप शिक्षा, हाथरस		9,000.00		—
श्री सागस महाराज शिक्षण एवं सामाजिक, मध्य प्रदेश		15,000.00		—
सिल्दा स्वास्ति उन्नयन समिति		30,000.00		30,000.00
सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट, हैदराबाद		15,000.00		—
तरंगिनी सोशल सर्विस सोसाइटी, आंध्र प्रदेश		15,000.00		—
दॅ एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तमिलनाडु		30,000.00		—
उज्ज्वल, गुड़गांव		15,000.00		15,000.00
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान		30,000.00		—
वात्सल्य समिति, हाथरस		15,000.00		—
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश		15,000.00		—
विज्ञान एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश		15,000.00		—
वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल		15,000.00		—
वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इनवायरनमेंट डेवलपमेंट, राजस्थान		30,000.00		—
वूमेन वेल्फेयर एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी		30,000.00		—
विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(ड.)	**203,615.00**		**244,465.00**
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेल्फेयर एसोसिएशन, असम		36,600.00		109,800.00
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर, पूर्वोत्तर क्षेत्र		37,065.00		37,065.00
जन स्मृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32,350.00		—
ओमेय कुमार दास इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल चेंज		48,000.00		48,000.00
रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), पूर्वोत्तर क्षेत्र		49,600.00		49,600.00
विधिक जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(च)	**1,091,500.00**		**985,000.00**
अरुणाचल राज्य महिला आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र		300,000.00		300,000.00
आशा वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी		—		20,000.00
असम प्रादेशिक महिला समिति, असम		40,000.00		
असम राज्य महिला आयोग, उज़ानबाज़ार		80,000.00		50,000.00
कॉस्मॉस मिशन, असम		—		20,000.00
क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ त्रिपुरा		—		20,000.00
दायिता सेवा मंच, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र		20,000.00		20,000.00

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
डायनामिक यूथ सोसाइटी	—		20,000.00
डीरा विल्लेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश	20,000.00		—
डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिस, असम	56,500.00		—
डॉ. अम्बेडकर मिशन, असम	15,000.00		—
ड्रीम्स, असम	20,000.00		—
ग्रुपियस सोशल वेल्फेयर सोसाइटी, असम	20,000.00		—
जाजी, गुवाहाटी, असम	20,000.00		20,000.00
खोमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसाइटी, मणिपुर	20,000.00		—
खुमुई बुरुई बोदूल, त्रिपुरा	20,000.00		—
कुंवर चतिया सांशनी महिला समिति, असम	40,000.00		—
लचिमा विकास समिति	—		20,000.00
मणिकुंतल महिला उन्नयन केंद्र, असम	15,000.00		—
मज़काजुल मारिफ नौगांव, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	15,000.00		15,000.00
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र	140,000.00		140,000.00
मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, असम	20,000.00		—
मिजोरम राज्य महिला आयोग	—		220,000.00
नयन मणि प्रगति संघ, असम	15,000.00		—
नॉर्थ–ईस्ट वूमेन एंटरप्रेन्योर	—		20,000.00
न्याय–को सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश	15,000.00		—
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता शंकर, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	40,000.00		40,000.00
प्रयास, असम	20,000.00		—
रूरल महिला वेल्फेयर सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश	20,000.00		—
सोशियो ओरिएंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मणिपुर	20,000.00		20,000.00
सुबांनसिरी वेल्फेयर सोसाइटी, असम	20,000.00		—
सन क्लब, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	20,000.00		20,000.00
सुप्रभात सोसाइटी	—		20,000.00
दॅ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मणिपुर	20,000.00		—
दॅ एससी/एसटी/ बैकवर्ड वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मणिपुर	20,000.00		—
उद्‌बोधन इंटिग्रेटेड सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, असम	20,000.00		—

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
सेमिनार एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(छ)	**351,120.00**		**90,000.00**
असम राज्य महिला आयोग		30,000.00		—
राजनीति विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		30,000.00		—
इनवायरनमेंट एंड इकोनोमिक्स मैनेजमेंट		—		30,000.00
फाउंडेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर		30,000.00		—
इंस्टिट्यूट ऑफ ताई स्ट्डीज एंड रिसर्च		—		60,000.00
मणिपुर राज्य महिला आयोग		30,000.00		—
नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च, पूर्वोत्तर क्षेत्र		30,000.00		—
न्यू विजन क्रिएटिव सोसाइटी विल्लेज एंड पोस्ट ऐरा, असम		30,000.00		—
पीएआरडीए, मणिपुर		30,000.00		—
श्री माता महिला मण्डली, थोटन		141,120.00		—

सदस्य–सचिव

अनुसूची–4 : स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपए में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कटौतियां	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	जोड़ने पर	कटौतियां किए जाने पर	अंत में कुल मूल्य	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियां										
भूमि	3,689,781.00	—	—	3,689,781.00	—	—	—	—	3,689,781.00	3,689,781.00
भवन	875,174.40	—	—	875,174.40	87,517.44	—	—	87,517.44	787,656.96	875,174.40
संयंत्र और मशीनरी	5,673,346.57	133,640.00	40,359.65	5,766,626.92	844,948.04	10,810.50	—	855,758.54	4,910,868.38	5,673,346.57
वाहन	3,175,050.90	—	—	3,175,050.90	476,257.64	—	—	476,257.64	2,698,793.26	3,175,050.90
फर्नीचर और जुड़नार	4,634,580.75	1,988,239.00	794.20	6,622,025.55	463,458.08	124,963.68	—	588,421.76	6,033,603.79	4,634,580.75
कंप्यूटर	2,877,001.60	754,870.00	65,846.15	3,566,025.45	1,726,200.96	394,748.31	—	2,120,949.27	1,445,076.18	2,877,001.60
प्रकाशन	676,031.00	49,193.00	—	725,224.00	—	—	—	—	725,224.00	676,031.00
	21,600,966.22	**2,925,942.00**	**107,000.00**	**24,419,908.22**	**3,598,382.15**	**530,522.49**	—	**4,128,904.64**	**20,291,003.57**	**21,600,966.22**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–4 : स्थायी परिसंपत्तियां

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
1)	भूमि	3,689,781.00	—	3,689,781.00
2)	भवन	787,656.96	—	875,174.40
3)	फर्नीचर और जुड़दान	6,033,603.79	—	4,634,580.75
4)	मशीन और उपकरण	4,910,868.38	—	5,673,346.57
5)	कंप्यूटर	1,445,076.18	—	2,877,001.60
6)	वाहन	2,698,793.26	—	3,175,050.90
7)	पुस्तकें एवं प्रकाशन	725,224.00	—	676,031.00
		20,291,003.57	**—**	**21,600,966.22**

अनुसूची–5 : निवेश – अन्य

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
अंशदायी भविष्य निधि में निवेश	—	1,237,541.00	785,000.00
जोड़ें: अर्जित ब्याज	—	178,108.43	77,257.60
	—	**1,415,649.43**	**862,257.60**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–6 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

राशि (रुपए में)

			वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
			योजनागत	योजनेतर	योजनागत
क.	***वर्तमान परिसंपत्तियां***				
1)	हस्तगत नकदी (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)			—	—
2)	बैंक में शेष राशि :-				
	अनुसूचित बैंकों के पास :				
	बचत खाते में		111,222.00	3,895,070.00	298,215-00
	अंशदायी भविष्य निधि खाते में, केनरा बैंक		—	488,919.00	380,214.00
3)	ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशि नकदी या वस्तु रूप में:-		—	—	—
		क	**111,222.00**	**4,383,989.00**	**678,429.00**
ख.	***ऋण एवं अग्रिम***				
	योजनागत	ख	**6,147,380.00**		**11,039,612.00**
	कर्मचारियों को अग्रिम		**4,726,188.00**		**11,039,612.00**
	सेमिनार एवं सम्मेलन				
	अब्दुस सलाम		480,109.00		1,125,301.00
	भावना कुमार		9,000.00		9,000.00
	भीम सिंह		42,000.00		—
	करीना थिंगमम		—		23,185.00
	मृदुल भट्टाचार्य		3,000.00		1,500.00
	राजकुमार (सहायक)		1,500.00		1,500.00
	एस सी शर्मा		1,500.00		1,500.00
	एस.के. गेरा		—		10,000.00
	वी.के. अस्थाना		5,500.00		13,950.00
	योगेश मेहता		3,360,150.00		5,518,176.00
	मंजू एस हेमब्रम		700,000.00		700,000.00
	नीवा कुंवर		—		600,000.00
	निर्मला वेंकटेश		—		773,700.00
	वानसुक सईम		14,715.00		—
	यास्मीन अब्रार		—		2,243,000.00

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
त्योहार अग्रिम टी एस		21,000.00		14,400.00
अन्य अग्रिम		83,314.00		—
मोटर वाहन				
महेंद्र सिंह		4,400.00		4,400.00
गैर–सरकारी संगठनों को अग्रिम		**1,421,192.00**		**—**
सेमिनार और सम्मेलन				
एसीपी, एचक्यू, डीडीओ, नानकपुरा		721,192.00		—
अपर्णा भट्टा, अधिवक्ता		50,000.00		—
सीईक्यूयूआईएन, नई दिल्ली		200,000.00		—
स्वरलिपि स्वागत बिल्डिंग, मुंबई		450,000.00		—
योजनेतर	ग		**553,374.00**	**1,119,966.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**542,221.00**	**1,108,813.00**
मरम्मत एवं अनुरक्षण वाहन			**5,000.00**	**2,500.00**
अरुण कुमार			2,500.00	2,500.00
बी एस रावत			2,000.00	—
सर्वजीत सिंह			500.00	—
कार्यालय व्यय			**9,100.00**	**4,906.00**
अरुण कुमार			—	806.00
जय भगवान			4,000.00	4,000.00
एस सी शर्मा			100.00	100.00
एस सी राणा			5,000.00	
यात्रा व्यय			**202,221.00**	**736,005.00**
मंजू एस. हेम्ब्रम			106,968.00	200,396.00
नीवा कुंवर			—	99,452.00
रेखा डावर			—	26,800.00
एस चटर्जी			—	4,000.00
वानसुक सईम			22,000.00	82,342.00
यास्मीन अब्रार			70,000.00	116,360.00
योगेश मेहता			—	206,655.00
सुंदरी सुब्रामणियम पुजारी			3,253.00	—

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत
अवकाश यात्रा रियायत			**—**	**365,402.00**
नीलमणि शर्मा			—	150,037.00
योगेश मेहता			—	215,365.00
भवन निर्माण अग्रिम			**316,000.00**	**—**
के के दास			316,000.00	—
त्योहार अग्रिम			**9,900.00**	**—**
ओएमसीए			**11,153.00**	**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00	11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत	घ	**1,495,285.00**		**1,810,096.00**
कर्मचारियों को अग्रिम		**995,285.00**		**1,810,096.00**
सेमिनार एवं सम्मेलन		**995,285.00**		**1,810,096.00**
योगेश मेहता (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		—		11,596.00
नीवा कुंवर		—		300,000.00
वानसुक सईम		995,285.00		800,000.00
योगेश मेहता		—		698,500.00
सेमिनार एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**500,000.00**		**—**
अन्य				
भविष्य निधि से अग्रिम			—	—
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		18,000,000.00		18,000,000.00
आईसीसीडब्ल्यू		1,098,400.00	1,098,402.00	
	ड.	**18,000,000.00**	**1,098,400.00**	**19,098,402.00**
	कुल च(ख+ग+घ+ड.)	**25,642,665.00**	**1,651,774.00**	**33,068,076.00**
प्रतिभूमि जमाः	छ		15,000.00	15,000.00
	कुल क+च+छ	**25,753,887.00**	**6,050,763.00**	**33,761,505.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–7 : अनुदान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	केंद्र सरकार				
	अनुदान	48,500,000.00	43,000,000.00	36,000,000.00	31,132,000.00
	घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान की राशि	2,925,942.00	—	649,918.00	—
	कुल अनुदान	**45,574,058.00**	**43,000,000.00**	**35,350,082.00**	**31,132,000.00**

अनुसूची–8 : शुल्क/अभिदान

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	प्रवेश शुल्क	—	—	—	—
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	—	—	—	—
3)	आरटीआई शुल्क	—	3,686.00	—	2,914.00
		—	**3,686.00**	**—**	**2,914.00**

अनुसूची–9 और 10 : अर्जित ब्याज

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	बचत बैंक खाता से:				
	(क) अनुसूचित बैंक से	—	258,706.00	—	273,465.00
	(ख) निवेश पर ब्याज	—	—	—	—
2)	गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	—	8,694.00	—	24,000.00
3)	अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	—	346.00	—	9,705.00
4)	आवधि जमा प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज	—	119,473.83	—	77,257.60
		—	**387,219.83**	**—**	**384,427.60**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–11 : अन्य आय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1)	आय	—	—	—	270.00
2)	विविध आय	—	142,326.00	—	340.00
3)	अन्य आय	—	—	—	—
		—	**142,326.00**	**—**	**610.00**

अनुसूची–12 : स्थापना व्यय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :				
	आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्य	—	6,001,605.00	—	9,298,348.00
	अधिकारी	—	6,941,409.00	—	5,884,495.00
	कर्मचारी	—	4,989,055.00	—	5,102,393.00
2.	मजदूरी	5,926,018.00	—	5,121,910.00	—
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	—	413,268.00	—	387,034.00
4.	अन्य निधियों में अंशदान :				
	एलएससी	—	693,971.00	—	61,803.00
	पीसी	—	1,673,741.00	—	—
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	950,242.00	—	742,426.00	—
		6,876,260.00	**20,713,049.00**	**5,864,336.00**	**20,734,073.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–13 : अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि (रुपए में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
विज्ञापन व्यय	8,829,017.00	—	6,118,063.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम	8,273,500.00	—	6,454,973.00	—
मुद्रण	687,756.00	—	957,912.00	—
सेमिनार और सम्मेलन	22,718,785.00	—	9,090,938.00	—
विशेष अध्ययन	6,068,528.00	—	8,101,734.00	—
एनआरसीडब्ल्यू	168,340.00	—	428,156.00	—
पीएमएलए	795,000.00	—	510,000.00	—
कार्यालय व्यय	—	3,030,165.00	—	1,562,350.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	—	362,081.00	—	289,645.00
दूरभाष	—	598,507.00	—	703,053.00
यात्राा व्यय	—	1,947,360.00	—	3,895,177.00
लेखापरीक्षा शुल्क	—	137,698.00	—	60,080.00
बैंक प्रभार	—	11,016.00	—	33,084.00
पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंट	—	669,592.00	—	853,490.00
अंशदायी भविष्य निधि पर प्रदत्त ब्याज	—	103,114.00	—	74,177.00
किराया, दरें और कर	—	6,590,402.00	—	7,139,610.00
विज्ञापन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	400,000.00	—	403,330.00	—
विधिक जागरूकता कार्यक्रम – पूर्वोत्तर क्षेत्र	997,776.00	—	2,285,000.00	—
सेमिनार और सम्मेलन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,109,261.00	—	579,590.00	—
विशेष अध्ययन – पूर्वोत्तर क्षेत्र	310,705.00	—	1,073,261.00	—
बैंक प्रभार (अंशदायी भविष्य निधि)	—	165.00	—	—
	51,358,668.00	**13,450,100.00**	**36,002,957.00**	**14,610,666.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–16 : स्थापना व्यय

राशि (रुपए में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
1.	वेतन :				
	आयोग की अध्यक्षा और सदस्य	—	24362807	—	6,443,717.00
	अधिकारी	—	—	—	4,826,568.00
	कर्मचारी	—	—	—	4,206,350.00
2.	मजदूरी	4,356,536.00	—	5,121,910.00	—
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	—	413,268.00	—	387,034.00
4.	अन्य निधियों में अंशदान:-				
	एलएससी	—	693,971.00		61,803.00
	पीसी	—	1,673,741.00	—	—
5.	व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	950,837.00	—	742,426.00	—
		5,307,373.00	**27,143,787.00**	**5,864,336.00**	**15,925,472.00**

सदस्य–सचिव

अनुसूची–17 : अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि (रुपए में)

	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	*योजनागत*			
	विज्ञापन व्यय		8,935,927.00	6,118,063.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		6,220,860.00	4,606,363.00
	मुद्रण		664,160.00	957,912.00
	सेमिनार और सम्मेलन		16,034,465.00	8,579,838.00
	विशेष अध्ययन		4,050,278.00	5,510,409.00
	एनआरसीडब्ल्यू		168,340.00	428,156.00
	पीएमएलए		600,000.00	315,000.00
	निम्नलिखित हेतु अग्रिम : सेमिनार और सम्मेलन		—	11,020,812.00
	मोटर वाहन		—	4,400.00
	त्योहार अग्रिम		—	14,400.00
		क	**36,674,030.00**	**37,555,353.00**
2.	*योजनेतर*			
	कार्यालय व्यय		3,022,375.00	1,562,350.00
	मरम्मत और अनुरक्षण		371,425.00	289,645.00
	टेलीफोन		597,406.00	703,053.00
	यात्रा व्यय		1,262,920.00	3,895,177.00
	लेखापरीक्षा शुल्क		137,698.00	60,080.00
	बैंक प्रभार		11,016.00	33,084.00
	पेट्रोल, ऑयल और लुब्रीकेंटस		669,592.00	853,490.00
	किराया, दरें और कर		6,590,400.00	9,885,615.00
	निम्नलिखित हेतु अग्रिमः कार्यालय व्यय		—	4,906.00
	यात्रा व्यय		—	736,005.00
	मरम्मत और अनुरक्षण		—	2,500.00
	एलटीसी अग्रिम		—	365,402.00
	पिछले वर्ष के लिए प्रदत्त आय कर		—	1,120.00
	आरटीआई		10.00	—
		ख	**12,662,842.00**	**18,392,427.00**

टिप्पणीः 1 निम्नलिखित के लिए किराया :

वर्तमान वर्ष	5,492,000.00
अग्रिम (2009)	1,098,400.00
	6,590,400.00

राशि (रुपए में)

	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
3.	*पूर्वोत्तर क्षेत्र*			
	विज्ञापन		400,000.00	403,330.00
	विधिक जागरूकता कार्यक्रम		971,276.00	1,300,000.00
	सेमिनार और सम्मेलन		1,768,530.00	489,590.00
	विशेष अध्ययन		351,555.00	828,796.00
	सेमिनार और सम्मेलन हेतु अग्रिम		—	1,810,096.00
		ग	**3,491,361.00**	**4,831,812.00**
		कुल क+ख+ग	**52,828,233.00**	**60,779,592.00**

सदस्य–सचिव

विप्रेषण अनुसूची–18

राशि (रुपए में)

	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	
	वृद्धि	विप्रेषित राशि	वृद्धि	विप्रेषित राशि
सामान्य भविष्य निधि	1,396,188.00	1,396,188.00	1,822,513.00	1,822,513.00
लाइसेंस शुल्क	93,885.00	93,885.00	69,737.00	69,737.00
आय कर	1,633,159.00	1,633,159.00	3,357,246.00	3,357,246.00
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना	29,250.00	29,250.00	23,790.00	23,790.00
पीएलआई	—	—	6,912.00	6,912.00
केंद्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना	16,046.00	16,046.00	15,079.00	15,079.00
गृह निर्माण अग्रिम	72,759.00	72,759.00	35,980.00	35,980.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
मोटर वाहन अग्रिम (ब्याज)	36,000.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00
अन्य मोटर कार अग्रिम	14,800.00	14,800.00	13,000.00	13,000.00
अन्य मोटर कार अग्रिम पर ब्याज	—	—	—	—
त्योहार अग्रिम	2,250.00	2,250.00	—	—
कंप्यूटर अग्रिम	8,040.00	8,040.00	6,000.00	6,000.00
सीपीएफ अभिदान	767,028.00	767,028.00	864,083.00	864,083.00
परिवार लाभ निधि	—	—	—	—
एसएफबीएफ–एचबीए	—	—	—	—
जीईएच–निधि	—	—	—	—
जीवन बीमा प्रीमियम	—	—	—	—
सीएसआईआर थ्रिफ्ट सोसाइटी	9,216.00	9,216.00	1,800.00	1,800.00
हितकारी निधि	132.00	132.00	99.00	99.00
जल प्रभार	—	—	—	—
अन्य वसूली	2,400.00	2,400.00	—	—
कुल	**4,099,153.00**	**4,099,153.00**	**6,258,239.00**	**6,258,239.00**

सदस्य–सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31.03.2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–14

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्त शासी निकायों (अलाभकारी संगठन और ऐसे ही संस्थान) के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 "अल्पावधि निवेश" और "दीर्घावधि निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा के रूप में लागत पर आगे ले जाए जाते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना प्रचालित किए जाने से पूर्व का व्यय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग हैं।

3.2 स्थायी परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/उसे दानस्वरूप दी गईं पुस्तकें सम्मिलित हैं और उनका खाता–मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर किया जाता है। वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

5. सरकारी अनुदान/राजसहायता

5.1 सरकारी अनुदान का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है।

31.03.2010 को समाप्त अवधि की वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची–15

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण माना गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.2 निम्नलिखित के सम्बन्ध में :

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गये ऋण पत्र – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग के पास चुकाए जाने वाले बिल – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :

आय कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

बिक्री कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

नगरपालिका कर – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.4 आर्डरों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया – शून्य रुपये – (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन का अनुमानित मूल्य 6.09 करोड़ रुपये है।

जसोला में भवन निर्माण किए जाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 1.80 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया है – अभी कार्य–निष्पादित किया जाना है।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गयी कुल राशि के बराबर है।

4. कराधान

आय–कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

5.1 आयातों का लागत बीमा भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकलित मूल्य :

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन विप्रेषण और ब्याज	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

निर्यातों का मूल्य एफ.ओ.बी. आधार पर	शून्य

6. वित्तीय विवरण डीजीएसीआर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्रों के आधार पर तैयार किए गये हैं जो आयोग पर लागू होते हैं।

7. खाता बही में कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी तथा जमा छुट्टियों के नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस संगठन में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार या अर्द्ध–सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त किए गए हैं या आयोग में नैमित्तिक/ संविदा आधार पर भी कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई ग्रेच्युटी, पेंशन देय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजनागत (रुपये)	योजनेतर (रुपये)
1.	वर्ष के आरम्भ में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि	9,928	2,88,287
	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष हस्तगत नकद राशि	––	––
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,50,00,000	3,30,00,000
3.	वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्राप्त अनुदान	35,00,000	––
4.	वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	1,11,222	38,95,070

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिये जाने वाले अनुदानों/वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान/वित्तीय सहायता जारी कर दिये जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

10. वर्ष (2009–10) के दौरान 12.76 लाख रुपए मूल्य की अनुप्रयोज्य स्थायी परिसंपत्तियों की नीलामी की गई और उनके समानुपाती बिक्री मूल्य को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर से काट दिया गया। स्थायी परिसंपत्तियों का विक्रय मूल्य काटकर आवश्यक प्रविष्टियां की गई हैं।

11. अनुसूची 1 से 13 और अनुसूची 15 से 18 संलग्न हैं जो वर्ष 2009–10 के तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।

सदस्य सचिव

लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2010 को राष्ट्रीय महिला आयोग के तुलन पत्र (संलग्न) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियत्रंक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार प्रायोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा अपनाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और किए गए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है! हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किये गये हैं।

iii. हमारे विचार से, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के अनुसार खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

iv. हमें यह भी रिपोर्ट करनी है:

क. **तुलन–पत्र**

क.1 **परिसंपत्तियां**

क.1.1 **परिसंपत्तियों की अत्युक्ति और व्यय की न्यूनोक्ति**

आयोग ने 12.77 लाख रुपये (बही मूल्य) की परिसंपत्तियों का निपटान (विक्रय) कर दिया था और विक्रय से प्राप्त 1.07 लाख रुपये आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाए गए थे और विक्रय से प्राप्त राशि को परिसंपत्तियों की सूची में से घटा दिया था जबकि तुलन–पत्र में से परिसंपत्तियों के अवमूल्यित मूल्य को घटाया जाना था। हानि की राशि (बही मूल्य – विक्रय से प्राप्त राशि) को आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्शाया नहीं गया।

ख. सामान्य

ख.1 **अंशदायी भविष्य निधि का तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार करना**

आयोग ने अंशदायी भविष्य निधि का तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा तैयार करने का कार्य नहीं किया।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष 2009–10 के दौरान, इसे 915.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान (450.00 लाख रुपये योजनागत के अंतर्गत, 35.00 लाख रुपये योजनागत – पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत और 430.00 लाख रुपये योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत) प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, आयोग के पास पिछले वर्षों में खर्च न की गई 2.98 लाख रुपए (0.10 लाख रुपये योजनागत के अंतर्गत तथा 2.88 लाख रुपये योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत) की अनुदान राशि भी थी। इसे योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 5.33 लाख़ रुपये की आंतरिक राशि भी प्राप्त हुई। अतः वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 9.20 करोड़ रुपये की सहायता–अनुदान राशि (1 करोड़ रुपये मार्च में प्राप्त हुए) में से यह संगठन 9.94 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर सका।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिन तुलन–पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्तुत तुलन–पत्र से है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.11.2010

लेखापरीक्षा महानिदेशक
(केंद्रीय व्यय)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता

इस संगठन में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग स्थापित नहीं किया गया है और न ही वर्ष 2002–03 से मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षा की जा रही है। आपत्तियों का निपटान करने के लिए मंत्रालय ने कोई कारगर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की है। वर्ष 2002–03 तक की अवधि के लिए 9 पैराओं का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

2. आंतरिक नियंत्रण

निगरानी

लेखापरीक्षा पर प्रबंधन की कोई अनुक्रिया नहीं आई है। वर्ष 1998–2000 से लेकर वर्ष 2008–09 की अवधि में बाह्य लेखापरीक्षा से संबंधित अभी तक 27 पैराओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

31.03.2010 तक स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन पूरा कर लिया गया है और कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की व्यवस्था

पुस्तकों और प्रकाशनों, लेखनसामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का वर्ष 2009–10 के लिए वास्तविक सत्यापन किया गया और कोई त्रुटि नहीं पाई गई।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उप–कर, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सांविधिक देनदारियों के संबंध में 6 महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

9 अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठन चार्ट

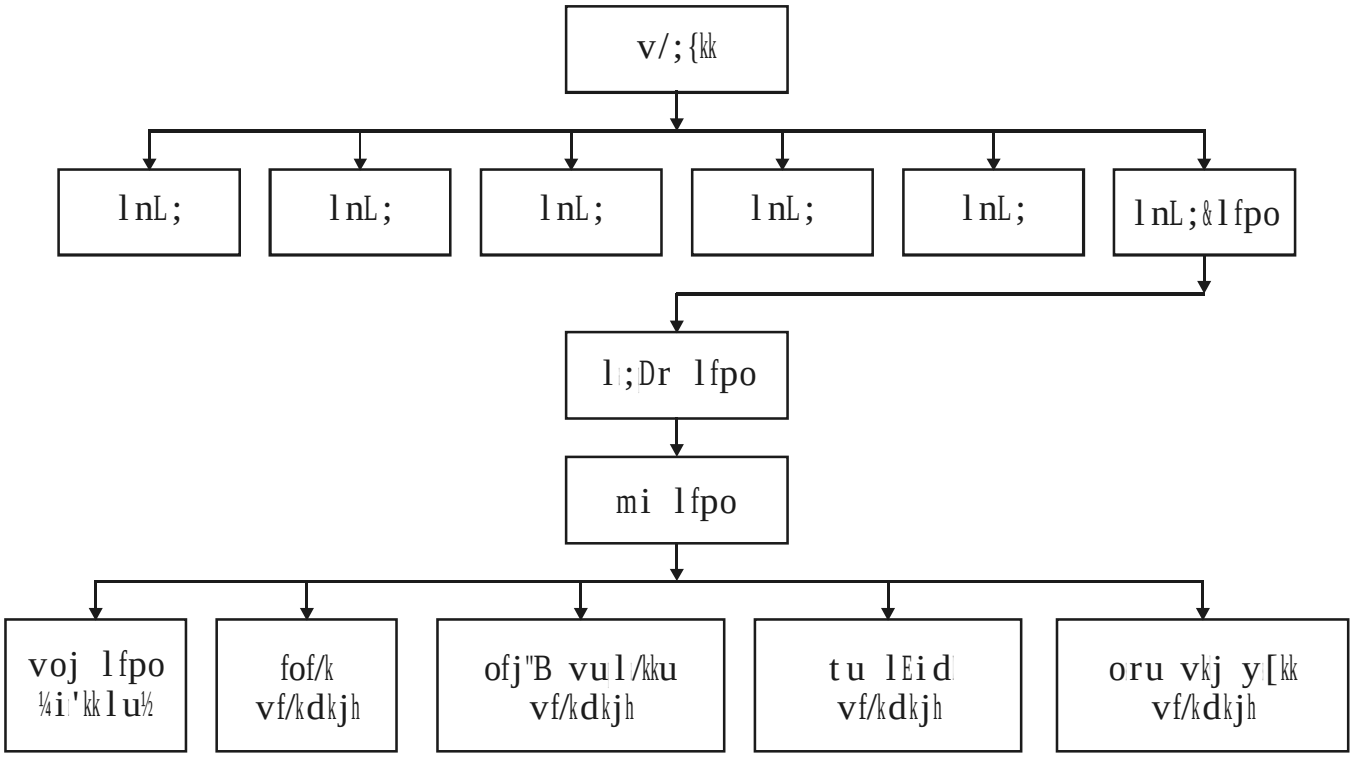

अनुलग्नक–II

राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत शिकायतों का श्रेणी–वार ब्योरा
(वित्तीय वर्ष : 2009–2010)

क्रम सं.	शिकायतों की श्रेणी/प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2009–2010
1.	तेजाब से हमला	04
2.	हत्या का प्रयास	08
3.	बलात्कार का प्रयास	249
4.	द्विविवाह/व्यभिचार	107
5.	बालकों की अभिरक्षा	02
6.	परित्याग	02
7.	तलाक	02
8.	घरेलू हिंसा/ वैवाहिक विवाद	2155
9.	दहेज मृत्यु	521
10.	दहेज उत्पीड़न	1339
11.	कार्यस्थल पर उत्पीड़न	401
12.	अपहरण/ भगा ले जाना	174
13.	भरण–पोषण	40
14.	विविध	6376
15.	छेड़छाड़ करना/ तंग करना	461
16.	हत्या	04
17.	अनिवासी भारतीयों से विवाह	16
18.	पुलिस की उदासीनता	2234
19.	पुलिस द्वारा उत्पीड़न	516
20.	संपत्ति (विधवा की संपत्ति, स्त्रीधन संपत्ति, माता–पिता की संपत्ति)	764
21	बलात्कार	544
22.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	65
23.	आश्रय/ पुनर्वास	01
	कुल	**15985**

अनुलग्नक–III

राष्ट्रीय महिला आयोग में वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का राज्य–वार ब्योरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	वित्तीय वर्ष 2009–2010
1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	अरुणाचल प्रदेश	05
3.	असम	32
4.	बिहार	465
5.	छत्तीसगढ़	85
6.	गोवा	09
7.	गुजरात	110
8.	हरियाणा	710
9.	हिमाचल प्रदेश	57
10.	जम्मू एवं कश्मीर	22
11.	झारखंड	209
12.	कर्नाटक	74
13.	केरल	26
14.	मध्य प्रदेश	674
15.	महाराष्ट्र	409
16.	मणिपुर	02
17.	मेघालय	09
18.	मिजोरम	01
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	51
21.	पंजाब	209
22.	राजस्थान	1339
23.	सिक्किम	03
24.	तमिलनाडु	158

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रा	वित्तीय वर्ष 2009–2010
25.	त्रिपुरा	04
26.	उत्तर प्रदेश	8644
27.	उत्तराखंड	304
28.	पश्चिम बंगाल	144
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	04
30.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	13
31.	दादर एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	02
32.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	01
33.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	शून्य
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2094
35.	पुद्दुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	09
	कुल	**15985**

अनुलग्नक–IV

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की संशोधित योजना

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय उच्चतम न्यायालय ने देहली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 362/93 में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक ऐसी योजना तैयार करने का निर्देश दिया जिससे "बलात्कार की दुर्भाग्यशाली पीड़िताओं के आंसू पौंछे जा सकें।" उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 38(1) में निहित नीति–निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि एक आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड स्थापित किया जाए क्योंकि बलात्कार पीड़िताओं को मानसिक संताप के अतिरिक्त प्रायः पर्याप्त वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है और कुछ मामलों में उन्हें इतना आघात पहुंचता है कि वे अपने रोजगार को जारी नहीं रख सकतीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िताओं हेतु प्रतिपूर्ति का निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध हो जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय अपराधी के दोषसिद्ध होने या न होने दोनों ही स्थितियों में कर सकता है। बोर्ड बलात्कार के कारण पीड़िता को हुए कष्ट, उसके द्वारा झेली जा रही परेशानी और मानसिक आघात तथा साथ ही गर्भधारण करने के कारण रोजगार खो देने पर आय से वंचित हो जाने और प्रसव पर होने वाले व्यय इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देश पर कार्यवाही करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष स्कीम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस संबंध में गठित सचिवों की समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश सुझाए गएः

(i) बलात्कार पीड़िताओं को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग/महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक योजना–स्कीम तैयार की जाएगी और इस स्कीम में अंतरिम प्रतिपूर्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) प्रतिपूर्ति की राशि का निर्धारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(iii) स्कीम के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान किया जाए जिसे सहायता–अनुदान के रूप में राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।

(iv) किए गए दावों पर विचार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं।

(v) राज्य सरकार द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान देने के लिए आपराधिक क्षति प्रतिपूर्ति बोर्ड गठित करना।

(vi) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उपयुक्त निदेश जारी करेगा ताकि वे लोक अभियोजकों को यह निर्देश दें कि वे पीड़िताओं को उचित प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष पीड़िता का पक्ष रखें।

(vii) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस स्कीम की मानीटरिंग की जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशानिर्देशों के आलोक में इस स्कीम को फिर से तैयार किया है और स्कीम को तैयार करने में आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पैरामीटरों और साथ ही बलात्कार पीड़िताओं की आवश्यकताओं के संबंध में इसके स्वयं के आकलन से दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं।

बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना

1. इस स्कीम को बलात्कार पीड़िताओं के लिए राहत और पुनर्वास की स्कीम, 2005 कहा जाएगा;

2. यह स्कीम संपूर्ण भारत पर लागू होगी;

3. यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी;

4. इस स्कीम में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनमें आवेदन चाहे स्वयं बलात्कार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए हों अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति/संगठन/विभाग/आयोग द्वारा;

5. "बलात्कार" का तात्पर्य वही होगा जैसाकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 में परिभाषित किया गया है।

6. जिला आपराधिक क्षति राहत और पुनर्वास बोर्ड

(क) स्कीम के अधिसूचित हो जाने पर प्रत्येक जिले में जिला आपराधिक क्षति राहत पुनर्वास बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी;

(ख) उस जिले में इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निपटाने के लिए बोर्ड का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा;

(ग) बोर्ड की अध्यक्षता कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, द्वारा की जाएगी जिसमें चार अन्य सदस्य होंगे अर्थात–

(1) पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(2) महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुभवी एक महिला जिसे राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया जाएगा (परंतु किसी भी नामित सदस्य को दो बार मनोनीत किया जा सकता है);

(3) जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी/जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति;

(4) संबंधित जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग का उप–निदेशक/परियोजना निदेशक/राजपत्रित जिला अधिकारी जो जिला बोर्ड के सचिव की हैसियत से कार्य करेगा और रिकार्डों का रखरखाव करेगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा;

(5) बाल कल्याण समिति का प्रतिनिधि (प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में)।

परंतु यदि राज्य सरकारों द्वारा राहत और पुनर्वास की कोई स्कीम प्रवृत्त की गई है तो जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का संघटन वैसी स्कीम के अनुरूप होगा और विद्यमान स्कीम के अंतर्गत आवेदक/पीड़िता को प्रदान किए जाने वाले लाभ उन बोर्डों द्वारा प्रशासित होंगे।

7. जिला बोर्ड की शक्तियां

(क) यह बोर्ड बलात्कार के सभी मामलों में दावों पर विचार करने और वित्तीय राहत प्रदान करने का प्राधिकरण होगा और मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त ऐसे अन्य राहत और पुनर्वास के उपाय करने के आदेश देगा;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से कलेक्टर अथवा जिला मजिस्ट्रेट इस स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता या राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के अंतर्गत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा।

8. जिला बोर्ड के कार्य

बोर्ड का गठन किए जाने पर, यह बोर्ड–

(i) इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बलात्कार के सभी मामलों में, जैसा भी मामला हो,

वित्तीय राहत/पुनर्वास के दावों पर विचार करेगा और उपयुक्त अवार्ड प्रदान करेगा;

(ii) किसी कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक अथवा सहयोग/सहायता के किसी अन्य रूप में बलात्कार पीड़िता की सहायता के लिए किए जाने वाले कार्यों की मानीटरिंग करेगा;

(iii) राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बलात्कार पीड़िताओं के पुनर्वास हेतु तैयार की गई किसी भी अन्य स्कीम (स्कीमों) का उपयोग करेगा;

(iv) पीड़िता के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा;

(v) पीड़िता को परामर्शदात्री सहायता की व्यवस्था करेगा;

(vi) न्यायालय में मामले की सुनवाई समाप्त होने तक पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा;

(vii) जांच की प्रगति की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करेगा;

(viii) युवा पीड़िताओं के मामले में संबंधित पीड़िता को शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराएगा;

(ix) पीड़िता के उपयुक्त पुनर्वास हेतु आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करेगा;

(x) पीड़िता द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी उपयुक्त मामले में जांच अधिकारी को बदलने की सिफारिश करेगा;

(xi) पीड़िता के लिए ऐसी अवधि के लिए आश्रय की व्यवस्था करेगा जो परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो;

(xii) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा समीचीन और आवश्यक समझे जाएं या जैसाकि राज्य/राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निदेशित किया जाए।

9. बोर्ड के समक्ष दावा करने की प्रक्रिया

(क) जैसे ही बलात्कार की घटना के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो और वह दर्ज कर ली जाए तो संबंधित पुलिस थाने का थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के माध्यम से 72 घंटे के भीतर प्राथमिकी/शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति जिला बोर्ड के सचिव को अग्रेषित करेगा।

(ख) (1) कोई पीड़िता अथवा उसका कानूनी उत्तराधिकारी अथवा कोई व्यक्ति/स्वयंसेवी संगठन जो महिलाओं के हितों का पक्षधर हो/आयोग इस स्कीम के प्रावधान के अनुसार वित्तीय राहत और पुनर्वास के लिए 60 दिनों के भीतर जिला बोर्ड को आवेदन कर सकता है;

यह भी कि यदि आवेदन 60 दिनों की अवधि व्यतीत होने के पश्चात किया जाता हो तो बोर्ड उसे लिखित में प्रस्तुत किए गए विलंब के कारणों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात विलंब हेतु छूट प्रदान कर सकता है;

(2) यदि आवेदक है:–

(i) एक बच्चा तो उसके माता–पिता, संरक्षक, किसी स्वैच्छिक संगठन/आयोग द्वारा उसकी ओर से आवेदन किया जा सकता है;

(ii) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति के मामले में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके साथ पीड़िता आमतौर पर रहती हो अथवा विधिवत प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा किया जा सकता है;

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–1) में किया जाएगा और आवेदन के साथ पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिक/शिकायत, चिकित्सा रिपोर्ट, किसी उपयुक्त मामले में पीड़िता का मृत्यु प्रमाण–पत्र और यदि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हो तो सीधे न्यायालय को की गई शिकायत (इसके साथ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने के कारणों का उल्लेख हो), समाचारपत्रों में छपी रिपोर्टों (यदि हों), की प्रतियां संलग्न की जाएं।

(घ) बोर्ड द्वारा राहत का अवार्ड दिए जाने पर राहत से संबंधित राशि तत्काल आवेदन–पत्र में दिए गए बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। जहां तक संभव हो, संबंधित राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए तत्काल भेजी जाए ताकि पीड़िता को शीघ्रातिशीघ्र राहत प्राप्त हो सके।

10. जिला बोर्ड द्वारा दी जा सकने वाली राहत

(क) बोर्ड पीड़िता को वित्तीय राहत और साथ ही उसके पुनर्वास हेतु व्यवस्था किए जाने के लिए भी अवार्ड घोषित कर सकता है।

(ख) बोर्ड द्वारा दी जाने वाली राहत 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी; यह भी कि खण्ड 16 में उल्लिखित मामलों में राहत की राशि अधिकतम 3.00 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।

11. अंतरिम राहत और पुनर्वास

(क) पुलिस से खण्ड 9(क) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर जिला बोर्ड पीड़िता के पक्ष में अधिमानतः 15 दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक तीन सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत के रूप में 20,000/– (केवल बीस हजार रुपए) की राशि जारी करेगा;

(ख) यदि आवेदन खण्ड 9(ख) के अंतर्गत किया गया हो तो पुलिस और चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि बलात्कार का मामला वास्तव में घटित हुआ है, बोर्ड द्वारा यथासंभव 15 दिनों के भीतर और अधिक से अधिक 3 सप्ताह के भीतर पीड़िता और उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 20,000/– (केवल बीस हजार रुपए) की अंतरिम राहत प्रदान करने का आदेश जारी करेगा।

(ग) शिकायत प्राप्त होने और पीड़िता की जांच किए जाने के पश्चात बोर्ड प्रत्येक मामले में मामले के गुणदोष के आधार पर पीड़िता के लिए किए जाने वाले पुनर्वास उपायों की प्रकृति की जांच/निर्धारण करेगा। ऐसे उपायों को करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा तथा पीड़िता के पुनर्वास हेतु अधिकतम 50,000/– रुपए तक की राशि का व्यय करेगा।

(घ) खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अंतर्गत अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में अवार्ड घोषित किए जाने से पहले बोर्ड स्वयं को किए गए दावे के संबंध में संतुष्ट करेगा, दावे की प्रकृति के बारे में प्रारंभिक आकलन करेगा तथा चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों की भी जांच करेगा।

(ड.) बोर्ड पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत के अतिरिक्त, उसके पुनर्वास और/या उसकी किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्त निर्देश जारी करेगा।

12. अंतिम राहत

(क) अभियोजिका द्वारा आपराधिक विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर या जिन मामलों में अभियोजिका के नियंत्रण के बाहर के कारणों से साक्ष्य दर्ज करने में अनुचित विलंब हुआ हो, उन मामलों में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतिम किस्त के रूप में 1.

30 लाख रुपए तक की शेष राहत राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में अंतिम राहत से संबंधित आदेश अभियोजिका के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले जारी कर दिया गया हो, उनमें बोर्ड ऐसा करने के कारणों और साथ ही साक्ष्य को दर्ज करने में हुए विलंब के कारणों के संबंध में लिखित में उत्तर देगा;

(ग) बोर्ड प्रत्येक मामले में पीड़िता को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय राहत की राशि के संबंध में निर्णय करने से पहले पीड़िता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा;

(घ) बोर्ड द्वारा वित्तीय राहत के संबंध में जारी किए जाने वाले आदेश प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा पीड़िता के पुनर्वास हेतु जारी किए गए आदेशों/सुविधाओं के अतिरिक्त होंगे;

(ड.) यदि पीड़िता अवयस्क हो, तो राहत की राशि बोर्ड द्वारा उस पीड़िता के सर्वाधिक हित में और उसके कल्याण के लिए निधि के उपयुक्त उपयोग के संबंध में बोर्ड को समाधान हो जाने के पश्चात राहत की राशि उसके संरक्षक या जिस व्यक्ति ने उसकी ओर से आवेदन किया है, उसे जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में जहां व्यवहार्य हो, पीड़िता से उसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;

(च) बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय सदैव पीड़िता के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

13. दावों को अस्वीकार करना

(क) बोर्ड किसी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि अच्छी तरह सोच–समझकर वह इस निर्णय पर पहुंचता हो कि:

(i) आवेदनकर्ता क्षति होने की परिस्थितियों के बारे में पुलिस को अथवा इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य निकाय या व्यक्ति को सूचित करने के लिए अविलंब सभी उचित कदम उठाने में असफल रहा;

(ii) आवेदनकर्ता अभियुक्त/आक्रमणकारी को सजा देने का प्रयास करने में पुलिस या अन्य प्राधिकरण के साथ सहयोग करने में असफल रहा;

(iii) आवेदनकर्ता आवेदन के संबंध में बोर्ड को सभी उचित सहायता देने में असफल रहा;

(iv) यदि आवेदनकर्ता ने अपराध की पीड़िता के पुनर्वास और राहत के लिए इस योजना के तहत किसी आपराधिक क्षति के संबंध में पहले कोई दावा दायर किया है;

(v) यदि घटना इतनी विलंबित है कि कोई साक्ष्य पाना कठिन होगा;

(vi) यदि आवेदनकर्ता शिकायत दायर करने के पश्चात सुनवाई में जानबूझकर प्रतिकूल हो जाता है और अभियोग पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता;

(vii) 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के भाग जाने के उन मामलों में जिनमें प्रथमदृष्टया बलात्कार का मामला नहीं बनता, बोर्ड आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा अपितु कोई मुआवजा देने से पूर्व सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा करेगा;

(viii) यदि मामला प्रथमदृष्टया दुरभिसंधिपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता हो तथा बलात्कार का मामला सत्यापित तथ्यों के आधार पर दायर न किया गया हो।

14. बोर्ड द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया

(i) बोर्ड आवेदन/शिकायत की सुनवाई और/या जांच ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर करेगा, जो बोर्ड निर्धारित करे।

(ii) सामान्यतः, बोर्ड दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त करने पर और प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर, पीड़िता और/या उसकी ओर से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत एजेंट/प्रतिनिधि की सुनवाई आयोजित करेगा तथा अंतरिम और अन्य राहतों के संबंध में आदेश जारी करेगा।

तथापि जिन मामलों में बोर्ड की यह सुविचारित राय हो कि पीड़िता और अन्य पक्षों की जांच अनिवार्य है और मामले की सुनवाई करने, साक्ष्यों और विचार–विमर्शों को रिकार्ड करने की कार्रवाई करता है, उन मामलों में बोर्ड द्वारा पीड़िता को अंतरिम और अन्य राहत के संबंध में स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता से संबंधित एक सकारण आदेश जारी किया जाएगा।

यह भी कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना और लिखित में कोई कारण बताए बिना उसके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) बोर्ड की किसी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बैठक में बोर्ड के एक–तिहाई से कम सदस्य उपस्थित न हों;

(iv) बोर्ड आवेदनकर्ता को संगत आवेदन की सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचना देगा;

(v) बोर्ड को आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी भी रिकार्ड/दस्तावेज की मांग करने और किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान लेने का अधिकार होगा;

(vi) बोर्ड साक्ष्य तथा सुनवाई के साथ–साथ उसे उपलब्ध अन्य जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेगा;

(vii) पीड़िता और/या उसके एजेंट को मौखिक सुनवाई का अधिकार होगा;

(viii) बोर्ड की कार्यवाही बंद कमरे में होगी तथा पीड़िता की पहचान हर समय और हर परिस्थिति में गुप्त रखी जाएगी;

(ix) बोर्ड की कार्यवाही मुद्रित, प्रकाशित और टेलीकास्ट नहीं की जाएगी तथा किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित नहीं जाएगी;

15. पीड़िता के लिए राहत और पुनर्वास के निर्धारण को अभिशासित करने वाले सिद्धांत

मुआवजा तथा अन्य राहतें निर्धारित करते समय बोर्ड निम्नलिखित मानदंडों का ध्यान रखेगाः

(i) बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर :

(क) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई न करने वाली सदस्या हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा राहत के रूप में 1,00,000/– रुपए (केवल एक लाख रुपए) तक की राशि प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य हो, तो शव–परीक्षा की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध हो जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा यह समाधान हो जाने के पश्चात कि पीड़िता परिवार के लिए कमाई करने वाली सदस्य थी, उसके अवयस्क बच्चों की सहायता के लिए 2,00,000/– रुपए (केवल दो लाख रुपए) की राशि प्रदान की जाएगी।

(ii) बोर्ड पीड़िता के पुनर्वास और अन्य खर्चों, यदि कोई हो, जिसकी राशि अधिकतम 50,000/–रुपए होगी, से संबंधित मामलों में विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) पीड़िता को हुई शारीरिक क्षति की किस्म और गंभीरता तथा पीड़िता के इलाज एवं मनोवैज्ञानिक मंत्रणा पर किया गया या होने वाला व्यय;

(ख) बलात्कार के कारण गर्भधारण हो जाने पर किया गया व्यय तथा बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भपात पर होने वाला व्यय;

(ग) पीड़िता की शिक्षा, अथवा व्यावसायिक अथवा व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण या स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण पर किया गया या किया जाने वाला व्यय;

(घ) बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पीड़िता के लाभ के कार्यकलाप या रोजगार के बंद होने अथवा उसमें व्यवधान होने से पीड़िता को हुई हानि;

(ड.) कष्ट, मानसिक कष्ट या भावनात्मक आघात, अपमान या असुविधा के कारण गैर–वित्तीय हानि या क्षति;

(च) यदि पीड़िता उस स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान की रहने वाली है जहां अपराध हुआ था, तो उसके लिए आवास की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर किया गया व्यय।

(iii) वित्तीय और अन्य राहत निर्धारित करते समय बोर्ड इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि पीड़िता नाबालिक या मानसिक रूप से विकल नहीं है तथा ऐसा होने की स्थिति में और अधिक वित्तीय राहत देने तथा विशेष राहत का उपाय करने पर भी विचार करेगा।

(iv) बोर्ड राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों और सुविधाओं के साथ राहत और पुनर्वास उपायों के लिए सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित संगठनों का यथासंभव उपयोग करेगा।

16. विशेष मामलों में राहत में वृद्धि–

(i) राज्य बोर्ड को राष्ट्रीय बोर्ड से पूर्व परामर्श करके निम्नलिखित मामलों में राहत के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने का अधिकार होगा जिसके लिए राहत की राशि अधिकतम 3,00,000/– रुपए होगी:

(क) 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(ख) मानसिक रूप से परेशान, मानसिक बाधाग्रस्त महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध जिनके लिए विशेष इलाज और देखभाल की जरूरत हो;

(ग) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता यौन संसर्ग द्वारा संचारित रोगों से संक्रमित हो गई हो जिनमें पीड़िता का एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित होना भी शामिल है;

(घ) जिन मामलों में बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो जाए और अपने नियंत्रण से बाहर हो चुकी परिस्थितियों के कारण उसे उस बच्चे को जन्म देना पड़े;

(ड.) ऐसे मामले जिनमें पीड़िता को गंभीर चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़े जिसमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं शामिल हैं;

(च) कोई अन्य निर्धारित आधार।

17. राज्य बोर्ड का गठनः

(i) महिला और बाल विकास या समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव जो राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ii) इसके अतिरिक्त, राज्य बोर्ड में पांच अन्य सदस्य होंगे जिनमें गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, विधि मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि जो महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों के जानकार हों, शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग का सदस्य–सचिव या उसके स्थान पर या आयोग की अध्यक्षा

द्वारा मनोनीत कोई अन्य अधिकारी इस बोर्ड का सचिव नियुक्त किया जाएगा;

(iii) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परंतु उनके कार्यकाल में एक और वर्ष का विस्तार किया जा सकता है।

18. राज्य बोर्ड के कार्यः

(i) राज्य बोर्ड जिला बोर्डों के कार्यों का समन्वय करेगा और उन पर निगरानी रखेगा;

(ii) राज्य बोर्ड उसे केंद्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई अतिरिक्त धनराशि का जिला बोर्डों को समुचित संवितरण सुनिश्चित करेगा;

(iii) पीड़िता को उचित चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरणों को निर्देश जारी करेगा;

(iv) बोर्ड पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को कोई याचिका दिए जाने पर स्व–प्रेरणा से या अन्यथा ऐसी शिकायत की जांच करेगा जिसमें बलात्कार और/या इस योजना के प्रावधानों से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में आरोप लगाया गया हो और मामले को जिला बोर्ड के पास भेजेगा;

(v) बोर्ड जिला बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलों पर विचार करेगा;

(vi) साधारण परिस्थितियों के उचित मामलों में राष्ट्रीय बोर्ड की पूर्व अनुमति से मुआवजे की राशि बढ़ाएगा जो अधिक से अधिक 3,00,000/– रुपए होगी।

19. राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड का गठनः

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड नामक एक निकाय का गठन किया जाएगा;

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो बोर्ड की अध्यक्ष होगी, और पांच अन्य सदस्य जिनमें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य–सचिव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक का एक अधिकारी, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनों और मामलों का जानकार एक सदस्य जिसे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाए, महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करने का अनुभवप्राप्त एक सदस्य तथा एक अन्य सदस्य जो चिकित्सक हो अथवा बलात्कार से संबंधित मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा नियुक्त किया जाएगा, शामिल होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य–सचिव राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के सदस्य–सचिव के रूप में भी कार्य करेंगी।

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और इनका कार्यकाल एक अतिरिक्त बार भी बढ़ाया जा सकता है।

20. राष्ट्रीय बोर्ड के कार्यः

राष्ट्रीय बोर्ड इस स्कीम का संचालन करेगा और इस प्रयोजनार्थः–

(i) इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन हेतु नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित करेगा।

(ii) इस स्कीम के तहत देय राशि की मात्रा और अन्य राहतों की समय–समय पर समीक्षा करेगा और केंद्र सरकार को सलाह देगा।

(iii) बोर्ड मंत्रालय को राज्य सरकारों को लोक अभियोजकों को इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह देगा कि वे पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजा देने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष दलील दें और

स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराएं।

(iv) निधियों/बजट की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगा।

(v) राज्य बोर्डों के लिए निधियों का प्रशासन और आबंटन करेगा।

(vi) पीड़िता को उपयुक्त चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों को निर्देश जारी करेगा।

(vii) केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से पुनर्वास स्कीमों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें जारी करेगा।

(viii) स्कीम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा और उसका मूल्यांकन करेगा तथा समय–समय पर इस संबंध में रिपोर्ट मंगाएगा।

(ix) स्कीम के क्रियान्वयन हेतु स्कीम के तहत गठित राज्य एवं जिला प्राधिकरणों के कार्यकरण के बीच समन्वय स्थापित करेगाा और उन पर निगरानी रखेगा।

(x) बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्यथा अथवा पीड़िता या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा उसे याचिका प्रस्तुत किए जाने पर किसी ऐसी शिकायत की जांच कर सकता है या करवा सकता है जिसमें बलात्कार और/या इस स्कीम के उपबंधों से संबंधित किसी मामले के संबंध में आरोप लगाया गया है और मामले को उपयुक्त जिला या राज्य बोर्ड के पास भेजेगा।

21. वित्त/अनुदान सहायताः

(i) केंद्र सरकार स्कीम के क्रियान्वयन के लिए बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को धनराशि का आबंटन करेगी जो राष्ट्रीय बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी और उसके माध्यम से वह निधि सहायता–अनुदान के रूप में जिला बोर्डों को अंतरित की जाएगी।

(ii) बजटीय आबंटन राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड के परामर्श से किया जाएगा।

(iii) एक सक्षम न्यायालय द्वारा बलात्कार के अपराधी पाए गए व्यक्तियों से एकत्र की गई जुर्माना/लागत, मुआवजे की राशि न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड में जमा की जाएगी।

(iv) राष्ट्रीय आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आबंटन करेगा। राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्ड आगे जिला आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को धनराशि आबंटित करेंगे।

(v) बजटीय आबंटन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाएगाः

(क) इस स्कीम के तहत दी गई सहायता पर होने वाला व्यय जिसमें राज्य आपराधिक क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों को दिए गए अनुदान भी शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय, राज्य और जिला क्षति राहत एवं पुनर्वास बोर्डों के कार्यकरण के लिए अपेक्षित कोई अन्य व्यय जिसमें पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक धनराशि भी शामिल है।

22. लेखे और लेखापरीक्षा

केंद्रीय, राज्य और जिला बोर्ड सही लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखेंगे और एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेंगे जिसमें आय और व्यय खाता और तुलन–पत्र भी सम्मिलित होंगे। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

23. इस योजना के तहत दिए जाने वाले आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357/357क के तहत दिए गए किसी आवेदन के अतिरिक्त होंगे।

आवेदन प्रपत्र

1. पीड़िता का नाम :
2. पीड़िता की आयु :
3. माता–पिता का नाम : (क) पिता
   (ख) माता
4. पता :
5. घटना की तारीख और समय :
6. घटना घटित होने का स्थान :
7. आवेदक का नाम :
8. पीड़िता के साथ संबंध (कानूनी उत्तराधिकारी या गैर–सरकारी संगठन)
9. क्या प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है? यदि "हा", तो प्राथमिकी की एक प्रति संलग्न करें:
   यदि "नहीं", तो इसके कारण बताएं
10. क्या न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी गई है?: यदि हां, तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
11. क्या चिकित्सीय जांच करवाई गई है?: यदि हां, तो चिकित्सीय रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।
12. बैंक खाते का ब्योरा :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–V

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	मेरिट एजूकेशनल सोसाइटी, गांव – लारमा, पी ओ सानेकुची, जिला नलबाड़ी, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
2.	युवा ज्योति, ज्योति कुची, रामनगर, गुवाहाटी, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
3.	मिशन फॉर इंटिग्रेशन, जेंडर इक्विटी, हारमोनी एंड फाइट अगेंस्ट थ्रेट, मकान संख्या 2, भागदत्तापुर, बेलटोला बाजार, गुवाहाटी–731028, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
4.	मणिकुंतल महिला उन्नयन केंद्र, निकट भरतठाकुर क्लिनिक, खारगुली, गुवाहाटी, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
5.	डॉ. अम्बेडकर मिशन, असम, गांव धोपातरी, पी ओ चांदसारी, जिला कामरूप–781101, असम	एलएपी	₹ 30,000/-
6.	डिस्ट्रिक्ट सोशल वेल्फेयर ऑफिस, चालीहा नगर, बाइलेन–7, सेक्टर–2 (नाम घर के निकट), तिनसुकिया (असम)–786125	एलएपी	₹ 28,425/-
7.	नेशनल एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, दिसपुर, लखीम नगर, गुवाहाटी–6, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
8.	ज्योतिमय फाउंडेशन, ग्राम – रुक्मिनीगांव, मकान सं.401, पी ओ खानापाड़ा, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
9.	फॉर वेल्फेयर टू ऑल "हेपाह" बिहमपुर, पी ओ मुलारकुची, जिला नलबाड़ी (असम) – 781 303	एलएपी	₹ 40,000/-
10.	प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, सुहा, पी ओ भोगरपार, बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
11	सोसाइटी फॉर होलिस्टिक एप्रोच फॉर रूरल पीपल डेवलपमेंट, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
12.	अभिजन, गांव देहारकुची, पी ओ सोनेकुची, पुलिस थाना घोगरापेर, जिला नलबाड़ी, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
13.	नॉर्थ–ईस्ट पीपल्स राइट, चाहिनीहाबी गांव, पी ओ तिमोन, जिला शिवसागर, असम – 785691	एलएपी	₹ 40,000/-
14.	इत्तेहाद सोशियो–कल्चरल आर्गेनाइजेशन, नगरिया पट्टी, पी ओ हाइबोर गांव, जिला नौगांव, असम	एलएपी	₹ 40,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
15.	लाइट ऑफ विलेज इनर्जी, एच ओ ज्योतिकुची, रामनगर, गुवाहाटी–34, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
16.	मराचवालकोवा वाटरशेड एसोसिएशन, विलेज एंड पोस्ट कमलाबाड़ी, जिला बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 40,000/-
17.	प्रयास, बिजनी टाउन, पी ओ एवं पी एस बिजनी, जिला चिरंग, बी टी ए डी, असम – 783390	एलएपी	₹ 40,000/-
18.	ड्रीम्स, गांव धुरकुची, पी ओ चतमा, जिला नलबाड़ी, असम – 781350	एलएपी	₹ 40,000/-
19.	कुंवर चतिया संधानी महिला समिति, झांजी हंचारा, जोरहाट, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
20.	असम राज्य महिला आयोग, असम	एलएपी	₹ 1,20,000/-
21.	नॉर्थ–ईस्ट ब्राइट सोसाइटी, आर्यभट्ट पथ, पंजाबारी, गुवाहाटी–37, जिला कामरूप, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
22.	लुरफुइया नवजागरण क्लब, जिला बारपेटा, असम	एलएपी	₹ 80,000/-
23.	हरिजन लेबर अभ्युदय संगम, डी नंबर 16/275 – 2, नंदलपाडु, ताड़ीपतरी–515411, अनंतपुर जिला (आंध्र प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
24.	"आइडियाज" आइडियल डेवलपमेंटल इनपावरमेंट एक्सेसरी सोसाइटी, भाग्य नगर, चौथी गली, द्वितीय क्रॉस रोड, अंगोले, जिला प्रकाशम, आंध्र प्रदेश – 523001, फोन नं. 9392475659	एलएपी	₹ 30,000/-
25.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, नेहरू नगर, तिरुपति –517507, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
26.	कृषि महिला मण्डली, नव इंडिया (नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ वूमेन एजेंसीज), डी नंबर, 5/10, होस्पिटल रोड, मुथुकर–524344, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 20,000/-
27.	इंदिरा विकास महिला मण्डली, कडप्पा, डी नंबर 732–3, रवि नगर, कडप्पा–516003, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 20,000/-
28.	आर एम एस एस (रूरल महिला सेवा समिति), संख्या 3–6–162, कतिका रंगाडी स्ट्रीट, तिरुपति – 517501, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
29.	श्री लक्ष्मी रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, डी नंबर 8/883, जयनगर कालोनी, कल्याण दुर्ग (एम)–515761	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
30.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, नेहरू नगर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
31.	अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	एलएपी	₹ 4,00,000/-
32.	एसोसिएशन फॉर दॅ वेल्फेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, पुराना अरुणाचल टाइम्स भवन, यूको बैंक के नीचे, तेनाली, ईटा नगर, अरुणाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 80,000/-
33.	सीईएनसीओआरईडी, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन रिसोर्सिज डेवलपमेंट, ए–16, बुद्ध कालोनी, पटना – 800001, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
34.	ग्रामदीप मधुबनी, गांव गोसांइटोला, पोस्ट राघोपुर ब्लाट, वाया रामपति, जिला मधुबनी (बिहार) – 847211	एलएपी	₹ 30,000/-
35.	महिला मदर टेरेसा सेवा संस्थान, मार्फत आलम मंजिल, मोहल्ला जय प्रकाश नगर, वार्ड सं. 22, जिला खगड़िया (बिहार) – 851204	एलएपी	₹ 30,000/-
36.	नव बिहार उद्योग मण्डल, सैदा बाजार, हिल्सा, जिला नालंद, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
37.	जागृति जन कल्याण समिति, श्याम नगर, भिकनपुर, भागलपरु, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
38.	हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, वीर कुंवर सिंह कालोनी, दलहट्टा बाजार, मुंगेर (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
39.	भवानी ट्रेनिंग सेंटर, मगरा, पोस्ट मगरा, जिला नालंदा (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
40.	ग्रामोद्योग आश्रम देवीस्थान, गया रोड, नवादा–805110 (बिहार)	एलएपी	₹ 30,000/-
41.	दॅ मिल्लत एजूकेशनल, इकोनोमिकल एंड सोशल रिफोर्म सोसाइटी, मोहल्ला फकीराखान, उर्दू बाजार, दरभंगा (बिहार) –846004	एलएपी	₹ 30,000/-
42.	ज्ञान सागर, छोटा बरियारपुर, हवाई अड्डा, निकट चित्रकूट मंदिर, मोतीहारी, पूर्वी चंपारन, बिहार–84540	एलएपी	₹ 30,000/-
43.	महिला उद्योग केंद्र, परमेश्वर भवन, मिर्जापुर लाइनपार, नवादा, बिहार	एलएपी	₹ 30,000/-
44.	हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट – जनकपुर रोड, पुपरी	एलएपी	₹ 30,000/-
45.	ऋषि सेवा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गांव शिवप्रसाद नगर, पोस्ट बांजा, भइयाथान, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़	एलएपी	₹ 30,000/-
46.	निर्मल सहयोगी समाज सेवी संस्था, बिलासपुर, नजदीक रेलवे क्रॉसिंग, लाल खदान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
47.	पीपल फॉर एजूकेशन, रिसर्च स्कॉलरशिप एंड आउटवार्ड न्यूट्रिशन, द्वितीय तल, 39, मोहम्मदपुर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 60,000/-
48.	ईसान एनवायरनमेंटल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, 1327, सेक्टर ए, पॉकेट बी, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	एलएपी	₹ 60,000/-
49.	उन्नी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, 9 न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021	एलएपी	₹ 60,000/-
50.	महक सेवा समिति (रजि.), सी–8/502, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली–110086	एलएपी	₹ 30,000/-
51.	नारी जागृति एवं सामाजिक उत्थान संगठन, मुख्यालयः मकान संख्या 56, हस्तसाल गांव, नई दिल्ली–59	एलएपी	₹ 30,000/-
52.	एसबीएस फाउंडेशन, ए–361, सरस्वती मार्ग, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली–92	एलएपी	₹ 60,000/-
53.	क्राफ्टस एंड सोशल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 3484/1, नारंग कालोनी, त्रि नगर, दिल्ली–35	एलएपी	₹ 60,000/-
54.	भगवान देवी एजूकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन, 657/1, नई बस्ती, देवली, नई दिल्ली–62	एलएपी	₹ 30,000/-
55.	अखिल प्रोग्रेसिव एंड कल्चर, जीएच–1/80, ऊपरी तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–63	एलएपी	₹ 30,000/-
56.	देहली कॉलेज डिसटेंस लर्निंग एजूकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, एफ–10, 11–12, भगवती गार्ड एक्सटेंशन, सिद्धात्री एनक्लेव, नई दिल्ली–59	एलएपी	₹ 60,000/-
57.	दॅ सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विस, तिरुपति प्लाजा, यूजी–4, ए–212 सी, गली नं 1, विकास मार्ग, शकर पुर, दिल्ली–110092	एलएपी	₹ 60,000/-
58.	कल्पतरु समाज कल्याण संघ, आर जेड 282–ए, गली नंबर 11, गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043	एलएपी	₹ 30,000/-
59.	सेव ऑर सोल इंडिया, ई–4/60, सुल्तानपुर, नांगलोई, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
60.	पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ओम विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
61.	पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, आर जैड एच 163, कमला पार्क, धर्मपुरा, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
62.	बंधुआ मुक्ति मोर्चा, 7, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
63.	इंडियन ऑडिट एजूकेशन एसोसिएशन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली	एलएपी	₹ 30,000/-
64.	इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेयर एक्शन, नई पार्क सोसाइटी, निकट मारुति सोडा फेक्टरी, मालीवार, व्यारा, जिला – तापी (दक्षिण गुजरात)	एलएपी	₹ 30,000/-
65.	समाज कल्याण समिति रामगढ़, कार्यालय : वी पी ओ रामगढ़, तहसील और जिला जींद, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
66.	दॅ आदर्श नशामुक्ति समिति, न्यू एम्पलाइज कालोनी, निकट जिला जेल, गोहाना रोड, जींद (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
67.	"सेवा" सोसाइटी फॉर एजूकेशन एंड वेल्फेयर एक्टिविटीज, निकट बिजली घर, वी पी ओ नांगल चौधरी, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
68.	विश्वकर्मा एजूकेशनल सोसाइटी, गली नंबर 1, जीवन नगर, सोनीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
69.	ग्रामीण विकास समिति, पानीपत, पंजीकृत कार्यालय, पता वी पी ओ भांदरी, मडलुड, जिला पानीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
70.	श्री गणेश शिक्षा समिति, सरकारी अस्पताल के पीछे, गांव और पोस्ट डॉ. चौधरी नांगल चौधरी, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा–123023	एलएपी	₹ 30,000/-
71.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल, न्यू भाटिया कालोनी, पानीपत, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
72.	मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, गांव कलवाड़ी, पोस्ट डोंगरा अहीर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा–123021	एलएपी	₹ 30,000/-
73.	दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट (आरओएडी), मार्फत बतरा निवास, वार्ड–24, निकट रेलवे लाइन, शिव पार्क, संजीवन एनक्लेव, रोहतक–124001 (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
74.	आर के एजूकेशनल सोसाइटी (रजिस्टर्ड), गांव – भानी भारोन, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
75.	सोना वेल्फेयर सोसाइटी, 192, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, रोहतक–124001	एलएपी	₹ 30,000/-
76.	सर छोटू राम युवा क्लब, वी पी ओ बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
77.	समाज विकास शिक्ष समिति, वी पी ओ बहिबा, पन्ना पनड़ी, मेहम, जिला रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
78.	शिव जन जागृति शिक्षा समिति, मकान संख्या 1809/31, शिव नगर, भिवानी रोड, रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-
79.	गेहलू ज्ञान भारती शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट बोंड कलां, पाना मिरान, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
80.	युवा स्पोर्ट्स समिति, निकट बिजली घर, चौधानी, जुलाना, तहसील जींद	एलएपी	₹ 30,000/-
81.	ग्रामीण महिला विकास समिति, गांव बिरधाना, झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
82.	नया सवेरा, हीरा भवन, न्यू अंटा कालोनी, सफीदों, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
83.	जीवन ज्योति समिति, बरनाला रोड, जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
84.	श्रद्धा, 2131/17, अशोक प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक (हरियाणा)– 124001	एलएपी	₹ 30,000/-
85.	अखिल भारतीय समाज सुरक्षा समिति, मार्फत चमन लाल, मकान संख्या 623/12, निकट रॉयल प्लेस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के सामने, भट्टी गेट, झज्जर (हरियाणा) – 124103	एलएपी	₹ 30,000/-
86.	अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, मार्फत शर्मा निवास, 54 फुटा रोड, विद्या नगर, भिवानी, हरियाणा–127021	एलएपी	₹ 30,000/-
87.	महिला चेतना समिति, भीम सिंह निवास, वी पी ओ चिमनी, बेरी, झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
88.	दॅ एसोएिशन फॉर रूरल पीपल्स डेवलपमेंट, मार्फत ब्रह्मकुमार, मकान संख्या 232/9, शीला बाई पास चौक, जसबीर कालोनी, रोहतक (हरियाणा) – 12400	एलएपी	₹ 30,000/-
89.	हरियाणा ग्राम सुधार एवं सांस्कृतिक क्लब, दहलीज पन्ना, वी पी ओ सुनारियां कलां, जिला रोहतक (हरियाणा) – 124001	एलएपी	₹ 30,000/-
90.	ऑल इंडिया कॉमनवेल्थ आर्गेनाइजेशन, 94/22, लक्ष्मी नगर, रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
91.	सेंटर फॉर एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर, 665/20, 20, प्रेम नगर, रोहतक (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
92.	समाज जागृत सेवा समिति, निकट इंडियन पब्लिक स्कूल, 54 फुटा रोड, विद्या नगर, भिवानी (हरियाणा) – 127021	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
93.	हरियाणा विकास संघ, मार्फत उमराव सिंह निवास, वी पी ओ चिमनी, बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
94.	जन सेवा समिति, वार्ड 3, शिव मार्किट, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा – 124112	एलएपी	₹ 30,000/-
95.	हरियाण ग्रामीण विकास शिक्षा समिति, मकान संख्या 636–ए/ 20, प्रेम नगर, रोहतक–124001, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
96.	शिव वेल्फेयर सोसाइटी, वी पी ओ अहीरका, तहसील जींद, जिला जींद, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
97.	अमन ग्राम उद्योग समिति (पंजीकृत), मकान संख्या 1095, एन एच बी कालोनी, अर्बन एस्टेट, करनाल	एलएपी	₹ 30,000/-
98.	बुनियाद एजूकेशन सोसाइटी, 1560, सेक्टर 2, रोहतक–124001, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
99.	लक्ष्य एजूकेशन, आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी, मार्फत दलाल कांप्लेक्स ऑफिस, ऑफिस नंबर 4, द्वितीय तल, निकट राज मोटर्स, दिल्ली रोड, रोहतक–124001	एलएपी	₹ 30,000/-
100.	ग्रामीण महिला सशक्तीकरण संघ, निकट भारतीय विद्या मंदिर स्कूल, छोटू राम मार्ग, आर्य नगर, झज्जर–124103	एलएपी	₹ 30,000/-
101.	ग्रामीण विकास मंच, वी पी ओ गोली, असंध, जिला करनाल (हरियाणा)	एलएपी	₹ 30,000/-
102.	हंस एजूकेशन सोसाइटी, शिवनगर, भिवानी रोड, निकट शिवालिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, रोहतक	एलएपी	₹ 30,000/-
103.	ग्राम सुधार समिति, वी पी ओ खानपुर ब्राह्मण, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
104.	सेवाहर, वी पी ओ लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
105.	विज्ञान शिक्षा केंद्र, गांव रजना कलां, पोस्ट बुद्ध खेड़ा पिल्लू खेड़ा, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
106.	ग्रामीण विकास संस्थान, वी पी ओ फरमाना खास, मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
107.	ग्रामीण युवा विकास मण्डल, वी पी ओ भूंड कलां, ब्लॉक चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
108.	गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जींद रोड, रोहतक, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
109.	नालंदा एजूकेशन सोसाइटी, वी पी ओ – साह चौखा, ब्लॉक पुनहाना, जिला मेवात, हरियाणा	एलएपी	₹ 30,000/-
110.	पीपल अवेयरनेस फॉर रूरल एक्शन सोसाइटी (पीएआरए), ग्राम एवं पोस्ट दराहल, ब्लॉक चौंतरा, तहसील जोगेंद्र नगर, जिला मण्डी–176120, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
111.	अखिल भारतीय युवा विकास संस्थान, मोहल्ला सूखी जोहड़ी (बीडीओ ऑफिस के पीछे), धरम पुर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
112.	सहारा समाज सेवी संस्था, होटल थ्रि स्टार्स ब्रदर्स, नियर पेट्रोल पंप, थियोग, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 80,000/-
113.	जन जातीय शिक्षा एवं उत्थान समिति, गांव गंगोटा, पोस्ट खनियारा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	एलएपी	₹ 40,000/-
114.	उपकार स्वं–सेवी संस्थान, पलामू, झारखंड	एलएपी	₹ 30,000/-
115.	सोशल एंड हेल्थी एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट (एसएचएआरई), पी ओ सारजामदा, जमशेदपुर, जिला : पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड – 831002	एलएपी	₹ 30,000/-
116.	जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग, 191 – वाणी हाउस (पोस्टर ऑफिस के निकट), राज बाग, श्री नगर	एलएपी	₹ 4,40,000/-
117.	जम्मू कश्मीर राज्य महिला आयोग, 191 – वाणी हाउस (पोस्टर ऑफिस के निकट), राज बाग, श्री नगर	एलएपी	₹ 1,00,000/-
118.	कणक कल्चरल फाउंडेशन (पंजी.), एलआईजी 80, हुडको कालोनी, बिदर, कर्नाटक–585401	एलएपी	₹ 30,000/-
119.	श्री विद्या सरस्वती महिला मंडल, विद्या नगर, पी ओ कादिरुद्ध यावरा, बेलतन गाडी तालुक, कर्नाटक	एलएपी	₹ 30,000/-
120.	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, खरकुल साउथ, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर, पी ओ मंत्री पुखरी, पी एस – सिकमइ–795002, मणिपुर	एलएपी	₹ 80,000/-
121.	ट्रेडिशन कल्चर एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर (टीसीबीआरसी), मुख्यालय – वी पी ओ अशोक पम्प, ताउबल जिला, मणिपुर–795183	एलएपी	₹ 80,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
122.	वूमेन एंड चिल्ड्रन केयर सेंटर एंड रूरल डेवलपमेंट (डब्ल्यूसीसीसी आरडी), सिंगजामेई, थोडगम, लेईकई, इम्फाल पश्चिम जिला – मणिपुर	एलएपी	₹ 40,000/-
123.	खुमिडोक मुस्लिम वूमेन वेल्फेयर सोसाइटी, खुमिडोक डैम माखोंग, जामा मस्जिद मैनिंग्स, एस पी ओ – पांजेई, इम्फाल पूर्वी–795114	एलएपी	₹ 40,000/-
124.	सेल्फ एम्पलायड ट्राइबल एंड बैकवर्ड वूमेन्स एसोसिएशन, मणिपुर (एस ई ई टी ए), पोरोमपट पी डी ए कॉम्पलेक्स, इम्फाल, मणिपुर	एलएपी	₹ 40,000/-
125.	रेडको फाउंडेशन (फाउंडेशन फॉर रूरल इकोनमिक डेवलपमेंट को–आप्रेशन), ईराम सिफालाविंग लेईकई, बी पी ओ ईराम सिफई–795008, इम्फाल, पश्चिम जिला, मणिपुर	एलएपी	₹ 80,000/-
126.	मणिपुर राज्य महिला आयोग, इम्फाल, मणिपुर	एलएपी	₹ 30,000/-
127.	दि क्रिस्टी यूथ वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, पी ओ – नोंगक्रेम, शिलांग–793015, मेघालय	एलएपी	₹ 80,000/-
128.	नोंगक्रेम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, पूर्वी खासी पर्वतीय जिला, शिलांग, मेघालय–793015	एलएपी	₹ 80,000/-
129.	अमत्सर, किरो लोअर जेल रोड, शिलांग, मेघालय	एलएपी	₹ 40,000/-
130.	मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, मेघालय	एलएपी	₹ 80,000/-
131.	इंस्टिट्यूट ऑफ इण्डो–पब्लिक हेल्थ हाइजीन एंड मल्टीपल एजूकेशन, मित्र नगर, खोरी गली, लातूर–413439, महराष्ट्र	एलएपी	₹ 60,000/-
132.	बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहु–उद्देश्यीय प्रसारक मण्डल, कराद नगर, अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र	एलएपी	₹ 30,000/-
133.	भारतीय ध्यान वर्धिनी लोक विकास संस्था, लातूर, महाराष्ट्र	एलएपी	₹ 30,000/-
134.	दॅ वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, संख्या 146, सेक्टर 2, शिवबासव नगर, बेलगाम–590010	एलएपी	₹ 30,000/-
135.	नेटिव एजूकेशन एंड एम्पलायमेंट डेवलपिंग सोसाइटी, चैम्बर नं.3, नोटरी मार्किट, मिंटो हॉल के सामने, पुराना विधान सभा रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
136.	नवेदिता कल्याण समिति, 13/164, मानस नगर (बारा), रीवा (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
137.	चौधरी रूपनारायाण दूबे, समाज कल्याण समिति, कुशवाहा कालोनी, इटावा रोड, भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
138.	समाधान जन सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति, तानसेन नगर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 60,000/-
139.	मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, 35, राजीव गांधी भवन, खण्ड 2, श्यामला हिल, भोपाल (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 60,000/-
140	स्व. श्री गुथु सिंह जी बोहरे शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम एवं पोस्ट – पिउर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
141.	ब्रिलियंट स्टार एजूकेशन सोसाइटी, 1203, आनंद नगर, सागर तल रोड, भवदा पुर, पोस्ट – शब्द प्रताप आसरा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
142.	उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, राम मंदिर कालोनी, पुलिस लाइन, नई सड़क, शाहजापुर, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
143.	प्रजापति महिला मण्डल, स्नेह नगर कालोनी, पावर हाउस के नजदीक, लाहर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
144.	अमृत स्मृति बाल कल्याण समिति, एस–1, स्वप्निल अपार्टमेंट, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
145.	सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज एंड फॉर दॅ लेडीज, 4711, लक्ष्मी विहार, पी ओ– सैनिक स्कूल, नंदन कानन रोड, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	एलएपी	₹ 30,000/-
146.	वर्ल्ड विज़न, मधुबन, पी ओ – नागाबागीचा, जिला पुरी, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
147.	एसोसिएशन फॉर वूमेन्स डेवलपमेंट (अवार्ड), पतासरा, पी ओ जनकोटि, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
148.	रूरल डिस्ट्रेस वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडीडब्ल्यूए), नूवां बुद्धा केरा, पी ओ दीपीदेवली, जिला पुरी, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
149	बिजी राम स्वयं महिला समिति (बीएसएमएस), अराना पी ओ जनकोटि, वाया/जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
150.	आदर्श जगदा, एम ई स्कूल लेन, मकान सं.सी/198, राउरकेला–42, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
151.	पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, टीकरा पारा यूपी स्कूल के पीछे, पीओ/जिला बोलंगीर–767001 (उड़ीसा)	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
152.	इंटरनेशनल वेल्फेयर काउंसिल, प्लाट संख्या 825/274, सेक्टर 8, सी डी ए, अभिनव बिदनासी, कटक–753014	एलएपी	₹ 30,000/-
153.	सोशल वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ दॅ लेडीज एंड फॉर दॅ लेडीज, एमआईजी–11, 10/21, बीडीए कालोनी, सी एस पुर, भुवनेश्वर–751016	एलएपी	₹ 60,000/-
154.	आदर्श जगदा, एम ई स्कूल लेन, मकान सं.सी/198, राउरकेला–42, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	एलएपी	₹ 60,000/-
155.	स्वीट हार्ट ग्राम एवं पोस्ट – बाली पटना, खुरदा, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
156.	सुलोचन एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम/ पोस्ट – पाटिया, भुवनेश्वर, जिला खुरदा, उड़ीसा	एलएपी	₹ 30,000/-
157.	संजीवनी सोसाइटी, डॉक्टर्स हाउस, निकट डॉ. बॉम आवास, दामिनी लेन, मधुबन, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
158.	"दिशा", डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल ह्युमन एक्शन, डी –218, जवाहर नगर, भरत पुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
159.	मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, 54, जेनिरात चौक, जोशी ब्रदर्स स्ट्रीट, सूरजपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
160.	मेवाड़ जनजाति कल्याण सोसाइटी, 54, जेनिरात चौक, जोशी ब्रदर्स स्ट्रीट, सूरजपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
161.	कस्तूरबा महिला शिक्षा समिति (केएमएसएस), ए–133, बस्सी सीताराम पुर, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
162.	इंडियन सोसाइटी, 7/71, केल्वा हाउस, बिच्छू घाटी, जिला उदयपुर, राजस्थान–313001	एलएपी	₹ 30,000/-
163.	आरती महिला विकास संस्थान, 709, सूर्य नगर, सेक्टर–3, हिरण मार्ग, जिला उदयपुर, राजस्थान–313001	एलएपी	₹ 30,000/-
164.	दिशा विकास संस्थान, बीकानेर, दुर्गा सदन, बाबा राम देव टाइल्स फेक्टरी के पीछे, शर्मा कालोनी, रानी बाजार, बीकानेर, राजस्थानप	एलएपी	₹ 60,000/-
165.	दीप विद्या मंदिर समिति (डीवीएमएस), गायत्री नगर, दौसा, तहसील एवं जिला – दौसा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
166.	रूरल एनवायरनमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, आरईएटीआई, दौसा, हरियाणा धर्म कांटा के पीछे, गायत्री नगर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
167.	आदर्श ग्रामीण शिक्षा समिति, ग्राम – बड़ोदा वाया सैथल, तहसील एवं जिला दौसा, राजस्थान–303507	एलएपी	₹ 30,000/-
168.	आजाद नवयुवक मण्डल संस्थान, गणेश नगर, तहसील एवं जिला – दौसा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
169.	समग्र जागृति एवं विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट बारावर्दा, वाया धामोतर, ब्लॉक एवं जिला – प्रतापगढ़, राजस्थान–312616	एलएपी	₹ 30,000/-
170.	जागृति सेवा संस्थान, 25, पार्वती गार्डन के पीछे, मधुबन, सेंथि, चित्तौडगढ़, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
171.	ग्रामीण विकास संस्थान, 1042, नई आबादी पोस्ट – मावली जंक्शन, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
172.	अपर्णा शिक्षा समिति, सेक्टर 2/380, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
173.	प्रसा अनुसंधान संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
174.	रुचि रूरल डेवलपमेंट संस्थान, 107, कृष्णा विहार, सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर–302033	एलएपी	₹ 60,000/-
175.	युवा संजीवनी समिति, बीकानेर, काशी सदन, हनुमान हट्टा, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
176.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, 117/20, अग्रवाल फार्म, जयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
177.	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, प्लाट सं.2, फिट टेलर वाली गली बिल्डिंग के साथ, एयरोड्रोम सर्कल, कोटा, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
178.	इंस्टिट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल अफेयर्स, 36–के 5, ज्योति नगर, जयपुर–302005	एलएपी	₹ 60,000/-
179.	मरुक्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक संस्थान, गली नं. 3, धोबी तलाई, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
180.	विश्वकर्मा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, गुरुजी माधो लाल सिरोलिया मार्ग, हरिराम जी मंदिर के पीछे, चोपड़ा बारी, गंगानगर, बीकानेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
181.	नवराजीव फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चोरडिया पेट्रोल पम्प के पीछे, जयपुर	एलएपी	₹ 60,000/-
182.	चित्तौड़गढ़ जिला ग्रामीण उपभोक्ता सेवा संस्थान, जडाना, तहसील रश्मि, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
183.	मधुर बहुजन कल्याण सेवा समिति, अलीगढ़ (उ.प्र.)	एलएपी	₹ 30,000/-
184.	नर्मदा मेमोरियल समिति, अजमेर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
185.	लक्ष्य विनर्स शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर, राजस्थान	एलएपी	₹ 60,000/-
186.	श्री राजीव गांधी मेमोरियल संस्थान, चुरु, राजस्थान	एलएपी	₹ 90,000/-
187.	अंजनेय सेवा समिति, श्रीपति नगर, पोस्ट डोबका, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
188.	सोशल वेल्फेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जघलावर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
189.	ह्युमन डेवलपमेंट एंड चेरिटेबल सोसाइटी, ई–200, रोड, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
190.	ग्रामीण विकास संस्थान, नई आबादी मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
191.	वसुधा संस्थान, समता नगर, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
192	अरिहंत महिला एवं बाल विकास समिति, कोटा, राजस्थान	एलएपी	₹ 30,000/-
193.	"वाइस" वोलंटरी आर्गेनाइजेशन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, 48ए, फॉरेस्ट रोड, 6ठी गली, थेनी– 625531 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
194.	रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (आरईडीएस), 6/316, मारुति नगर, त्रिचि रोड, पोस्ट एवं जिला नलमक्कल–637001 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
195.	रोजा वूमेन कंज्युमर राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नंबर 189, पलम स्टेशन रोड, सेलूर, मदुरै–625002 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
196.	ह्युमन मिरर ट्रस्ट, 4/502–डी, केवीएमएस ईलम, अंदावर नगर, नामक्कल (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
197.	राजीव गांधी मेमोरियल वूमेन्स रूरल डेवलपमेंट सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, 202, पोईगईकराइपट्टी, कलांदिरी, पी ओ मदुरै, नॉर्थ तालुक, जिला मदुरै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
198.	मैरी जीसस सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, 185, मारावनकुडीइरुप्पु, कुट्टुर पी ओ, नागरकोइल–629002, जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
199.	रूरल वूमेन एजूकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, 21–बी, नंदगोपाल नायकी, 4थी गली, एमएमडब्ल्यू कालोनी, तिरु नगर, मदुरै–625007 (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
200.	ग्लोबल इन्नोवेशन एनवायरनमेंट ट्रस्ट, 111/32, एआरटी बिल्डिंग, राजम्बला नगर, कल्लाकुरिचि–6206202, जिला विलुपुरम (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
201.	"वीडब्ल्यूडीएस" विलेज वूमेन्स डेवलपमेंट सोसाइटी, विलानकूपम गांव, पोस्ट केलुर, तालुक पोलुर वाया वडामतिमंगलम, जिला तिरुवन्नामलै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
202.	ओएसिस फाउंडेशन, 1025, सोसाइटी कालोनी, पी ओ ओदानचत्रम, जिला डिंडीगुल–624619, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 20,000/-
203.	स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट सोसाइटी, नंबर 67/62, द्वितीय क्रॉस स्ट्रीट, सीआईटी नगर, नंदनम, चेन्नै–35, तमिलनाडु–600035	एलएपी	₹ 20,000/-
204.	एग्रीड (एसोसिएशन फॉर ग्राम राज्यम एंड रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट), सर्वोदय इलम, मेत्तुपेरुमल नगर, वाडीपट्टी–625208, जिला मदुरै, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 20,000/-
205.	अन्नाइथेरासल वोलंटरी आर्गेनाइजेशन कामुथि (एटीवीओके), सवरियार गली, पोस्ट कामुथि, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
206.	पीपल्स एजूकेशन एंड इकोनमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, 1/26, परदेशी पट्टी, पोस्ट काका नगराई, तालुका तिरुपत्तूर, जिला वेल्लोर–635654	एलएपी	₹ 30,000/-
207.	वूमेन्स वेल्फेयर सोसाइटी, 2रा वारद, वाटर टैंक स्ट्रीट, रासिंगापुरम–625528, तालुक बोधिनायकानूर, जिला थेणी, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
208.	वूमेन कंज्युमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (डब्ल्यूसीपीए), अलगरनगर, पांचवीं गली, के पुदूर, मदुरै–625007	एलएपी	₹ 30,000/-
209.	रूरल हेल्थ एंड इकोनमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (मदर टेरेसा सेवा सेंटर), मयूर गांव एवं पोस्ट (वाया) वानापुरम–606753, तालुक–जिला तिरुवन्नामलै, (तमिलनाडु)	एलएपी	₹ 30,000/-
210.	तिरुमंनागई चेरिटेबल ट्रस्ट, 58सी/2, कटचेरी रोड, कल्लाकुरिचि, विल्लूपुरम, तमिलनाडु	एलएपी	₹ 30,000/-
211.	शांति काली मिशन, पी ओ बीरेंद्र नगर, जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा–799045	एलएपी	₹ 80,000/-
212.	सर्व शैक्षिक संस्थान, पी–18, दिनारा मस्जिद के निकट, खादर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
213.	स्टुडेंट सोशल आर्गेनाइजेशन, गांव राम पुर, गौरी बाजार, देवरिया (उत्तर प्रदेश)–274202	एलएपी	₹ 30,000/-
214.	दर्पण, म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैराना घराना (पंजी.) इंडिया, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–246149	एलएपी	₹ 30,000/-
215.	नवापाड़ा लक्ष्मी नारायण खादी ग्रामोन्नयन महिला संस्थान, पी ओ – एन महाद्वीप, बिरभूम, पश्चिम बंगाल–731234	एलएपी	₹ 30,000/-
216	आजाद सेवा समिति, वी वी इंटर कॉलेज रोड, शामली, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
217.	बाल विद्या मंदिर, गांव और पोस्ट कुड़ढा, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
218.	किसान शैक्षणिक संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट रायसो, ब्लॉक बहेंद्रकलां, तहसील सांडिला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
219.	आसमां वेल्फेयर संस्थान, सिकरोड़ी, अंधे की चौकी, हरदोई रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
220	अखिल भारतीय जनकल्याण विकास समिति, 61, जी–10, ई चांदपुर सलोरी, पी ओ तेलियारगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)–211004	एलएपी	₹ 30,000/-
221.	शिवम सेवा संस्थान, मोहल्ला एवं पोस्ट कटरा, गोसाईगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
222.	राजा कल्याण समिति, तासका, नैनीताल रोड, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
223.	रोसा (रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एडवांसमेंट), गांव काकड़माटा (निकट आदर्श बाल विद्यालय), पी ओ – डी एल डब्ल्यू, जिला वाराणसी–221004, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
224.	बालाजी सामाजिक उत्थान समिति, 25/45, गांधी नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
225.	संकल्प सेवा संस्थान, मोहल्ला पचघरा, तहसीला फतेहपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
226.	आस्था वेल्फेयर सोसाइटी, शर्मा कंम्पलेक्स, 5/81, मादिया कटरा, आगरा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
227.	बाल एवं महिला कल्याण समिति, 80, इस्माइल गंज, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
228.	वॉइस, मार्फत श्री आर के मिश्रा, 568/केएचए/185, गीतापल्ली, आलम बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226005	एलएपी	₹ 30,000/-
229.	परपीचुअल रिकंस्ट्रक्टिव इंस्टिट्यूट फॉर यूथ एक्टिविटी (प्रिया), 141, कानन विहार, फेस 2, भुवनेश्वर–751031	एलएपी	₹ 30,000/-
230.	ध्रुव संस्थान (पंजी.), उत्तर प्रदेश, ग्राम एवं पोस्ट थुल्लई, हाथरस–204102	एलएपी	₹ 30,000/-
231.	माहीन सेवा संस्थान, जी–4, हाता रसूल खां, स्टेशन रोड, लखनऊ	एलएपी	₹ 30,000/-
232.	आचार्यजी महासमिति, गांव गोनारपुर (अजायब टोला), पोस्ट रामपुर गोपालपुर, जिला गोरखपुर	एलएपी	₹ 30,000/-
233.	श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव इमलिया, मिसिर, पी ओ खोरहंसा, गोंडा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
234.	ग्रामीण शिक्षा परिसर, गांव बहादुर, पोस्ट बहादुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
235.	डॉ. अम्बेडकर समिति, गांव और पोस्ट सलेमपुर, जनपद महामाया नगर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
236.	अन्नपूर्णा ग्रामोद्योग मण्डल, बी–499, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइंस, बदायुं–243601 (उ.प्र.)	एलएपी	₹ 30,000/-
237.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजूकेशन सोसाइटी, गांव गालिबपुर, पोस्ट बुद्ध गांव, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
238.	विशाल सेवा संस्थान, गांव जमालपुर, पोस्ट सहवार, जिला कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
239.	सुप्रभात मानव विकास संस्थान, 25–ए, अहमद रोड, निकट खुशबू नर्सिंग होम, घंटा घर, जिला मेरठ–250002 (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
240.	महिला आर्थिक, सांस्कृतिक शैक्षिक विकास संस्थान, अशोक विहार कालोनी, फेस 1, ई–59, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221007	एलएपी	₹ 30,000/-
241.	सरस्वती शिक्षा प्रसार समिति, गांव एवं पोस्ट – गरह कासदा, तहसील चक्रनगर (इटावा), उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
242.	एक्टिविटीज ऑफ वोलंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्युमैनिटी, 86/32, सरोजनी देवी लेन, मकबूल गंज, लखनऊ	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
243.	मैकनेल कॉस्मेटिक्स वेल्फेयर सोसाइटी, एचआईजी कालोनी के पीछे, झूसी, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
244.	मां द्रोपदी जन सेवा समिति, खेदोपुर कोइर्रोना, एसआरएन भदोही, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
245.	जन उदय फाउंडेशन, नई मंडी, बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
246.	परिवर्तन आदर्श महिला संस्थान, तिलिया कोट, रायबरेली (पानी की टंकी के निकट), उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
247.	महिला सेवा संस्थान, ईएस–1/482, सेक्टर–ए, सीतापुर रोड, योगना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
248.	नाविक 'नेशनल एसोसिएशन फॉर वोलंटर इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन' स्पिनिंग मिल, सिद्दीकपुर, जौनपुर	एलएपी	₹ 60,000/-
249.	सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान, सुमित्रा कॉटेज, रथ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
250.	अमृत महिला कल्याण समिति, मकान सं.79–के, नई बस्ती, बाबूगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
251.	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास समिति, छर्रा, अलीगढ़–202130, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
252.	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, विष्णुपुरी, हाथरस, जनपद महामायानगर, उत्तर प्रदेश–204101	एलएपी	₹ 60,000/-
253.	भारतीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, के–58/78, बड़ा गणेश, मैदागिन, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
254.	भारतीय महिला कल्याण समिति, 167/503, पुष्प निवास, लखपीरा बाग कालोनी, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) – 225001	एलएपी	₹ 30,000/-
255.	श्री गणेश प्रशाद स्मारक सेवा संस्थान, 330/148, आदर्श विहार कालोनी, कल्याणपुर (पश्चिम), जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश–225001	एलएपी	₹ 30,000/-
256.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, बीएल–93, दीन दयाल नगर, मुरादाबाद	एलएपी	₹ 30,000/-
257.	श्री सरदार सेवा संस्थान, 96, अम्बेडकर नगर, रोडवेज वर्कशाप के पीछे, एटा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
258.	भारतीय किसान कल्याण समिति, 216, ए बी नगर, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	एलएपी	₹ 30,000/-
259.	मानव समाज सेवा संस्थान, 130/571, आजाद नगर, बाकरगंज, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
260.	अजय ग्रामोद्योग सेवा समिति, ग्राम रामगढ़, पोस्ट इमलिया, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
261.	डॉ. अम्बेडकर एमईएंडआरडी सोसाइटी, परसिया जयरामगिरि, पोस्ट परसिया, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
262.	कामिनी महिला सेवा संस्था, 65, आजाद रोड, भरथाना, इटावा, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
263.	सूर्य (एक सामाजिक कल्याण संघ), लखनऊ, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 60,000/-
264.	आदर्श ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उरई, जालोन, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
265.	काशी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कबीर चौड़ा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
266.	आइसा वेल्फेयर सोसाइटी, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	एलएपी	₹ 30,000/-
267.	ग्राम नियोजन आश्रम, छर्रा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
268.	चौब सिंह शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट दादोन, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
269.	बजरंग ग्रामोद्योग संस्थान, गौतम नगर, सदाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश	एलएपी	₹ 30,000/-
270.	वोलंटरी एसोसिएशन फॉर दॅ डेवलपमेंट ऑफ दॅ हिल्स ऑफ उत्तरांचल, पुरानी अकबरी, रानीखेत–263645, उत्तराखण्ड	एलएपी	₹ 80,000/-
271.	अम्बेडकर ग्रामोद्योग ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट मुयाल गांव, तहसील घसाली, जिला टिहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)	एलएपी	₹ 40,000/-
272.	हिमालयन महिला एवं जनजातीय हस्तशिल्प विकास समिति, रेलवे स्टेशन के निकट, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	एलएपी	₹ 40,000/-
273.	मल्लबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, गांव मल्लबपुर, पी ओ उरेल चांदपुर, थाना मगराहट, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 30,000/-
274.	वूमेन एसोसिएशन फॉर राइट्स एंड डेवलपमेंट, मार्फत सैय्यद हबीबुर्रहमान (फ्लैट), पी ओ कटजुरिडांगा, जिला बांकुरा, पश्चिम बंगाल–722102	एलएपी	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
275.	ऑनवार्ड, 15, बी, रखालदास ओडी रोडी, तीसरी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700027	एलएपी	₹ 30,000/-
276.	दुर्बाचाति नवरंग संघ, गांव दुर्बाचाति, तीसरा खण्ड, पोस्ट – पश्चिम सुरेंद्रनगर, जिला दक्षिणी चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
277.	नवीन संघ, ग्राम एवं पोस्ट – बानेश्वरपुर, पी एस उस्ति, जिला चौबीस परगना–743375, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
278.	नूरपुर स्वर्ण प्रभात समिति, गांव शिमला, पी ओ माथुर, थाना – डायमंड हार्बो, जिला दक्षिणी चौबीस परगना,–743368, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 30,000/-
279.	मल्लबपुर पीपल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, गांव मल्लबपुर, पोस्ट उरेल चांदपुर, थाना मगराहट, जिला दक्षिणी चौबीस परगना–743355, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-
280.	सोनारपुर – मथुरापुर परिवेश संरक्षण संस्था, 358, आरजी पल्ली, पी ओ और पी एस सोनारपुर, कोलाकाता, पश्चिम बंगाल	एलएपी	₹ 60,000/-

अनुलग्नक–VI

पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन/संस्था का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	पुष्पा महिला कल्याण संस्थान, 241/8, शिवलोक कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
2.	श्रीमती चंद्रा कुमारी शिक्षा समिति, 41, जयंती पुर, इलाहाबाद–211003, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
3.	स्वर्णिम संस्थान, 568/14, कैलाशपुरी 'ए', आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
4.	भारतीय किसान कल्याण समिति, ए बी नगर, उन्नाव–209801, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
5.	श्री आनंद विकास समिति, 4/317, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
6.	चांद तालीमी सोसाइटी, मौज़ा बरुआ, अमेठी, गोसाइंगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
7.	सूर्य विकास समिति, 7, नगर निगम मार्किट, दारुल सफा के सामने, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-
8.	डॉ. खुर्शीद जहां, गर्ल्स इंटर कॉलेज, 4–ए/58, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	पीएमएलए	₹ 30,000/-

अनुलग्नक–VII

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	वूमेन वेल्फेयर एंड एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला सोनीपत (हरियाणा)	"नेतृत्व हेतु नया आयाम सृजित करते हुए भारत में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका : हरियाणा राज्य का विशेष संदर्भ" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
2.	सन्मति सोशल समिति, उत्तरी राज मोहल्ला, इंदौर, मध्य प्रदेश	महिला पंचायत सदस्य/सरपंच को शिक्षित करने के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
3.	मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, कबूतरों का चौक, जोधपुर (राजस्थान)	"राजस्थान के गांवों में महिला साक्षरता का प्रभाव" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
4.	पल्स वेल्फेयर सोसाइटी, जिला संबलपुर, उड़ीसा	"जिला संबलपुर, उड़ीसा में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
5.	विज्ञान एजूकेशनल सोसाइटी, जिला वारंगल (आंध्र प्रदेश)	"आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में निःशक्तता की शिकार महिलाएं" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
6.	वेंकटेश बहु–उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मण्डल, लातूर, महाराष्ट्र	"तालुक औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र में पंचायत में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
7.	विद्या कला संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	"महिला अधिकार" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
8.	ग्रासरूट, माओखार मेन रोड, सेंगखासी हॉल के सामने, शिलांग (मेघालय)	"परंपरागत बुनकर" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 40,000/-
9.	ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	"प्रजननात्मक और मातृ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
10.	कुमारसा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में बाल विवाह" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
11.	मासूम सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज, जोधपुर (राजस्थान)	"जोधपुर में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 60,000/- 2 कैम्प
12.	वूमेन डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी, जिला सोनीपत, हरियाणा	"नेतृत्व हेतु नया आयाम सृजित करते हुए भारत में पंचायतों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
13.	महिला शिशु स्वास्थ्य एवं उत्थान समिति, गांव अहीरका, हरियाणा	"कार्यस्थल पर महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याएं और चुनौतियां" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
14.	वात्सल्य समिति, हाथरस (उत्तर प्रदेश)	"बागपत में महिलाओं को उत्पीड़न के संबंध में उन्हें जागरूकता और परामर्श उपलब्ध कराना	₹ 30,000/-
15.	तरंगिणी सोशल सर्विस सोसाइटी (आंध्र प्रदेश)	"आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़" विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
16.	मानव कल्याण विद्यापीठ संस्थान, जयपुर (राजस्थान)	"महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	₹ 24,840/-
17.	मॉडर्न शिक्षा विकास समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	"पीतल उद्योग में कार्य कर रहे मजदूर : स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की संभावना" विषय पर आयोजित एक–दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	₹ 30,000/-
18.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ वेल्फेयर, शिवाजी नगर, नागपुर	"घरेलू और लिंग–आधारित हिंसा" विषय पर गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला का आयोजन	₹ 30,000/-
19.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन सोशियो–इकोनमिक एक्टिविटी, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	सुंदरगढ़ जिले में जनजातीय महिला काश्तकारों के उत्पीड़न के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
20.	जागरूक महिला संस्थान 'परचम', सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	"बालिका भ्रूण हत्या विषय" पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
21.	श्री सागस महाराजा शिक्षण एवं सामाजिक विकास समिति, विकास नगर, नीमच, मध्य प्रदेश	"बनछारा समुदाय में विद्यमान सामाजिक बुराइयां: विचार–विमर्श एवं समाधान" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
22.	लक्ष्मी महिला एवं सामाजिक विकास समिति, कल्याण भवन, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	"शराब का सेवन और घरेलू हिंसा" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
23.	एजूकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट सोसाइटी, 2/77, मेधाकोइल स्ट्रीट, शांगाऊ (गांव), विल्लापुरा, तमिलनाडु	"बाल विवाह और इसके प्रभाव" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
24.	सेवा संघ, कंतलफुल्ली, पोस्ट ऑफिस काखना, ब्लॉक फाल्टा, जिला चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल	"पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-
25.	सांत्वनम सोशल सर्विस एजूकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, चेम्बरामाहे, पांडिचेरी	"महिला सशक्तीकरण" पर सम्मेलन	₹ 30,000/-
26.	लीविंग वाटर फॉर डाइंग सोल्स इन इंडिया, क्रिश्चियन चेरिटेबल ट्रस्ट, द्वारकापुरी, नई दिल्ली	"नई दिल्ली के झुग्गी–झोपड़ी इलाकों में बालिका भ्रूण हत्या" के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 45,500/-
27.	अखिल मानव सेवा परिषद्, नई दिल्ली	"बालिका शिशु को महत्त्व देना – लिंग चयनात्मक गर्भपात" विषय पर दो–दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन	₹ 46,500/-
28.	नव राजीव फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान	"महिला सशक्तीकरण – बाडमेर, राजस्थान में महिलाओं को आजीविका के धारणीय साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना" विषय पर कार्यशाला का आयोजन	₹ 60,000/-
29.	नेताजी मेमोरियल क्लब, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	"केंद्रपाड़ा, जिला उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 30,000/-

अनुलग्नक–VIII

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	संजीवनी सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान)	"दलित महिला" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 30,000/-
2.	श्री महाराणा प्रताप शिक्षा विकास समिति (उत्तर प्रदेश)	"ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और आजीविका विकास" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 30,000/-
3.	अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जयपुर (राजस्थान)	"ग्रामीण महिलाओं पर अत्याचार" विषय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम	₹ 60,000/-

अनुलग्नक–IX

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य/क्षेत्र स्तर/राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

राज्य स्तर के सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	राजनीति विज्ञान विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम)	"पूर्वोत्तर भारत में लैंगिक विषमता, शांति और संघर्ष से संबंधित समस्याएं" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
2.	जागृति जन कल्याण समिति (बिहार)	"भारत में घटते लिंग अनुपात (बालिका भ्रूण हत्या के कारण)" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
3.	सर्वोदय समग्र विकास एवं संचार संस्थान, बांसवाड़ा (राजस्थान)	"बांसवाडा जिले में भ्रूण के लिंग चयन/ लिंग निर्धारण की समस्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
4.	पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्डीज इन रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	"मातृ स्वास्थ्य सेवाएं : भारत में एक चुनौती" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
5.	मणिपुर राज्य महिला आयोग (मणिपुर)	"मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन	₹ 1,00,000/-
6.	जन कल्याण युवक संघ, जिला बोलंगीर (उड़ीसा)	"ईंट के भट्ठों और भवन निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की समस्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 91,800/-
7.	प्रधानाचार्य का कार्यालय, एम पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	"स्वयंसेवा समूह के माध्यम से महिला सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
8.	न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी, असम	"असम में महिलाओं और बालिकाओं को भगा ले जाने" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
9.	उत्थान शोध संस्थान, गोविंद नगर, उदयपुर (राजस्थान)	"दक्षिण राजस्थान में स्व–शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं में क्षमता सृजन हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
10.	सहारा समाजसेवी संस्था, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)	"थियोग, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं में उनके अधिकारों और संबंधित नीतियों के बारे में जागरूकता" विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
11.	सेंटर फॉर वूमेन स्ट्डीज, डिब्रूगढ़, विश्वविद्यालय (असम)	"महिलाओं के मानवाधिकार : पूर्वोत्तर का संदर्भ" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
12.	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड, पटना (बिहार)	"राजनीति में महिलाओं की भूमिका" विषय पर पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
13.	द्रोपदी ट्रस्ट, नई दिल्ली	"लैंगिक समानता और संवेदीकरण हेतु जनसंचार के साधनों और विभिन्न संचार माध्यमों के अग्रसक्रिय और प्रभावी उपयोग संबंधी नीति" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
14.	मैत्री, जे–92, एआरडी कंम्पलेक्स, आरके पुरम, नई दिल्ली	"घरेलू हिंसा और परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण पर इसका प्रभाव" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
15.	न्यू मिलेनियम इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नई दिल्ली	"अंबाला में दुर्व्यापार की शिकार घरेलू महिलाएं" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
16.	ऑल इंडिया कोणार्क एजूकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, नई दिल्ली	"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
17.	ग्रामीण विकास समिति, झज्जर (हरियाणा)	"एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
18.	वीएएमआईटी एजूकेशनल ट्रस्ट, शिमला (हिमाचल पद्रेश)	"पंचायती राज संस्थाओं, स्व–सेवा समूहों और सूक्ष्म ऋण स्कीमों में महिलाओं की भूमिका" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
19.	परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	"अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
20.	आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुंबई	"भारत में मातृ मृत्यु दर – इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और भारतीय संदर्भ में पूर्वानुमान" विषय पर एक वार्ता कार्यक्रम का आयोजन	₹ 1,00,000/-
21.	पुद्दुचेरी महिला आयोग, नतेशन नगर, पुद्दुचेरी	"परामर्श की कला" विषय पर सरकारी पालिटेक्निक शिक्षकों हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
22.	रूरल डेवलपमेंट एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर (राजस्थान)	"अजमेर, राजस्थान में महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए नीतियों और स्कीमों की समीक्षा" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
23.	अखण्ड, पी ओ सिद्धी आश्रम, अगरतला (त्रिपुरा)	"अगरतला, जिला पश्चिम त्रिपरा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उस पर रोक लगाने के लिए विद्यमान कानून" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
24.	संत राम वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सेवा समिति (उत्तर प्रदेश)	"महिला अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
25.	चौ. चरण सिंह ग्रामोद्योग संस्थान, हाथरस (उत्तर प्रदेश)	"घरेलू हिंसा अधिनियम – गांव मण्डल में महिलाओं का संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
26.	महिला जागृति समिति, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	"बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
27.	समाहर्तालय, सवाई माधोपुर (राजस्थान)	"बाल विवाह और महिला संरक्षण अधिनियम" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
28.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, मेघालय	"कानूनी अधिकार" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
29.	पुद्दुचेरी महिला आयोग, पुद्दुचेरी	"परामर्श की कला" विषय पर पुद्दुचेरी के विभिन्न सरकारी विभागों के कल्याण अधिकारियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
30.	मानव जागृति समिति, सी–8/293, यमुना विहार, दिल्ली	"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घटते लिंग अनुपात (बालिका भ्रूणहत्या के कारण)" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
31.	ह्युमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	"महिलाओं के साथ अपराध, उन्हें तंग करना, छेड़छाड़, यौन दुराचार और कानून" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
32.	एसबीएस फाउंडेशन, नई दिल्ली	"अनिवासी भारतीयों से विवाह के मामले में महिलाओं का उत्पीड़न से संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
33.	पूजा वेल्फेयर सोसाइटी, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	अभिनव थियेटर, जम्मू में "भारत में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर रोक लगाने में मीडिया की भूमिका" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
34.	एसपीईईएस, जमशेदपुर (झारखंड)	"जमशेदपुर, झारखंड में वन्य भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
35.	परिक्रमा महिला समिति, जबलपुर (मध्य प्रदेश)	"जनजातीय महिलाएं और राजनीति में उनकी भागीदारी" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
36.	पंकज बहु–उद्देश्यीय शिक्षण संस्थान, भंडारा (महाराष्ट्र)	"भंडारा जिला, महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संगठनों और पुलिस अधिकारियों को परामर्श प्रदान करने हेतु" सेमिनार	₹ 1,00,000/-
37.	श्री रोकेदेश्वर शिक्षण प्रसारक मण्डल, नांदेड – वाघला (महाराष्ट्र)	"बाल विवाह निषेध" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-
38.	जीजामाता बहु–उद्देश्यीय महिला मण्डल, सावरी, लातूर (महाराष्ट्र)	"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
39.	प्रिया, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	"जनजातीय जिलों में वन्य भूमि पर जनजातीय महिलाओं के अधिकार" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/-
40.	पुष्पांजलि कल्चरल एसोसिएशन, बोलंगीर (उड़ीसा)	बोलंगीर जिला, उड़ीसा में राज्य स्तरीय सेमिनार	₹ 1,00,000/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
41.	शिवचरण माथुर, उदयपुर (राजस्थान)	निर्वाचित महिला सरपंचों की "लैंगिक समानता और विकास" विषय पर सोच के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला	₹ 1,00,000/-
42.	पब्लिक वेल्फेयर सोसाइटी, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में एचआईवी/एड्स के संबंध में जागरूकता और निवारण	₹ 1,00,000/-
43.	श्री माता प्रसाद स्मारक सेवा संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में "घटता लिंग अनुपात, बालिका भ्रूणहत्या" विषय पर आयोजित सेमिनार	₹ 1,00,000/-
44.	महिला प्रबोधिनी फाउंडेशन, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	महाशक्ति महिला सम्मेलन के दौरान "महिला अधिकार और सशक्तीकरण" विषय पर आयोजित सेमिनार का आयोजन	₹ 1,00,000/-
45.	समाज सेवा समिति, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	"घटते लिंग अनुपात, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह और इसके दुष्परिणाम, हस्तशिल्प, कसीदाकारी में महिलाओं की दशा, हथकरघा बुनाई क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका" विषय पर सेमिनार	₹ 1,00,000/- प्रत्येक

क्षेत्र स्तरीय सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	नोबल सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में "गर्भधारण–पूर्व ओर प्रसव–पूर्व नेदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन और कार्यकरण" विषय पर क्षेत्रीय सेमिनार	₹ 2,00,000/-
2.	राजनीति विज्ञान विभाग, मगध महिला महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)	"महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और अत्याचार" विषय पर आयोजित दो–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार	₹ 2,00,000/-

राष्ट्र स्तरीय सेमिनार

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	अखिल भारत रचनात्मक समाज, गांधी आश्रम, नई दिल्ली	रजत जयंती समारोहों के दौरान महिला अधिकारों पर एक–दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन	₹ 3,00,000/-
2.	अकादमी ऑफ ग्रासरूट स्ट्डीज एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	भारत में आधार स्तरीय आयोजना और स्थानीय प्रशासनिक संस्था : वर्ष 1992 के बाद से की गई नीतिगत पहलें और लोगों की भागीदारी	₹ 3,00,000/-
3.	विधि संकाय, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल (जम्मू एवं कश्मीर)	तीन–दिवसीय अखिल भारतीय अपराधविज्ञान सम्मेलन	₹ 3,00,000/-
4.	ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नई दिल्ली	"महिला, पर्यावरण शिक्षा और जलवायु परिवर्तन" विषय पर राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन	₹ 3,00,000/-
5.	यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, उदयपुर (राजस्थान)	"लैंगिक असमानता और कार्य की बदलती दशाएं तथा स्वास्थ्य" विषय पर सम्मेलन	₹ 3,00,000/-

अनुलग्नक–X

उन गैर–सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2009–10 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
1.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	पूर्वी उत्तर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों की दशा पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 3,05,000/-
2.	सुश्री प्रियंका भारद्वाज, 1–3/100, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली–110079	हिमाचल प्रदेश में अकेली रह रही महिलाओं की स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,60,400/-
3.	ग्लोबल स्टडी सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी, 303, अखिल अपार्टमेंट्स, आईएस महल थियेटर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या तथा महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों पर इसका प्रभाव	₹ 1,56,450/-
4.	शक्तिवाहिनी, एच–11, द्वितीय तल, हडसन लाइंस, किंग्सवे कैम्प, नई दिल्ली	हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,07,375/-
5.	डॉ. डेजी बोरा तालुकदार, निदेशक, सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़–786004, असम	प्राकृतिक और विकास प्रेरित विस्थापन के विशेष संदर्भ में महिलाओं पर विस्थापन का प्रभावः असम के डिब्रूगढ़ जिले के संबंध में एक अनुसंधान अध्ययन आयोजित करना	₹ 2,35,200/-
6.	प्रो. विजयलक्ष्मी चौहान, निदेशक, यूजीसी सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज, एमएल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	"उदयपुर और चित्तौडगढ़ प्रमंडल में लिंग–आधारित भेद–भाव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,13,000/-
7.	ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर पीस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 2, शिवम अपार्टमेंट, दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के जरिए आपदा से निपटने के संबंध में तैयारी में महिलाओं की भूमिका" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 5,35,000/-
8.	श्रीमती एस के मारक, अध्यक्षा, मेघालय राज्य महिला आयोग, लोअर लाचुमियर, शिलांग, मेघालय	"मेघालय में महिलाओं के साथ अपराध" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 3.05,550/-
9.	श्रीमती पूनम, सचिव, नव राजीव गांधी फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर सोसाइटी, 25, श्याम विहार, चौरदिया पेट्रोल पंप के पीछे, सांगानेर, राजस्थान–302029	"राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में घटते लिंग अनुपात" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,99,500/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
10.	फादर ए पैथ्रोस, अध्यक्ष, रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, नंबर 1128ए, प्रथम तल, पहली गली, तेंड्रल नगर, वेंगिक्कल, तिरुवन्नामलाई–606604, तमिलनाडु	तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में "बालिका भ्रूणहत्या (घटते लिंग अनुपात का कारण)" विषय पर आयोजित किए जाने वाला अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,97,150/-
11.	अरावली इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, 297, टैगोर नगर, यशोधा पथ, अजमेर रोड, जयपुर–302024, राजस्थान	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और राजस्थान राज्य में ग्रामीण महिलाओं पर इसके प्रभाव विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,71,150/-
12.	सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, नई दिल्ली	"कोख किराये पर देना – नैतिक या वाणिज्यिक" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,52,790/-
13.	सुश्री शिवानी भारद्वाज, कार्यक्रम निदेशक, साथी ऑल फॉर पार्टनरशिप्स, मयूर विहार, फेज 1, नई दिल्ली	"संसाधनों में समानता के सिद्धांत को लागू करने में लैंगिक आधार पर भेदभाव" विषय पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 5,51,250/-
14.	एहसास फाउंडेशन, नई दिल्ली	राजस्थान में हस्तशिल्प और विशेषकर कसीदाकारी, वस्त्रनिर्माण, बांधनू साड़ी की रंगाई के कार्य में लगी महिलाओं की स्थिति और उनके काम की दशाओं के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,29,950/-
15.	एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, नई दिल्ली	भारतीय किसानों द्वारा आत्महत्याः ग्रामीण महिलाओं पर विपत्ति, अकिंचन, वैधव्य और सरकारी राहत तथा पैकेजों के प्रभाव से संबंधित अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,37,300/-
16.	दॅ रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट, रोहतक, हरियाणा	हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में पंचायतों में काम कर रही महिलाओं पर अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,98,450/-
17.	डॉ. एल एन दधीच, उदयपुर, राजस्थान	दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,35,200/-
18.	लोक सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	झारखंड और मध्य प्रदेश में महिला विभाग द्वारा निर्मित स्व–सहायता समूहों के जरिए जनजातीय महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,33,100/-

क्र सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम और पता	विषय	संस्वीकृत राशि
19.	रूरल एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान	सवाई माधोपुर में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी और निर्णयन की प्रक्रिया में समान भूमिका के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 1,93,200/-
20.	शिवचरण माथुर, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान में महिला काश्तकारों की भूमिका और उनकी स्थिति के संबंध में अनुसंधान अध्ययन	₹ 2,57,250/-

अनुलग्नक–XI

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन

प्रस्तावना

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में और आगे संशोधन करना।

इसे भारतीय गणराज्य के 61वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नवत अधिनियमित किया जाए:

(1) इस अधिनियम को स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाए।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में किया जाए।

1 : संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः

परिभाषाएं:

(i) धारा 2(क) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
2 (क)	धारा 2(क) **"विज्ञापन"** में कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है।	**धारा 2 (क)** **"विज्ञापन"** में किसी माल, सेवा, स्थान, व्यक्ति के व्यय आदि के संबंध में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है और इसमें प्रकाश, जिसमें लेजर प्रकाश शामिल है, ध्वनि, धुआं, गैस, फाइबर आप्टिक, इलेक्ट्रानिक रूप या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करके किया गया कोई भी दृश्य रूपण भी शामिल है। **स्पष्टीकरणः "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का आशय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(द) में यथापरिभाषित रूप से है।**	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(ii) धारा 2(ग) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 2(ग)	"वितरण" में नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण शामिल हैं।	**धारा 2(ग)** **"वितरण"** का आशय वितरण हेतु प्रयुक्त सभी प्रकार की विधियों से है और इसमें नमूनों के रूप में, चाहे निःशुल्क या अन्यथा किए गए वितरण और वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने जैसी विधियों द्वारा उन तक जनसाधारण की पहुंच उपलब्ध कराना शामिल हैं।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(iii) धारा 2(घ) में संशोधन

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 2(घ)	(ग) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार प्रदर्शित करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	धारा 2(घ) "स्त्री अशिष्ट रूपण" का अर्थ है – (i) महिला का यौन उपभोग की एक वस्तु के रूप में किसी भी प्रकार का **प्रदर्शन, प्रकाशन, संचारण** या जो कामोत्तेजक हो अथवा कामुकता को बढ़ावा देता हो; या (ii) महिला की आकृति, उसके शरीर की बनावट या उसके शरीर के किसी भी भाग का **किसी भी प्रकार से इस प्रकार प्रदर्शन, प्रकाशन, संचारण** करना कि उससे अशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता हो या जिससे महिला अपमानित या निंदित होती हो या जिसके कारण सार्वजनिक नैतिकता या आचरण के भ्रष्ट, दूषित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र और इसकी अनुप्रयोज्यता को विस्तृत करना

(iv) प्रस्तावित नई परिभाषा

धारा 2: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
प्रस्तावित नई परिभाषा	—	धारा 2(ज) "प्रकाशन" का आशय है– तैयार करना, मुद्रित करना या किसी भी व्यक्ति को किसी पुस्तक, समाचारपत्र, पत्रिकाओं, पोस्टरों, ग्रैफिटो या आवधिक पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए वितरण करना या श्रव्य–दृश्य माध्यम जिनमें केबल, कंप्यूटर, ब्राडबैंड उपग्रह ट्रांसमिशन या किसी भी अन्य प्रकार की मुद्रित सामग्री शामिल है, का वितरण करना जिससे आम जनता में उनकी प्रतियां बांटकर या उस संबंध में किसी भी प्रकार से सूचना पहुंचाई जाती हो।	—

(iv) धारा 3 में संशोधन

धारा 3: परिभाषाएं	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 3	**धारा 3** **महिलाओं के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का किसी भी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, को प्रकाशित नहीं करेगा, या प्रकाशित करने के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा।	**धारा 3** **महिलाओं के अशिष्ट या अपमानजनक रूपण से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध** कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं का **इलेक्ट्रनिक माध्यम द्वारा या किसी भी रूप में** अशिष्ट या अपमानजनक रूपण किया गया हो, को **प्रकाशित या प्रेषित नहीं करेगा, या प्रकाशित या प्रेषित करने** के लिए कारण नहीं बनेगा, या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन हेतु व्यवस्था नहीं करेगा या ऐसी व्यवस्था में भागीदारी नहीं लेगा।	—

(v) धारा 4 में संशोधन

धारा 4	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध **अध्याय II: परिभाषाएं**	औचित्य
धारा 4	**महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त पुस्तकों, पैम्फलेटों, आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर निषेध** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्मलेख, चित्र, आरेख, फोटो चित्र या आकृति को तैयार नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक से परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा।	**धारा 4 : महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त सामग्रियों के प्रकाशन, प्रेषण या वितरण का निषेध –** कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से महिलाओं के अशिष्ट रूपण से युक्त किसी सामग्री को तैयार नहीं करेगा, उसका प्रकाशन, प्रेषण नहीं करेगा या उसे तैयार करने, विक्रय करने, किराए पर देने, वितरण करने, डाक या **इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य साधन द्वारा** परिचालित करने या भेजने के लिए निमित्त अथवा साधन नहीं बनेगा। स्पष्टीकरण : सामग्री का आशय है कोई पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, लेख, आरेख, चित्र, फोटो आदि।	अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार "किसी अन्य साधन द्वारा" शब्दों का समावेश।

(vi) धारा 6 में संशोधन

धारा 6	वर्तमान उपबंध	प्रस्तावित उपबंध	औचित्य
—	**शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो वर्षों तक के कारावास का दंड और दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो दोषसिद्ध होने पर उसे कम से कम छह माह के कारावास की सजा जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम दस हजार रुपये तक का जुर्माना, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दंडित किया जा सकता है।	**शास्ति** – कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उसे दो माह जिसे **तीन वर्षों** तक बढ़ाया जा सकता है, तक के कारावास का दंड और **पचास हजार रुपए** तक का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और यदि वह इन उपबंधों का दूसरी बार या उसके पश्चात भी उल्लंघन करता हो तो दोषसिद्ध होने पर उसे कम से कम छह माह के कारावास की सजा जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम **पचास हजार रुपये** तक का जुर्माना, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता, द्वारा दंडित किया जा सकता है।	—

नई धारा – व्यावृत्ति : उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुलग्नक–XII

घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010

विधेयक का यथाप्रस्तावित प्रारूप निम्नवत है:

अध्याय एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ**

(क) इस अधिनियम को **घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010** कहा जाए।

(ख) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरे भारत पर लागू होगा।

(ग) यह अधिनियम ऐसी घरेलू कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो रोजगार हेतु किसी अन्य देश में प्रवास कर गई हों।

यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसका उल्लेख केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में की गई अधिसूचना में किया जाए।

2. **परिभाषाएं:** इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) **"उपयुक्त सरकार"** का आशय संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है।

(ख) **"लाभभोगी"** का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी से है।

(ग) **"बालिका"** का आशय उससे है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(घ) **"केंद्रीय सलाहकार समिति"** का आशय इस अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति से है।

(ड.) **"जिला बोर्ड"** का आशय इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के लिए स्थापित जिला बोर्ड से है।

(च) **"घरेलू कर्मचारी"** का आशय ऐसी महिला से है जो घरेलू या उससे सम्बद्ध कार्यों को करने के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर अस्थायी या **संविदा** आधार पर या स्थायी तौर पर किसी एजेंसी के माध्यम से या सीधे संपर्क करके किसी घर या इस प्रकार की "किसी अन्य स्थापना" में नकद भुगतान या किसी वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए रोजगार में लगी हो और इसमें **"प्रतिस्थापित कर्मचारी" जो मुख्य कर्मचारी के साथ की गई सहमति के अनुसार किसी अल्पकालिक अवधि या किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान मुख्य कर्मचारी के स्थान पर एवजी के रूप में कार्य कर रही हो,** शामिल है।

स्पष्टीकरण: घरेलू और संबद्ध कार्यों में भोजन पकाना या इससे संबंधित कोई कार्य करना, कपड़े या बर्तन साफ करना, घर की साफ–सफाई या झाड़ू–पोछा करना, वाहन चलाना, बच्चों/बीमारों/वृद्ध व्यक्तियों, मानसिक रूप

से विकल व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों की देखभाल करना/ उनकी सुश्रुषा करना जैसे कार्य शामिल हैं किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(छ) **"घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि"** का आशय अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सृजित निधि से है।

(ज) "नियोजक" का आशय ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, प्रबंधन से है जो घरेलू कर्मचारी को घर के भीतर अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से काम पर रखता है और जिसका घर के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हो और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे परिवार से संबंधित मामले सौंपे जाते हों तथा संविदा श्रमिक के संबंध में प्रमुख नियोजक भी इसकी परिधि में शामिल है।

(झ) **"अधिसूचना"** का आशय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(ट) **"सेवा प्रदाता"** का आशय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक एसोसिएशन या कंपनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी से है जो घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करता है और/ या घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता है या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का एसोसिएशन या स्थापन एजेंसी शामिल है जो पंजीकृत हो अथवा नहीं हो किंतु जिसके माध्यम से ऐसी कोई कर्मचारी मुख्य नियोजक के साथ घरेलू कार्य में लगाई गई हो।

व्याख्याः "स्थापन एजेंसी" का आशय ऐसी किसी भी एजेंसी/ब्यूरो/व्यक्तियों का संविदाकार या एसोसिएशन या संगठन से है जो पंजीकृत हो या नहीं हो किंतु घरेलू कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करता हो या घरेलू कर्मचारियों को रोजगार पर लगाता हो और जो भावी नियोजकों के लिए घरेलू कर्मचारियों के स्थापन में सहायता करता हो और इसमें ऐसी एजेंसी या व्यक्ति शामिल हैं जो किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या समाचार के किसी अन्य साधन के जरिए ऐसी सेवाओं की पेशकश करता हो।

(ठ) **"राज्य बोर्ड"** का आशय घरेलू कर्मचारियों के लिए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गठित राज्य परामर्शदात्री समिति से है।

(ड) **"कार्यस्थल"** का आशय ऐसे किसी घर से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

व्याख्याः घर का आशय ऐसे किसी भी आवासीय स्थान से है जहां घरेलू कर्मचारी कार्य करती हो।

(च) "मजदूरी" का आशय ऐसे सभी पारिश्रमिकों से है जिनका धन के रूप में उल्लेख किया गया हो या जिनका रोजगार की संविदा में उल्लिखित या निहित शर्तों के अनुपालन पर घरेलू कर्मचारी को उसके कार्य के एवज में भुगतान किया जाए किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

(i) निवास हेतु उपलब्ध कराया गया आवासीय स्थान, बिजली, पानी, चिकित्सीय सुविधा या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराई गई कोई सुविधा या मजदूरी का मूल्य।

(ii) नियोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य स्कीम या सामाजिक बीमा के लिए भुगतान की गई कोई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की राशि।

(iii) किसी यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य।

(iv) घरेलू कर्मचारी को उसके रोजगार की प्रकृति के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले विशेष व्यय को पूरा करने के लिए उसे प्रदत्त कोई राशि।

3. यह अधिनियम अन्य कानूनों या अधिनियमों पर न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करता

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, और उन पर कोई भी न्यूनकारी प्रभाव आरोपित नहीं करेंगे।

अध्याय दो
अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी

4. केंद्रीय सलाहकार समिति

(1) केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसे **केंद्रीय सलाहकार समिति** कहा जाएगा (जिसे इसके पश्चात केंद्रीय समिति कहा गया है)।

(2) केंद्रीय समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

(क) अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत संख्या में सदस्य जिनमें घरेलू कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध एसोसिएशन, यूनियन या व्यक्ति, श्रम मामलों से संबंधित समस्याओं, महिला एवं बाल विषयक समस्याओं, विधि और केंद्र सरकार की राय में ऐसा कोई भी मामला जिस संबंध में केंद्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, के क्षेत्र में अनुभवप्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे।

परंतु यह भी कि समिति में अध्यक्ष को छोड़कर, कम से कम पांच सदस्य सम्मिलित होंगे।

(1) उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, समिति में पदाधिकारियों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई गई कार्यविधि और रिक्तियों को भरने के तरीके निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

5. केंद्रीय समिति के कार्य

केंद्रीय समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगीः

(क) अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा और उसका मानीटरन करना तथा उक्त अधिनियम और नियमों में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

(ख) राज्यों में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा और मॉनीटरन;

(ग) राज्य बोर्डों को घरेलू कर्मचारियों के लाभ और कल्याण हेतु स्कीमों जैसेकि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य लाभकारी स्कीमों के संबंध में सलाह देना;

(घ) घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों के किसी विशिष्ट वर्ग को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देना और विभिन्न बोर्डों के कार्य का समन्वयन और मानीटरन;

(ड.) राज्य बोर्डों से परामर्श करके कार्य की समुचित दशाओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;

(च) किसी भी प्रकार के दुर्व्यापार/बेगारी/बंधुआ श्रम और 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के मामले में बाल श्रम के निराकरण हेतु उचित कार्यनीतियों के संबंध में सिफारिश करना;

(छ) केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य कोई भी मामला।

6. राज्य सलाहकार समिति

(1) राज्य सरकार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों को इस अधिनियम को लागू किए जाने के कारण उत्पन्न मामलों या इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी स्कीम या इस अधिनियम के उपबंधों को लागू किए जाने के संबंध में सलाह देने के लिए या विभिन्न बोर्डों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकार द्वारा सलाह हेतु संदर्भित मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इनकी संख्या उतनी होगी और इनका चयन उस प्रकार से किया जाएगा जैसाकि विहित किया जाएः

यह भी कि, इस सलाहकार समिति में नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या इसके सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) सलाहकार समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य होगा जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में इस सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।

(5) सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

(6) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) सलाहकार समिति के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

7. राज्य सलाहकार समिति के कार्य

राज्य बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेंगे:

(क) बोर्ड/राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी मामले के लिए, और सामान्यतः ऐसे सभी मामलों के लिए जिसके लिए उपबंध दिए गए हैं, विनियम बनाकर जो इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित किए गए नियमों से संगत विनियम होंगे, जिन्हें बोर्ड की राय में इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कार्यों के निर्वहन में आवश्यक समझा जाए।

(ख) राज्य के लिए गठित किए गए जिला बोर्ड के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करना तथा इसके उचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाना।

(ग) जिला बोर्ड को निधियां आबंटित करना तथा घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि का संचालन करना और जिला बोर्डों को आवश्यक समझे जाने वाली राशि का आबंटन करना।

(घ) नियोजकों, सेवा प्रदाताओं/स्थापन एजेंसियों तथा घरेलू कर्मचारियों से लिए जाने वाले शुल्क को समय–समय पर निर्धारित करना।

(ड.) इस निधि के लाभभोगियों के लिए निधि के अंतर्गत लाभभोगियों के रूप में पंजीकरण हेतु शुल्क और प्रति माह दर को निर्धारित करना।

(च) केंद्र सरकार के परामर्श से तैयार की गई स्कीमों और कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करना।

(छ) निधि के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर की किस्म निर्धारित करना।

(ज) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।

(झ) जिला बोर्ड द्वारा किसी भी निर्णय के संबंध में की गई अपीलों पर कार्रवाई करना।

(ञ) पारिश्रमिक की दरों, कार्य के घंटों और कार्य की दशाओं सहित सेवा की समुचित दशाएं सुनिश्चित करना।

(ट) यथानिर्धारित अन्य कोई भी कार्य।

8. जिला बोर्ड

(1) राज्य सरकार जिले में घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्कीमों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित संख्या में "जिला घरेलू श्रमिक कल्याण बोर्ड" नामक बोर्डों का गठन करेगी:

यह भी कि, राज्य सरकार ऐसे बोर्डों का गठन दो या दो से अधिक जिलों के लिए कर सकती है;

यह और भी कि, राज्य सरकार इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा किसी जिले के लिए एक से अधिक बोर्ड का गठन भी कर सकती है और उन बोर्डों के क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकती है या श्रम संबंधी मामलों से संबंधित किसी अन्य कानून के अंतर्गत पहले से मौजूद किसी बोर्ड को प्राधिकृत कर सकती है।

(2) इस बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मनोनीत किए गए सदस्य सम्मिलित होंगे जो नियोजकों, घरेलू कर्मचारियों और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(3) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(4) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया एक सदस्य होगा जिसे इसके लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को मनोनीत कर देने के पश्चात राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बोर्ड के सभी सदस्यों के नामों का प्रकाशन करेगी।

(6) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

(7) बोर्ड के सदस्य (जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड की निधि से निर्धारित की गई दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

(8) बोर्ड की बैठकों का आयोजन और उन बैठकों में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि उसके पूरक या प्रासंगिक सभी मामलों के लिए विनियम द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

9. सदस्य को अयोग्य ठहराना और उसे हटाना

(1) किसी भी ऐसे व्यक्ति का बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन नहीं किया जाएगा या उसे इस पद पर बने रहने नहीं दिया जाएगा जो–

(क) बोर्ड का एक वेतनभोगी अधिकारी हो;

(ख) वर्तमान में या पहले किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ग) विक्षिप्त हो या अस्वस्थ मानसिक स्थिति का हो; या

(घ) ऐसा अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो, के लिए दोषसिद्ध हो या पहले कभी दोषसिद्ध किया गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो–

(क) उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी भी कारण से अयोग्य हो या उल्लिखित किसी भी अयोग्यता उस पर लागू होती हो; या

(ख) बोर्ड की तीन से अधिक क्रमागत बैठकों में बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना अनुपस्थित हो;

(ग) सरकार की राय में, सदस्य के पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उस व्यक्ति को पद पर बने रहने देना जनहित में हानिकारक हो या ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने देना अनुपयुक्त हो;

यह भी कि, किसी भी व्यक्ति को खंड (ग) के अंतर्गत उसके पद से हटाया नहीं जा सकता यदि उस व्यक्ति को उसे उसके पद से हटाने के संबंध में कारण बताने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद सदस्य राज्य सरकार के पर्सादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और यदि राज्य सरकार की राय में:–

(क) नियोजकों और घरेलू कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य नियोजकों या, जैसी भी स्थिति हो, घरेलू कर्मचारियों का पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना बंद कर देते हों, या

(ख) राज्य सरकार में परिस्थितियों या सेवाओं की अपरिहार्यता के दृष्टिगत, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकता,

तो यह, एक आदेश जारी करके, उनमें से सभी को या किसी भी एक को किसी भी समय उनके पद से हटा सकती है।

10. सदस्य द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देना:

बोर्ड का कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और राज्य सरकार द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने पर बोर्ड में उस सदस्य का पद रिक्त हो जाएगा।

11. सही और वैध समझी जाने वाली कार्यवाही:

बोर्ड की किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर केवल इस आधार पर कि उसमें किसी सदस्य का पद रिक्त है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है, कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता या उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।

12. बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारी:

(1) बोर्ड इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुमोदन से एक सचिव और उन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें इसके द्वारा अपने कार्यों के प्रभावी रूप में निर्वहन हेतु आवश्यक समझा जाए।

(2) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, उनका कार्यकाल और नियुक्ति संबंधी शर्तें तथा उन्हें देय वेतन और भत्ते समय–समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

13. बोर्ड के कार्य:

जिला बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) बोर्ड या तो सीधे या कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार घरेलू कर्मचारियों और नियोजकों तथा सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण करेगा या उसके हेतु

निमित्त बनेगा तथा अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में परिभाषित घरेलू कर्मचारियों के पंजीकरण का अधिकार रखेगा;

(ख) लाभभोगियों को निम्नलिखित लाभ मंजूर करना, जिसके वे अधिनियम के अंतर्गत पात्र हैं:

(i) किसी भी लाभभोगी को दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करना;

(ii) लाभभोगी के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(iii) लाभभोगी या उसके किसी आश्रित की रोगग्रस्तता की स्थिति में उपचार हेतु चिकित्सीय व्यय का प्रावधान करना;

(iv) महिला लाभभोगियों के लिए मातृत्व लाभों का प्रावधान करना:

परंतु, उसे प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभ उसकी केवल दो संतानों तक ही प्रतिबंधित होंगे;

(v) लाभभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसके दाह संस्कार पर होने वाले व्यय का भुगतान करना;

(vi) विवादों का बातचीत के जरिए समाधान के प्रयास करना;

(vii) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करना;

(viii) लाभभोगियों को पहचानपत्र जारी करना;

(ix) कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के संबंध में जानकारी का प्रचार–प्रसार करना;

(x) अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए अधिदेश के अनुसार कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) को कर्मचारियों और अन्यों से अंशदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बिचौलिए के रूप में कार्य करने के लिए और प्राप्त राशि को जिला बोर्ड में जमा कराने के लिए प्राधिकार प्रदान करना;

(xi) घरेलू कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें कार्यकुशल बनाना;

(xii) राज्य बोर्डों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्मित की गई किसी भी स्कीम या कल्याणकारी उपायों को लागू करना;

(xiii) बोर्ड द्वारा समय–समय पर यथानिर्मित सभी लाभों का निष्पादन करना।

(ग) जिला बोर्ड राज्य बोर्ड से परामर्श करके अन्य कानूनों जैसेकि असंगठित क्षेत्र अधिनियम, 2009 के अंतर्गत यथाप्रयोज्य स्कीमें लागू करेगा;

(घ) कर्मचारियों का पंजीकरण सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों में, जहां आवश्यक समझा जाए, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को या एक से अधिक को नामोद्दिष्ट करना:

(i) स्थानीय पंचायती राज संस्था या शहरी स्थानीय निकाय

(ii) निवासी कल्याण एसोसिएशन/सोसाइटी

(iii) घरेलू कर्मचारियों द्वारा गठित उनके कल्याणार्थ काम करने वाले ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना न हो

यह और भी कि, कर्मचारी सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी) जिला बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(ड.) बोर्ड ऐसे रजिस्टरों और रिकार्डों का रखरखाव करेगा जिनमें नियोजित घरेलू कर्मचारियों, घरेलू कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और ऐसे विवरणों का उल्लेख होगा जिनका समय–समय पर उल्लेख किया जाए;

(च) बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व–अनुमोदन से किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी कल्याण स्कीम को क्रियान्वित कर सकता है।

14. जिला बोर्ड की शक्तियां:

(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्मित किसी भी नियम/नियमों के अध्यधीन बोर्ड, स्थानीय सीमाओं के भीतर–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी स्थान या परिसर में इस अधिनियम के उपबंधों का पालन किया जाता रहा है या किया जा रहा है, आवश्यक समझे जाने वाली जांच या पूछताछ करना;

(ख) कोई दस्तावेज़, रिकार्ड या साक्ष्य (लिखित या मौखिक) प्रस्तुत करने के लिए कहना;

(ग) यदि इस संबंध में संदेह करने का उपयुक्त आधार हो कि किसी स्थान या परिसर में किसी घरेलू कर्मचारी का किसी भी प्रकार का यौन शोषण किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा उसे गलत रूप से निरुद्ध करके रखा गया हो या घरेलू कर्मचारी के रूप में किसी बाल श्रमिक (बालिका) को नियुक्त किया गया हो, तो संबंधित कर्मचारी का उद्धार करने के लिए संबंधित स्थान या परिसर में किसी भी समय आवश्यक समझे जाने वाली सहायता के साथ प्रवेश करना।

(2) प्रत्येक नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपयुक्त सुवधिाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(3) प्रत्येक जिला बोर्ड किसी ऐसे विवाद का अधिनिर्णय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल न्यायालयों में निहित समान शक्तियों का उपभोग करेगा, जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित हों, अर्थातः–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और उसे शपथ दिलाकर उसकी जांच करने;

(ख) दस्तावेज़ों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने;

(ग) साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रवर्तन आदेश जारी करने;

(घ) यथानिर्धारित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करने।

अध्याय तीन
पंजीकरण प्रक्रिया

15. पंजीकरण

(क) तत्सयम प्रवृत्त किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सभी घरेलू कर्मचारियों, नियोजकों या सेवा प्रदाताओं का यहां नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण किया जाएगाः

(ख) प्रत्येक नियोजक/सेवा प्रदाता और घरेलू कर्मचारी, जो भी लागू हो, द्वारा घरेलू कार्य हेतु घरेलू कर्मचारियों का रोज़गार आरंभ होने के एक माह के भीतर, जिला बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को निर्धारित किए गए अनुसार ब्योरे उपलब्ध कराते हुए निर्धारित पंजीकरण शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई व्यक्ति इस संबंध में निर्धारित की गई अवधि की समाप्ति के पश्चात पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि आवेदक द्वारा समय से आवेदन न कर पाने के संबंध में उपयुक्त कारण हैं।

(ग) यदि घरेलू कर्मचारी दो या दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर कार्य करती हो और उसे किसी स्थापन एजेंसी द्वारा रोजगार में नहीं लगाया गया है तो उस घरेलू कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला बोर्ड में अपना पंजीकरण कराए। यह और भी कि यदि ऐसे कर्मचारी को किसी एजेंसी के माध्यम से काम पर लगाया गया हो और वह एक से अधिक घरों में कार्य करती हो तो ऐसे कर्मचारी का पंजीकरण कराना उस एजेंसी का कर्त्तव्य होगा।

(घ) यदि कोई घरेलू कर्मचारी किसी जिले में अपना काम छोड़कर, भारत की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी भाग में किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती है और वहां किसी घर में घरेलू कर्मचारी के रूप में या तो स्वयं या किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए के माध्यम से कार्य करने लगती है, तो ऐसे कर्मचारी या एजेंसी या बिचौलिए का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस बोर्ड को कर्मचारी के स्थानांतरण के बारे में सूचित करे जहां वह पहले से पंजीकृत थी और जिस स्थान पर उस कर्मचारी ने कार्य करना आरंभ किया है, वहां के बोर्ड में उसके पंजीकरण के संबंध में कार्रवाई करे।

(ड.) उपर्युक्त उपबंधों में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी घरेलू कर्मचारी को किसी बिचौलिए, किसी एजेंसी या सेवा प्रदाता के जरिए घर में काम पर लगाया गया हो, तो निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी ऐसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता की होगी न कि उस मुख्य नियोजक की, जिसके घर में वह कर्मचारी कार्य करता है।

16. पंजीकरण शुल्क

(क) यदि नियोजक किसी घरेलू कर्मचारी को पूर्णकालिक आधार पर काम पर रखता है तो ऐसे नियोजक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर विचार किए बिना कि घरेलू कर्मचारी उस रोजगार में कार्य करना जारी रखती है या नहीं अथवा दो से अधिक घरों में अंशकालिक आधार पर घरेलू कार्य का निष्पादन करती है, बोर्ड में उस

कर्मचारी का नाम निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पंजीकृत कराए जो इस संबंध में वार्षिक अभिदान का एक हिस्सा होगा।

(ख) यदि घरेलू कर्मचारी को किसी एजेंसी या बिचौलिए या सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य पर रखा जाता हो, तो ऐसी एजेंसी या बिचौलिए, जैसी स्थिति हो, का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निर्धारित शुल्क सहित पंजीकरण हेतु इन ब्योरों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए।

यह भी कि बोर्ड किसी सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो इस संबंध में अकाट्य कारणों का उल्लेख करते हुए ऐसे किसी सेवा प्रदाता को शुल्क के भुगतान से छूट दे सकता है।

17. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण

पंजीकरण प्रमाणपत्र का यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान करके एक वर्ष के अंतराल पर नवीकरण किया जाएगा।

18. किसी अवयस्क (महिला) को रोजगार पर रखना

किसी भी अवयस्क (महिला) को तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के अंतर्गत निषिद्ध ऐसे किसी भी प्रासंगिक या आनुषंगिक कार्य के लिए घरेलू कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय चार
निधि की स्थापना

19. घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि

(1) घरेलू कर्मचारी कल्याण निधि नामक एक निधि स्थापित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित राशियां जमा कराई जाएंगीः

(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निधि हेतु दिया गया कोई भी अनुदान;

(ख) लाभभोगियों से प्राप्त कोई राशि;

(ग) जिला बोर्ड को पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्कों के रूप में प्राप्त सभी राशि;

(घ) निधि में जमा राशि के निवेश से प्राप्त कोई भी आय;

(ड.) एकत्र की गई जुर्माने की राशियां;

(च) बोर्ड को किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य सभी राशियां;

(2) इस निधि का संचालन जिला बोर्ड द्वारा किया जाएगा और जिला बोर्ड द्वारा इस राशि का उपयोग घरेलू कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्यों और सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेषकर निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

(i) बोर्ड द्वारा निर्णय किए गए अनुसार घरेलू कर्मचारियों/लाभभोगियों के लाभ हेतु आवश्यक समझे जाने वाले कल्याणकारी उपायों या सुविधाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने;

(ii) घरेलू कर्मचारियों के कल्याण हेतु किसी सहायता या स्कीम जिसमें परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, शिक्षा, बीमा और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं, हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत करना;

अध्याय पांच
घरेलू कर्मचारियों का लाभभोगी के रूप में पंजीकरण

20. निधि के लाभभोगी

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक घरेलू कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा इस निधि से प्रदान किए गए लाभों की पात्र होगीः

ऐसी प्रत्येक घरेलू कर्मचारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किंतु 65 वर्ष की न हो और जो पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों तक की अवधि के दौरान किसी घरेलू कार्य में नियुक्त हो, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकरण की पात्र होगी;

(2) इस संबंध में बोर्ड में पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित किए गए प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा;

(3) उप–धारा (2) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज़ और शुल्क जमा कराए जाएंगे;

(4) यदि उप–धारा (2) के अंतर्गत बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है तो वह उस घरेलू कर्मचारी के नाम का इस अधिनियम के अंतर्गत **घरेलू कर्मचारी** के रूप में पंजीकरण कर लेगा;

परंतु पंजीकरण हेतु किए गए किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना और लिखित में कारण बताए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(5) उप–धारा (4) के अंतर्गत निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर, राज्य बोर्ड में अपील की जा सकती है और इस अपील पर राज्य बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा;

यह भी कि इस संबंध में राज्य बोर्ड 30 दिनों की कथित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर कार्यवाही कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि घरेलू कर्मचारी के पास समय से अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण है।

21. पहचान पत्र

(1) बोर्ड प्रत्येक लाभभोगी को एक पहचान पत्र जारी करेगा जिस पर उस लाभभोगी की फोटो लगी होगी और साथ ही उसे एक पासबुक भी देगा ताकि लाभभोगी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सके।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत जिस लाभभोगी को पहचान पत्र जारी किया गया है, वह किसी सरकारी अधिकारी या बोर्ड या किसी भी अन्य जांच प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगी।

22. पंजीकरण की समाप्ति

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों से घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्य न करने पर घरेलू कर्मचारी के रूप में उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा;

परंतु इस उप–धारा के अंतर्गत 90 दिन की अवधि का परिकलन करते समय किसी व्यक्तिगत क्षति अथवा दुर्घटना के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवधि शामिल नहीं की जाएगी।

(2) उप–धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए, यदि कोई महिला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से शीघ्र पहले निरंतर कम से कम 3 वर्षों तक लाभभोगी रही हो तो वह इस संबंध में निर्धारित किए गए अनुसार पेंशन सहित अन्य सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

23. घरेलू कर्मचारियों का रजिस्टर

जिला बोर्ड जिले में लाभभोगियों के रोजगार का ब्योरा दर्शाते हुए निर्धारित किए गए अनुसार रिकार्ड/रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

24. घरेलू कर्मचारियों द्वारा अंशदान

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत लाभभोगी के रूप में पंजीकृत घरेलू कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक विनिर्दिष्ट/विनिर्धारित की गई दर पर प्रति माह निधि में अंशदान करेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि लाभभोगी किसी वित्तीय कठिनाई के कारण अपना अंशदान करने में असमर्थ है तो वह अंशदान की राशि माफ कर सकता है जो एक बार में तीन माह से अधिक की अवधि से संबंधित नहीं होगा;

(2) लाभभोगी अपनी मासिक मजदूरी से निधि में अंशदान की राशि की कटौती करने और उसे 15 दिनों के भीतर बोर्ड में जमा कराने के लिए अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकती है।

25. अंशदान की अदायगी न किए जाने का प्रभाव

यदि कोई लाभभोगी एक ऐसी अवधि तक जो एक वर्ष से कम न हो, धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपने अंशदान की अदायगी नहीं करती हो तो वह लाभभोगी नहीं रहेगी;

परंतु यदि बोर्ड को इस बात का समाधान हो जाए कि अंशदान की अदायगी नहीं करने का कोई ठोस कारण था और यदि घरेलू कर्मचारी बकाया की राशि जमा कराने की इच्छुक हो तो वह घरेलू कर्मचारी को अंशदान की बकाया राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है और इस राशि को जमा कर दिए जाने पर घरेलू कर्मचारी का पंजीकरण पुनः बहाल हो जाएगा।

अध्याय छह
कार्य की दशाओं का विनियमन

26. नियोजक और सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य

(1) प्रत्येक नियोजक और सेवा प्रदाता सीधे या किसी एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए घरेलू कर्मचारियों से संबंधित विवरण निर्धारित किए गए शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में जिला बोर्ड और बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा;

(2) कोई भी सेवा प्रदाता या व्यक्ति/एजेंसी किसी भी नियोजक को घरेलू कर्मचारी उपलब्ध कराने का व्यवसाय नहीं करेगा यदि उक्त सेवा प्रदाता या एजेंसी या व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न हो;

(3) सेवा प्रदाता भारत के किसी भी भू–भाग से रोज़गार के प्रयोजनार्थ संपर्क करने वाले सभी घरेलू कर्मचारियों से संबंधित रिकार्ड रखेगा और निर्धारित किए गए प्रपत्र में इससे संबंधित ब्योरे उपलब्ध कराएगा;

(4) काम के घंटे – किसी भी कर्मचारी से किसी घर में एक दिन में नौ घंटों से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटों से अधिक समय तक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति दी जाएगी;
कार्य के घंटों का निर्धारण कार्य की प्रकृति के अनुसार और अधिकतम आठ घंटे को सीमा मानकर पूर्णकालिक कर्मचारियों के मामले में विश्राम और भोजन के लिए पर्याप्त समय का प्रावधान करते हुए; बशर्ते कि कार्य का समय कार्यस्थल पर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में 12 घंटे से अधिक न हो (कर्मचारी को कार्य की बीच 3–4 घंटे आराम के लिए मिल सकें) और इसी प्रकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने वाले और कार्यस्थल से बाहर निवास करने वाले कर्मचारियों के मामले में काम की अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए;

यह भी कि किसी वयस्क महिला कर्मचारी को ऐसे घर में इस धारा के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उसे कार्य के घंटे सप्ताह में 48 घंटों से अधिक होने पर समयोपरि मजदूरी दी जाए और समयोपरि कार्य किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह के दौरान कुल मिलाकर पचास घंटे से अधिक न हो;

(5) समयोपरि कार्य हेतु मजदूरी;

यदि किसी घर में काम पर रखी गई कर्मचारी से समयोपरि कार्य की अपेक्षा की जाती है तो उस समयोपरि कार्य के लिए वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूरी प्राप्त करने की पात्र होगी। समयोपरि दर का परिकलन जिस सप्ताह में समयोपरि कार्य किया गया है, उस सप्ताह से तत्काल पहले के सप्ताह के दौरान उस कर्मचारी द्वारा वास्तव में जिन कार्य दिवसों के दौरान कार्य किया गया है, उस दौरान अर्जित प्रति दिन की औसत आय की राशि के डेढ़ गुने के आधार पर किया जाएगा;

(6) कार्य के बीच विश्राम – किसी भी घर में कर्मचारियों के लिए कार्य की अवधि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कार्य की कोई भी अवधि एक बार में पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मचारी आधे घंटे तक विश्राम करने के पश्चात पांच घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगी;

(7) साप्ताहिक अवकाश दिवस – प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह पूर्णकालिक हो, अंशकालिक हो, कार्यस्थल पर निवास करती हो, रात्रि पाली के दौरान कार्य करती हो, सप्ताह में एक दिन अवकाश प्राप्त करने की पात्र होगी।

27. न्यूनतम मजदूरी –

(1) उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा –

(क) घरेलू कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करेगी;

(ख) उपयुक्त समझी जाने वाली अवधियों पर, जो पांच वर्षों से अधिक के अंतराल पर न हो, मजदूरी की दरों की समीक्षा करेगी तथा मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करेगी और आवश्यक समझे जाने पर उसमें संशोधन करेगी;

(2) उपयुक्त सरकार निम्नलिखित का निर्धारण कर सकती है–

(क) समय कार्य हेतु मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम समय दर" कहा गया है);

(ख) उजरती कार्य के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (जिसे इसके पश्चात "न्यूनतम उजरती दर" कहा गया है);

(ग) उजरती कार्य में लगी कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक की न्यूनतम दर ताकि ऐसी कर्मचारी के लिए समय कार्य आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित की जा सके (जिसे इसके पश्चात "गारंटित समय दर" कहा गया है);

(घ) न्यूनतम दर के बदले प्रयोज्य न्यूनतम दर (समय दर या उजरती दर में से कोई भी) जो कर्मचारी द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में अन्यथा प्रयोज्य होगी (जिसे इसके पश्चात "समयोपरि दर" कहा गया है);

(ड.) न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण निम्नलिखित मजदूरी अवधियों में से किसी एक या अधिक के आधार पर किया जाए:

(i) घंटे के आधार पर

(ii) दिन के आधार पर

(iii) महीने के आधार पर

28. अपराध और दंड

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी सेवा प्रदाता अधिकतम तीन माह के कारावास की सजा और अधिकतम 2,000/– रुपए तक के जुर्माने, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है और यदि उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन जारी रखा जाए तो उस पर एक अतिरिक्त जुर्माना आरोपित किया जा सकता है जिसकी राशि ऐसे उल्लंघन के संबंध में सेवा प्रदाता को पहली बार दोषसिद्ध करार दिए जाने के बाद उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए 100/– रुपए तक हो सकती है;

(2) यदि उप–धारा (1) के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया कोई व्यक्ति दोबारा उसी उपबंध का उल्लंघन करने या उसके अनुपालन में विफल रहने का दोषी पाया जाता हो, तो परवर्ती उल्लंघन पर उसे छह महीने तक के कारावास की सजा और कम से कम 200 रुपए तक के जुर्माने द्वारा जिसकी राशि 5,000/– रुपए तक हो सकती है या फिर दोनों द्वारा, दंडित किया जाएगा;

(3) यदि कोई नियोजक अधिनियम के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 2,000/– रुपए तक के जुर्माने द्वारा दंडित किया जाएगा;

(4) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी या जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को जांच करने से जानबूझकर रोकता हो या ऐसे अधिकारी को नियोजक या इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित सेवा प्रदाता के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत प्राधिकृत निरीक्षण, जांच, पूछताछ या अन्वेषण हेतु उचित सुविधा उपलब्ध कराने से अस्वीकार करता हो या जानबूझकर अवहेलना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास की सजा और 2,000/– रुपए तक जुर्माना, या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(5) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज़ को जिला बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच हेतु मांग किए जाने पर उपलब्ध कराने से जानबूझकर इनकार करता हो या रोकता हो या रोकने का प्रयास करता हो या अपने विश्वास के आधार पर ऐसा कोई भी कार्य करता हो जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का अनुसरण कर रहे निरीक्षणकर्ता व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने या जांचे जाने के लिए किसी व्यक्ति का आना बाधित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम तीन माह के कारावास या 2,000/– रुपए तक की सजा या दोनों प्रकार की सजाओं द्वारा दंडित किया जा सकता है;

(6) कोई भी व्यक्ति जो–

(i) जानबूझकर किसी लड़की या महिला को अनैतिक प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे स्थान पर जहां उसके नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो, भेजता हो, जाने का निर्देश देता हो या लेकर जाता हो; या

(ii) ऐसी महिला या बालिका का किसी भी रूप में यौन शोषण करता हो; या

(iii) छोटी बच्चियों को घरेलू कर्मचारी के रूप में उपलब्ध कराता हो

उसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि जो 7 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, के कारावास और 2,000/– रुपए तक के जुर्माने या दोनों द्वारा दंडित किया जाएगा।

29. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि शिकायत–

(क) राज्य बोर्ड या जिला बोर्ड द्वारा या उसकी लिखित में पूर्व–संस्तुति द्वारा दर्ज न कराई गई हो;

(ख) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई हो;

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

30. अभियोजन की सीमा

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि संबंधित शिकायत जिला या राज्य बोर्ड को कथित अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से **एक वर्ष** के भीतर न की जाती हो।

अध्याय सात
विविध उपबंध

31. इस अधिनियम से असंगत कानूनों और करारों का प्रभाव

(1) इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभण की तारीख से पहले या बाद में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत बातों या सेवा के किसी करार या संविदा में निहित असंगत बातों के होते हुए भी, प्रभावित होंगे;

(2) इस अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी भी कर्मचारी को प्रधान नियोजक, जैसी भी स्थिति हो, के साथ उसे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों या सुविधाओं से अधिक अनुकूल समझे गए अधिकारों या सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करार करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।

32. अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण

(1) बोर्ड के किसी भी सदस्य या किसी गैर–सरकारी संगठन के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसरण में सद्भावना से प्रेरित होकर किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती;

(2) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत जारी किसी नियम या अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किए गएया किए जाने वाले किसी कार्य के कारण हुई या होने वाली किसी क्षति के लिए सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

33. बोर्ड का अधिक्रमण

(1) यदि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो जाए या अन्यथा उसकी यह राय हो कि–

(क) बोर्ड अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, या

(ख) बोर्ड ने अपने कार्यों के निर्वहन में लगातार देरी की है या अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार बोर्ड को अधिक्रमित (बरखास्त) कर सकती है और अधिक्रमण की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड का निर्धारित तरीके से इसका पुनर्गठन करेगी। अधिक्रमण की अवधि में उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी करके अधिकतम छह महीने तक का विस्तार किया जा सकता है;

परंतु खंड (ख) में उल्लिखित किसी भी आधार पर इस उप–धारा के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने से पहले, राज्य सरकार बोर्ड को इस संबंध में कारण बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी कि इसका अधिक्रमण क्यों न कर दिया जाए और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर विचार करेगी।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के पश्चात इसका पुनर्गठन किए जाने तक इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और उसके कार्यों का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या अधिकारियों द्वारा किया जाएगा;

(3) बोर्ड को अधिक्रमित किए जाने पर निम्नलिखित परिणाम संभव हो सकते हैं, अर्थात–

(क) उप–धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से बोर्ड के सभी सदस्य अपने पद को रिक्त कर देंगे;

(ख) बोर्ड द्वारा प्रयुक्त या निष्पादित सभी शक्तियों और कार्यों का अधिक्रमण की अवधि के दौरान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग या निष्पादन किया जाएगा;

(ग) बोर्ड के पास उपलब्ध सभी निधियां और अन्य संपत्तियां अधिक्रमण की अवधि के दौरान राज्य सरकार के अधीन होंगी और बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने पर वे निधियां और संपत्ति बोर्ड को अंतरित हो जाएंगी।

34. समस्याओं को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो, तो केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत ऐसे उपबंधों को निर्मित कर सकती है जो संबंधित समस्या को दूर करने हेतु अनिवार्य या समीचीन समझे जाएं;

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित सभी आदेश, निर्मित किए जाने के शीघ्र बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएं।

35. लेखा और लेखापरीक्षा

(क) केंद्र, राज्य और जिला बोर्ड उचित लेखाओं और संगत रिकार्डों का रखरखाव करेंगे और निर्धारित किए गए रूप में अपने लेखाओं से संबंधित विवरणी तैयार करेंगे;

(ख) केंद्रीय बोर्ड निर्धारित की गई तारीख से पहले केंद्र सरकार को स्वयं अपनी और निधियों के संबंध में समेकित लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

(ग) राज्य और जिला बोर्ड राज्य सरकार को निर्धारित की गई तारीख से पहले अपनी लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

36. नियम निर्मित करने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार पूर्व में जारी प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन इस अधिनियम के उद्देश्यों के निष्पादन हेतु नियम बना सकती है;

(2) ऐसे नियम विशेषकर, और उपर्युक्त शक्ति की व्यापकता के संबंध में किसी पूर्वधारणा के बिना निम्नलिखित में से सभी और किसी एक हेतु प्रावधान कर सकते हैं, अर्थातः–

(क) केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें, उनके कार्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कार्यविधि और अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने का तरीका;

(ख) इन अधिनियम की धारा (5)(छ) के अंतर्गत निर्धारित किए जाने के लिए अपेक्षित या किए जाने योग्य कोई अन्य मामला;

(ग) रूप और तरीका जिसमें अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत वार्षिक लेखा विवरणी और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी;

37. नियम बनाने की शक्तियां

(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके और यदि नियमों को पहली बार निर्मित किया गया हो, तो इस स्थिति को छोड़कर, पूर्व में जारी किसी प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन हेतु नियम बनाएगी;

(2) विशेष रूप से, और उपर्युक्त उपबंध की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के द्वारा निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी भी एक के लिए प्रावधान किया जाए, अर्थात–

(क) बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल;

(ख) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ग) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र;

(घ) लाभभोगी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ और पंजीकरण शुल्क;

(ड.) बोर्ड के सचिव द्वारा उसके अनुरक्षण में रखे जाने वाले रजिस्टर;

(च) निधि से भुगतान की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए लाभभोगी द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र और आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़;

(छ) लाभभोगियों द्वारा निधि में दिए जाने वाले अंशदान की राशि;

(ज) लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र और तुलन–पत्र;

(झ) बोर्ड का बजट तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ञ) बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किए जाने के लिए प्रपत्र और उसे राज्य सरकार को भेजे जाने का समय;

(ट) सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या और उनके चयन का तरीका;

(ठ) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल;

(ड) सलाहकार समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सलाहकार समिति के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों की दर;

(ढ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित या निर्धारित कोई अन्य मामला

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को निर्मित किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा जबकि उसका सत्र कुल 30 दिनों की अवधि के लिए हो जो अवधि एक सत्र या दो अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकती है, और यदि जिस सत्र में इस नियम को रखा जाता है उसकी समाप्ति से पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद आने वाले सत्र से पूर्व दोनों सदन इस नियम में किसी संशोधन हेतु सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि नियम निर्मित नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके पश्चात उस नियम का इस संशोधित रूप में प्रभाव होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जो भी स्थिति हो, अतः तथापि यह कि ऐसे किसी भी संशोधन या विलोपन से उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता प्रभावित नहीं होगी;